लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

MMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड ३०, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXX, 1964 / 1886 (Saka)

[१५ से २८ अप्रैल, १९६४/२६ चैत्र से ८ वैशाख, १८८६ (शक)]

15th to 28th April, 1964/ Chaitra 26 to Vaisakha 8, 1886 (Saka)

Preservation Unit
21-3-97
Fumigated
On 14/12/83
Parliament Library

सातवां सत्र, १९६४/१८८६ (शक)

Seventh Session, 1964/1886 (Saka)

(खण्ड ३० में अंक ५१ से ६० तक हैं)

(Volume XXX contains Nos. 51 to 60)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है।

This is translated version in a Summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची

अंक ५७—शुक्रवार, २४ अप्रैल, १९६४/४ वैशाख, १८८६ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
११५३	ट्रकों की मांग और सम्भरण	४३६३–६५
११५४	बल्गारिया के साथ व्यापार करार	४३६६–६७
११५५	उत्पादिता परिषद्	४३६७–७०
११५६	बोकारो इस्पात कारखाना	४३७०–७३
११५७	राज्यों का कोयले का कोटा	४३७३–७५
११५८	लौह अयस्क के मूल्य	४३७६–७९
११५९	छोटी कोयला खानों का विलय	४३७९–८७
११६०	भारत में चेकोस्लोवाकिया का व्यापार शिष्टमंडल	४३८७–८२
११६१	जहाज़ तोड़ने का उद्योग	४३८३–८४
११६५	हैवी इलेक्ट्रिकल्स कारखाना, भोपाल	४३८३–८६
११६६	हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में हड़ताल	४३८६–८९
११६९	भारतीय खान ब्यूरो	४३९०–९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
११५२	मसालों का निर्यात	४३९७
११६२	इंजीनियरिंग उद्योग के लिये सुमेल इस्पात	४३९७
११६३	रूरकेला इस्पात कारखाना	४३९२
११६७	इस्पात कारखानों के लिए लौह अयस्क का सम्भरण	४३९२
११६८	दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार करार	४३९३
११७०	गैर-सरकारी क्षेत्र का कोयला उद्योग	४३९३–९४

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 57—Friday, April 24, 1964/Vaisakha 4, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*Starred Questions Nos.	Subject	PAGES
1153	Export of Spices . .	4363—65
1154	Trade Agreement with Bulgaria . .	4366-67
1155	Productivity Council	4367—70
1156	Bokaro Steel Plant . .	4370—73
1157	Coal Quotas for States .	4373—75
1158	Iron Ore Price . .	4376—79
1159	Amalgamation of Small Collieries .	4379—81
1160	Czech-Trade Mission to India .	4381-82
1161	Ship-Breaking Industry	4383-84
1165	Heavy Electricals Plant, Bhopal . . .	4384—86
1166	Strike in Heavy Electricals Ltd., Bhopal	4386—99
1169	Indian Bureau of Mines	4390-91

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
1152	Export of Spices . . .	4391
1162	Matching Steel for Engineering Industry	4391
1163	Rourkela Steel Plant .	4392
1167	Supply of Iron Ore for Steel Plants	4392
1168	Trade Agreement with South Korea	4393
1170	Private Sector Coal Industry	4393-94

*The sign +marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२४०१	उड़ीसा में कपड़ा मिलें	४३९४
२४०२	उड़ीसा में फैरो क्रोम संयंत्र	४३९४
२४०३	उड़ीसा में इस्पात और मिश्र धातु संयंत्र .	४३९४
२४०४	आविष्कार प्रोत्साहन बोर्ड पर व्यय .	४३९५
२४०५	लौह अयस्क की दरें .	४३९५-९६
२४०६	लौह अयस्क का निर्यात . . .	४३९६
२४०७	गैस उत्पादन के लिये औद्योगिक परियोजना	४३९६
२४०८	कोयला उद्योग	४३९७
२४०९	अगरबत्तियां	४३९७
२४१०	खादी भंडार	४३९७-९८
२४११	रानीगंज का कोयला	४३९८
२४१२	बिजली करघा उद्योग	४३९८-९९
२४१३	टैरेलिन के रेशे का उत्पादन	४३९९
२४१४	मोटर कारों की कीमत	४३९९-४४००
२४१५	राजभाषा आयोग .	४४००-०१
२४१६	कनाडा का व्यापार दल	४४०१
२४१७	भारतीय मानक संस्था . .	४४०१-०२
२४१८	बेलादिला में लौह पिण्ड कारखाना .	४४०२
२४१९	लायड टैस्टेड प्लेट . .	४४०२-०३
२४२०	पंजाब के लिये स्टेनलेस स्टील .	४४०३
२४२१	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, पंजाब .	४४०३-०४
२४२२	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची के अध्यक्ष	४४०४
२४२३	कोयना में अल्युमीनियम संयंत्र	४४०४-०५
२४२४	उत्तर प्रदेश को तांबा दिया जाना .	४४०५
२४२५	सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्द्धन परिषद् .	४४०५
२४२६	स्टैण्डर्ड सीमेन्ट संयंत्र की लागत	४४०५-०६
२४२७	प्रदर्शनी निदेशालय में सहायक निदेशक	४४०६
२४२८	खेतड़ी तांबा खान .	४४०६
२४२९	आविष्कार प्रोत्साहन बोर्ड .	४४०६-०७
२४३०	आविष्कर्ताओं को सहायता .	४४०७

Unstarred Questions Nos.	Subject	PAGES
2401	Textile Mills in Orissa	4394
2402	Ferro-Chrome Plant in Orissa	4394
2403	Steel and Alloy Plant in Orissa	4394
2404	Expenditure on Invention Promotion Board	4395
2405	Rates for Iron Ore	4395-96
2406	Export of Iron Ore	4396
2407	Industrial Project for Gas Production	4396
2408	Coal Industry	4397
2409	Agarbattis	4397
2410	Khadi Bhandars	4397-98
2411	Raniganj Coal	4398
2412	Powerloom Industry	4398-99
2413	Terylene Fibre Production	4399
2414	Prices of Cars	4399-4400
2415	Official Language Commission	4400-01
2416	Canadian Trade Team	4401
2417	Indian Standards Institute	4401-02
2418	Iron Ingots Factory at Balladilla	4402
2419	Lloyd Tested Plates	4402-03
2420	Stainless Steel for Punjab	4403
2421	Khadi and Village Industries Board, Punjab	4403-04
2422	Chairman of the Heavy Engineering Corporation, Ranchi	4404
2423	Aluminium Plant at Koyana	4404-05
2424	Supply of Copper to Uttar Pradesh	4405
2425	Allied Products Export Promotion Council	4405
2426	Cost of a Standard Cement Plant	4405-06
2427	Assistant Director in Exhibition Directorate	4406
2428	Khetri Copper Mines	4406
2429	Invention Promotion Board	4406-07
2430	Assistance to Inventors	4407

अतारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ट
२४३१	श्री प्रिय गुप्त, संसद्-सदस्य का मामला .	४४०७
२४३२	दूर संचार तारों (केबल्स) का उत्पादन . .	४४०८
२४३३	विशेष प्रकार के कागज़ के लिये संयंत्र	४४०८
२४३४	खरगोदा में नमक संयंत्र	४४०८–०९
२४३५	नमक का निर्यात .	४४०९
२४३६	वस्तुओं का अवैध व्यापार	४४०९
२४३७	अधिवक्ताओं के रूप में पंजीयन	४४०९–१०
२४३८	तांगानीका से रुई .	४४१०
२४३९	मद्रास राज्य में लिग्नाइट के निक्षेप	४४१०–११
२४४०	दिल्ली में सीमेंट के मूल्य	४४११
२४४१	अधिक कागज़ के लिये कच्चे माल सम्बन्धी विश्वगोष्ठी	४४११
२४४२	गोआ में लोहा तथा मेंगनीज़ अयस्क . .	४४११–१२
२४४३	कोठागुडियम में निम्न तापमान कार्बनी करण संयंत्र . .	४४१२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४४१२–१४

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति . . . ४४१४
कार्यवाही-सारांश

राज्य सभा से सन्देश . . ४४१४

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक . . ४४१४
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया

याचिका का उपस्थापन ४४१४

सदस्य द्वारा त्याग-पत्र . ४४१५

श्री श्यामशाह . . ४४१५

भारतीय सिक्के (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ४४१५

संविधान (अट्ठारहवां संशोधन) विधेयक, . ४४१५–२०

पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव . . . ४४१५

श्री अ० कु० सेन . ४४१५–१६

श्री नि० चं० चटर्जी . ४४१६

श्री ही० ना० मुकर्जी . ४४१६–१७

श्री कपूर सिंह . ४४१६–१८

Unstarred Questions Nos.	Subject	PAGE
2431	The Case of Shri Priya Gupta, M.P. .	4406-07
2432	Manufacture of Telecommunication Cables	4407
2433	Plant for Special Grade Paper	4407
2434	Salt Plant at Kharaghoda	4408
2435	Export of Salt . . .	4408
2436	Illegal Trading in Commodities	4408-09
2437	Enrolment as Advocates .	4409
2438	Cotton from Tanganyika . . .	4409
2439	Lignite Deposits in Madras State	4409-10
2440	Cement Price in Delhi	4411
2441	World Seminar on Raw Material for more Papers	4411
2442	Iron and Manganese Ores in Goa . . .	4411-12
2443	Low Temperature Carbonisation Plant at Kothagudiam	4412

PAPERS LAID ON THE TABLE 4412—14

Committee on Government Assurance . Minutes . . . 4414

Message from Rajya Sabha . . 4414

Indian Railways (Amendment) Bill . . . 4414

Laid on the Table as passed by Rajya Sabha

Presentation of petition . 4414

Resignation of Member . 4415

Shri Lal Shyamshah . . . 4415

Indian Coinage (Amendment) Bill—introduced 4415

Constitution (Eighteenth) Amendment Bill, 1964 4415—20

Motion to introduce 4145

Shri A. K. Sen . 4415-16

Shri N. C. Chatterjee 4416

Shri H. N. Mukerjee . 4416-17

Shri Kapur Singh 4417-18

विषय	पृष्ठ
श्री स० मो० बनर्जी	४४१८
श्री नाथपाई	४४१८
श्री बृजराज सिंह	४४१८–२०
सशस्त्र सेनायें (विशेष शक्तियों) जारी रखना विधेयक	४४२१–२३
विचार करने का प्रस्ताव	४४२१
श्री रंगा	४;२१
श्रीमती लक्ष्मी मेनन	;४२१–२२
खण्ड २ से ५ और १ .	४४२२–२३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	४४२३
श्रीमती लक्ष्मी मेनन	४४२३
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९६१–६२	४४२४–२६
श्री यशपाल सिंह	४४२५
श्री रंगा	४४२५
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	४४२५–२६
सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) संशोधन विधेयक	४४२७–२९
विचार करने का प्रस्ताव	४४२७
श्री हाथी . .	४४२७
श्री रंगा	४४२७–२८
खण्ड २ से ४ और १ .	४४२८
पारित करने का प्रस्ताव .	४४२९
श्री हाथी .	४४२९
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक	४४२९–३४
विचार करने का प्रस्ताव .	४४२१
श्री विभुधेन्द्र मिश्र .	४४२९–३०
श्री स० मो० बनर्जी	४४३०
श्री ओझा .	४४३०
श्री दाजी .	४४३०–३१
डा० मा० श्री० अणे .	४४३१
खण्ड २ से १३ . .	४४३१–३४

Subject	PAGE
Shri S. M. Banerjee	4418
Shri Nath l ai	4418
Shri Brij Raj Singh	4418—20
Armed Forces (Special Powers) Continuance Bill	4421—23
Motion to consider	4421
Shri Ranga	4421
Shrimati Lakshmi Menon	4421-22
Clauses 2 to 5 and 1	4422-23
Motion to pass as amended	4423
Shrimati Lakshmi Menon . . .	4423
Demands for Excess Grants (General), 1961-62 . .	4424—26
Shri Yashpal Singh	4425
Shri Ranga	4425
Shri T. T. Krishnamachari	4425-26
Public Employment (Requirement as to Residence) Amendment Bill	4427—29
Motion to consider	4427
Shri Hathi	4427
Shri Ranga	4427-28
Clauses 2 to 4 and 1	4429
Motion to pass	4429
Shri Hathi	4429
Advocates (Amendment) Bill	4429—34
Motion to consider	4429
Shri Bibudhendra Misra	4429-30
Shri S. M. Banerjee	4430
Shri Oza	4430
Shri Daji	4430-31
Dr. M. S. Aney . . .	4431
Clauses 2 to 13	4431—34

विषय	पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

बयालीसवां प्रतिवेदन . . . ४४३४

विधेयक पुरःस्थापित

१. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (नई धारा ६क का रखा जाना)—
[श्री प्रकाशवीर शास्त्री का] ४४३४

२. **(अधिकार प्राप्त व्यक्तियों के) उत्तरदायित्व का निर्धारण विधेयक**—
[श्री पाराशर का] ४४३५

३. **संविधान [संशोधन] विधेयक** (अनुच्छेद ८५ का संशोधन)—
[श्री प्रकाशवीर शास्त्री का] . ४४३५

४. **संविधान (संशोधन) विधेयक** (अनुच्छेद ३७० का लोप)—
[श्री प्रकाशवीर शास्त्री का] . ४४३५–३६

सर्कस कर्मचारियों का रक्षण विधेयक—

[श्री नम्बियार का] ४४३६–३९

विचार करने का प्रस्ताव ४४३६

श्री स० मो० बनर्जी ४४३६

श्री मनोहरन . ४४३६–३७

श्री र० कि० मालवीय ४४३७–३८

श्री नम्बियार ४४३८–३९

संसद-सदस्य वेतन-भत्ता (संशोधन) विधेयक

(धारा ३ और ५ का संशोधन)— ४४३९—४

[श्री रघुनाथ सिंह का] ४४३९

विचार करने का प्रस्ताव ४४३९

श्री रघुनाथ सिंह ४४४०–४१

श्री अ० ना० विद्यालंकार . ४४४१

श्री दाजी . ४४४२

श्री स० मो० बनर्जी ४४४२

श्री रामसेवक यादव ४४४२

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ४४४३

श्री रामेश्वरानन्द ४४४३–४

श्री सत्य नारायण सिंह ४४४४–४

खण्ड १ से ३ . ४४४५–४

पारित करने का प्रस्ताव ४४४६

श्री रघुनाथ सिंह . . . ४४४६–४

Subject	PAGE
Committee on Private Members Bills and Resolutions Forty-second Report	4434
Bills introduced	
1. Representation of the People (Amendment) Bill (*Insertion of new section 6A*) by Shri Prakash Vir Shastri . .	4434
2. Fixation of Responsibility (of Persons in Authority) Bill by Shri V. C. Parashar	4435
3. Constitution (Amendment) Bill (*Amendment of article* 85) by Shri Prakash Vir Shastri	4435
4. Constitution (Amendment) Bill (*Omission of article* 370) by Shri Prakash Vir Shastri	4435-36
Protection of Circus Employers Bill by Shri Nambiar	4436—39
Motion to consider	4436
Shri S. M. Banerjee . . .	4436
Shri Manoharan . . .	4436-37
Shri R. K. Malaviya . .	4437-38
Shri Nambiar .	4438-39
Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill (*Amendment of sections* 3 *and* 5) by Shri Raghunath Singh	4439—49
Motion to consider	4439
Shri Raghunath Singh	4440-41
Shri Vidyalankar	4441
Shri Homi Daji	4441-42
Shri S. M. Banerjee	4442
Shri Ram Sewak Yadav . . .	4442
Shri S. N. Dwivedi	4443
Shri Rameshwaranand	4443-44
Shri Satya Narayan Sinha . . .	4444-45
Clauses 1 to 3	4445-46
Motion to pass	4446
Shri Raghunath Singh . . .	4446—49

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, २४ अप्रैल, १९६४ ४ वैशाख, १८८६ (शक)
Friday, April, 24 1964/Vaisakha 4, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ट्रकों की मांग और संभरण

*११५३ { श्री पें० वेंकटासुब्बा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री महेश्वर नायक :

क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रकों की मांग और सम्भरण की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या आपातकाल के पश्चात् गैर-सरकारी प्रयोजनों के लिये सम्भरण पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये थे वे अभी तक लागू हैं ; और

(ग) देश में ट्रकों के तात्कालिक और बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिये क्या प्रभावी उपाय किये गये हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) तीसरी योजनावधि के अन्त तक प्रतिवर्ष ६०,००० ट्रकों की मांग होने का अनुमान है। वर्तमान मांग ४०,००० प्रति वर्ष के लगभग है। इस के विरुद्ध १९६३ में उत्पादन के अनुरूप संभरण लगभग २७,००० था ।

(ख) प्रतिरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये डाजाफार्गो शार्ट व्हील-बेस ट्रकों तथा जीप १–टन ट्रकों के सम्पूर्ण उत्पादन और थोड़े से टी० एम० बी० ट्रकों के रक्षण के सिवा आपातकाल के बाद ट्रकों के विक्रय पर लगाये गये प्रतिबन्ध इस बीच हटा लिये गए हैं। तथापि, वाणिज्यिक वाहनों का विक्रय और वितरण अब वाणिज्यिक वाहन (वितरण तथा विक्रय) नियंत्रण आदेश, १९६३ के अन्तर्गत होता है।

(ग) वर्तमान ट्रक निर्माताओं की प्रसार योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है और उन्हें पूंजीगत उपकरण के आपात की आवश्यक सुविधायें दी गई हैं जिन से उन्हें देशी पुर्जों तथा गाड़ियों के उत्पादन को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इस के अतिरिक्त, ट्रकों के निर्माण के लिये एक नये यूनिट की स्थापना की योजना स्वीकार की गई है जिसकी वार्षिक क्षमता १२,००० ट्रकों की होगी।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : विवरण से पता चलता है कि देश में उत्पादन तथा मांग में बड़ा अंतर है। क्या लोगों की मांग पूरी करने के लिये सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में ट्रक बनाने का चालू करने का है ?

श्री प्र० चं० सेठी: इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। लाइसेंस प्राप्त क्षमता पहले ही अपेक्षित क्षमता से बहुत ज्यादा है। तीसरी योजना में ६०,००० की क्षमता थी और लाइसेंस प्राप्त क्षमता लगभग ७४,९२० है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया: विवरण के भाग (ग) में बताया गया है कि प्रतिवर्ष १२,००० ट्रकों की क्षमता वाले एक नये यूनिट के लिये लाइसेंस दिया गया है। वह कम्पनी कौन सी है और उद्योग उत्पादन कब आरम्भ होगा ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : लाइसेंस मद्रास की सिम्पसन्स कम्पनी को दिया गया है। मैं नहीं जानता कि उत्पादन कब आरम्भ किया जायेगा। लगता है कि कार्यान्विति में कई कठिनाइयां हैं।

श्री रामनाथन चेट्टियार: क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि मरसीडीज ट्रकों पर प्रीमियम मांगा जाता है ; यदि हां, तो मरीसीडीज़ ट्रकों के वितरकों की इस कुरीति को रोकने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: एक नियंत्रण आदेश है और जहां तक संभव होता है प्रीमियम लेने तथा अन्य कुरीतियों पर नियंत्रण रखा जा रहा है। परन्तु इस का स्थायी समाधान उत्पादन बढ़ाना है। इसीलिये हमने इस कम्पनी को प्रतिवर्ष २४,००० गाड़ियों तक प्रसार करने की अनुमति दी है और वह इस प्रसार के कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है।

Shri Achal Singh : Russia has manufactured Small Tractors which are cheap as well as good. Would Government permit their import ?

Mr. Speaker : The question in about trucks, not tractors.

Shri Braj Bihari Mahrotra : It is not possible to step up the production of Shaktiman trucs ?

Shri P. C. Sethi: Shaktiman trucks belong to the Defence Department.

श्री जोकिम अल्वा : क्या यह सच नहीं है कि कारों और ट्रकों के उत्पादन के बारे में सरकार बड़ी अनिश्चित मनोवस्था में है ?

अध्यक्ष महादय : कारों का यहां प्रश्न नहीं है ।

श्री जोकिम आल्वा : क्या यह सच नहीं है कि सरकार जानती है कि ६०,००० ट्रक बन सक्ते हैं और एक ही यूनिट इन्हें जल्दी बना सकता है और मूल्य भी कम हो जायेंगे ? क्या कारण है कि सरकार इन चार यूनिटों की बजाय एक ही यूनिट को सारा काम नहीं सौंप सकती ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: चार यूनिट तो पहले ही हैं । जो तथ्य सामने हैं उनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी: क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि आपातकाल की घोषणा के बाद प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये कुल कितने चेसिस प्राप्त किये गये, उन पर कितनी गाड़ियां बनीं और कितने इस्तेमाल नहीं हुए तथा कितने समय से नहीं हुए ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे विचार में यह प्रश्न प्रतिरक्षा मंत्रालय से किया जाना चाहिये ।

श्री शिंकरे : इस बात को देखते हुए कि देश में ट्रकों के संभरण में कमी विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण है, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय सोच रही है कि सभी लाइसेंसप्राप्त यूनिटों को अपेक्षित या आवश्यक विदेशी मुद्रा मिले ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह बड़ा व्यापक प्रश्न है । अन्ततः प्रत्येक क्षेत्र के लिये उपलब्ध विदेशी मुद्रा उपलब्ध समुच्चय पर निर्भर करेगी । इस समुच्चय को हम यथासंभव बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से हमारा निर्यात बढ़ रहा है ।

श्री शिंकरे : सरकार लाइसेंस क्यों नहीं देती . . . . .

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है । श्री यशपाल सिंह ।

Shri Yashpal Singh : How does the price of imported trucks compare with that of indigenously produced trucks ? Which is cheaper and to what extent ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे खेद है कि तुलनात्मक आंकडे पास नहीं है परन्तु अब हम कुछ आयात नहीं करते । हम वाणिज्यिक गाड़ियां यही बनाते है ।

Shri Onkar Lal Berwa : Half of the Components now being used in the manufacture of trucks ore foreign. When will the trucks completely manufactured with indigenous components ?

Shri P. C. Sethi : Not half but 74 or 76 per cent components being used are indigenous and it is hoped that by the end of this year 90 percent indigenous equipment would be used.

बल्गारिया के साथ व्यापार करार

+

*११५४. श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री ग्रोंकार लाल बेरवा
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री महेश्वर नायक :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारदीश राय :

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बल्गारिया के साथ एक व्यापार करार किया गया है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य रूप-रेखायें क्या हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) ग्रौर(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जी हां । एक नया व्यापार तथा भुगतान करार १४ फरवरी, १९६४ को नई दिल्ली में हुग्रा था जो जनवरी, १९६४ से दिसम्बर, १९६८ तक चालू रहेगा । करार की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में रख दी गई हैं । करार में दोनों देशों के बीच अधिक तथा बहुमुखी व्यापार होने का उल्लेख है । भारत से निर्यात होने वाली वस्तुग्रों की सूची विस्तृत कर दी गई है ताकि चाय, काफी, पटनसन की चीजें, चमड़ा, मूंगफली ग्रौर काजू जैसी परम्परागत वस्तुग्रों के अतिरिक्त इंजीनियरिंग का सामान, इलेक्ट्रिक मोटरें, डीजल इंजन पम्प, सिलाई मशीनें, वेल्लित इस्पात उत्पाद, भेषज तथा ग्रौषधियां, रसायन तथा रसायनक पदार्थ, सूती कपड़ा, जनाना चप्पलों तथा सैंडलों सहित चमड़े की जूतियां, टायर इत्यादि वस्तुयें भी उसमें ग्रा जायें ।

करार के अन्तर्गत बल्गारिया बिजली के हविस, क्रेनों, विद्युत् केबल्स, ट्रांसफारमर्ज़, इस्पात उत्पाद, मशीनी ग्रौजार, बाल बेयरिंग्स, इंजन, स्वचालित करघे, बैटरी से चलने वाले फोर्क-लिफ्ट ट्रक, कच्चा लोहा, जस्ता, कास्टिक सोडा ग्रौर सोडा ऐश जैसे भारी रसायन तथा पूंजीगत वस्तुयें भारत को देता रहेगा ।

व्यापार करार में १९६५ में १०.५ करोड़ रु० (दोनों ग्रोर से) के समूचे संतुलित व्यापार का प्रबन्ध है जबकि १९६१ में यह १ करोड़ रु० था ग्रौर १९६२ में ४ करोड़ रुपये ।

Shri Bibhuti Mishra : The statement says the import-export trade between the two countries would be to the time of Rs. ten or ten and a half

crores. The commodities to be exported from India, as stated by the hon. Minister, are :

रसायन तथा रसायनिक पदार्थ, सूती कपड़ा, जनाना चप्पलों तथा सैंडलों सहित चमड़े की जूतियां, इत्यादि ।

Similarly, the Commodities to be exported to India are :

बिजली के हायस्ट्स, क्रेनें, बिजली के वेल्स, ट्रांसफारमर्ज़ इस्पात उत्पाद, इत्यादि ।

I want to know the nature and amount of commodities to be exported from here and of the commodities which are to be imported ?

Shri Manubhai Shah : It pertains to the details of the pact which are kept confidential by both the countries. But a look on the customs certificate can indicate the quantum of export and the overall trade.

Shri Bibhuti Mishra : When a trade agreement has been finalised between the two countries, an estimate of respective import and export must have been prepared. There is no question of trade secret in it. The hon. Minister should give the break-up so that we may form an idea as to how much jute and other commodities would be exported from here and to what extent the farmers would be benefited.

Shri Manubhai Shahi: All the items of the trade pact cannot be disclosed under the International Convention. Trade goes on between 122 countries of the world. If goods worth Rs. one crore or a little more are exported, it does not make any difference to the farmers. If the hon. Member is specifically interested in jute, I can give the relevant information. All items of trade protocol are not disclosed.

Shri Onkar Lal Berwa : Will this trade be operated in rupees or in foreign exchange or on any other basis ?

Shri Manubhai Shah : The exchange is invariably international. The hon. Member can see that in 1961 trade between the two countries was to the time of Rs 50 lakhs, import and export both being worth Rs. 50 lakhs. But in 1965 it would be of the order of Rs 5-1/4 crores, *i.e.*, ten times more.

उत्पादिता परिषद

***११५५. श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादिता परिषद् से बड़े पैमाने के उद्योग को कितना लाभ हुआ है ;

(ख) गत दो वर्षों में जो व्यक्ति विदेश भेजे गये थे उनमें से छोटे पैमाने के उद्योगों के अतिरिक्त उद्योगों के कौन व्यक्ति थे और उन पर कितना धन व्यय किया गया था ;

(ग) स्वयं उद्योग ने उत्पादिता परिषद् में क्या अंशदान किया है और यदि उसने पर्याप्त अंशदान नहीं किया है तो क्यों नहीं ; और

(घ) सरकार का कब इस संस्था के कार्य का स्वतंत्र मूल्यांकन करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :(क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् तथा स्थानीय उत्पादिता परिषदों की सुविधायें तथा प्रशिक्षण और अन्य कार्यक्रम बड़े पैमाने के उद्योगों सहित सभी तरह के उद्योगों के लिये हैं और वे इनका लाभ उठा रहे हैं ।

(ख) पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् ने दस अध्ययन दल विदेशों में भेजे जिनमें ७९ सदस्य थे जिनमें से ७३ सदस्य ऐसे उद्योगों के थे जो लघु क्षेत्र में नहीं आते । इसी अवधि में राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् ने विदेशों में प्रशिक्षण पाने के लिये १३७ उम्मीदवारों को भेजा जिन में से १३० ऐसे उद्योगों के थे जो लघु क्षेत्र में नहीं आते ।

इन अध्ययन दलों तथा प्रशिक्षण योजनाओं का सारा खर्च बाध्य अभिकरणों द्वारा दी गई सहायता से पूरा किया गया था । खर्च हुई राशि के बारे में जानकारी सरकार के पास नहीं है ।

(ग) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् तथा स्थानीय उत्पादिता परिषदोंको उद्योग द्वारा विभिन्न रूपों में योगदान दिया जाता है । १९६२-६३ में राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् ने विशेषज्ञ शुल्क के रूप में लगभग २ लाख रुपया इकट्ठा किया और स्थानीय उत्पादिता परिषदों ने सदस्यता शुल्क के रूप में ४.५९ लाख रुपये एकत्रित किये । विभिन्न उत्पादिता कार्यक्रमों में भाग लेने के शुल्क के रूप में उद्योग ने स्थानीय उत्पादिता परिषदों को ४ लाख रुपये की एक अतिरिक्त राशि दी थी ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । तथापि राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् अपनी कार्यवाही के लगातार मूल्यांकन में लगी हुई है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : विवरण से स्पष्ट है कि विदेशी अध्ययन दलों से उत्पादित बढ़ाने का लाभ केवल बड़े पैमाने के उद्योगों ने ही उठाया है। ७९ सदस्यों में से ७३ सदस्य बड़े पैमाने के उद्योगों के थे और पुनोनिधान किये १७३ उम्मीदवारों में से १३० ऐसे थे जो छोटे पैमाने के उद्योगों से सम्बन्धित नहीं थे । माननीय मन्त्री इसकी क्या व्याख्या देंगे ? क्या वह ऐसा नहीं समझते कि छोटे पैमाने के उद्योग भी प्रतियोगी मार्केट में हैं और उन्हें भी अपनी उत्पादिता बढ़ानी चाहिये तथा उससे लाभान्वित होना चाहिये ?

श्री कानूनगो : यही कारण है कि १९६० में बहुत से देशों में ऐसा दल भेजा गया था जिसमें केवल छोटे उद्योगपति थे, उपक्रमी नहीं बल्कि टैक्नीशियन ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा प्रश्न असन्तुलन के बारे में है । ७९ सदस्यों में से ७३ ऐसे थे जो छोटे पैमाने के उद्योगों से सम्बन्धित नहीं थे । इस असंतुलन का क्या कारण है ? मेरा प्रश्न यह है ।

श्री कानूनगो : इस सन्देह को दूर करना मेरे लिये बड़ा कठिन है । मेरा सुझाव है कि यदि इस मामले को वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा के समय या किसी और अवसर पर उठाया जाए तो सारी बात की जांच हो सकती है । उत्पादित का प्रयोजन उद्योग-वार या उद्योग के आकार के अनुसार नहीं होता है । यह तो उत्पादिता की तकनीक का प्रश्न है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : विवरण से पता चलता है कि सरकार का विचार उत्पादित परिषद् की कार्यवाहियों को आंकने का नहीं है । क्या यह इसलिये है कि उस संस्था को स्वायत्तता प्राप्त है अथवा सरकार उत्पादित परिषद् द्वारा किये गये मूल्यांकन से पूर्णतः सन्तुष्ट हैं अथवा सरकार सभा में किये गये अनेक अभ्यावेदनों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहती ?

श्री कानूनगो : राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् समय समय पर मूल्यांकन करती आई है और ऐसे मूल्यांकनों के परिणाम पत्रिकाओं में छापे जाते हैं जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । इस समय सरकार समझती है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि ऐसे लोगों की भारी कमी है जिन्होंने कारोबार प्रबन्ध में अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त किया है और यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् की ओर से सरकार कुछ उम्मीदवारों को इसमें प्रशिक्षण दिलवायेगी ?

श्री कानूनगो : यह प्रशिक्षण के लिए नहीं हैं। इनमें विशेष बल उत्पादन के मामले में उत्पादिता बढ़ाने पर होता है, प्रबन्ध व्यवस्था पर नहीं ।

श्री दाजी : विवरण तथा श्री हरिश्चन्द्र माथुर के प्रश्न को ध्यान में रखते हुये क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् के कार्यकरण को नई दिशा देने के लिये किन्हीं उपायों पर विचार कर रही है ताकि छोटे पैमाने के उद्योगों को अधिक लाभ पहुंचे ।

श्री कानूनगो : आज सारे कार्यक्रम का लाभ सभी उद्योगों को उपलब्ध हैं और मैं माननीय सदस्य से वार्षिक प्रतिवेदन तथा कुछ पत्रिकायें पढ़ने का सुझाव देता हूं ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या सरकार या राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् छोटे पैमाने के उद्योगों की उत्पादिता से सन्तुष्ट है और क्या इसीलिए बहुत ही कम लोगों को अध्ययन के लिये बाहर भेजा गया है ?

श्री कानूनगो : यह एक व्यक्तिवादी बात है । सरकार सन्तुष्ट नहीं है और वह सुधार करना चाहती है । परन्तु इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि उत्पादिता आन्दोलन का गहरा प्रभाव होता है और वह मुख्यत: छोटे पैमाने के उद्योगों पर होता है और इसलिये सदस्यता अन्य स्थानों की तुलना में लघु उद्योगों में अधिक है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय मन्त्री मानते हैं कि सदस्यता छोटे पैमाने के उद्योगों में अधिक है । उत्पादिता परिषद् को अधिकतर लाभ छोटे पैमाने के उद्योगों से पहुंचते हैं और इसकी तुलना में छोटे उद्योगों को बहुत ही कम फायदा होता है । क्या माननीय मन्त्री यह महसूस नहीं करते कि छोटे उद्योगों के उत्पादन का प्रतिरूप तथा समस्यायें बड़े उद्योगों से सर्वथा भिन्न हैं ? क्या उन्हें याद नहीं है कि पहले एक उत्तर में इसी सभा में उन्होंने कहा था कि अभी स्वतन्त्र मूल्यांकन के लिये समय नहीं आया है ? उनका इससे क्या अभिप्राय था कि अभी समय नहीं आया ? मूल्यांकन के लिये उपयुक्त समय आए इसके लिये अभी उन्हें किस चीज की जरूरत है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बहस कर रहे हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर: पहले एक अवसर पर उन्होंने स्वयं इस सभा में यह उत्तर दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं । उन्होंने इस तरह के सवाल पूछे हैं : 'क्या वह नहीं जानते ?' 'क्या वह नहीं मानते' वह बहस में पड़ रहे हैं । माननीय मन्त्री चाहें तो उत्तर दे सकते हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यदि डा० एल० एम० सिंधवी के प्रश्न का सन्तोषजनक उत्तर दे दिया जाता तो मैं यह प्रश्न न पूछता । मन्त्री महोदय कहते हैं कि माननीय सदस्य रिपोर्ट पढ़ लें । क्या वह समझते हैं कि हमने रिपोर्ट नहीं पढ़ी है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : प्रश्न का उत्तर न देने की बात पहले ही सोच ली गई है । इसलिये हमें बार बार वही प्रश्न पूछना पड़ता है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : और तथ्य तो साफ ही सरकारी नीति के विरुद्ध हैं ।

श्री कानूनगो : यह तो राय का प्रश्न है और. . .

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह राय का प्रश्न नहीं है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : राय का प्रश्न तो यह बिल्कुल नहीं है. . .

श्री कानूनगो : सभा में उन्हें हम से ऐसा हल्का बर्ताव नहीं करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह जानकारी प्राप्त करने का कोई तरीका है ? माननीय सदस्य ने इस तरह के सवाल किये हैं कि 'क्या वह जानते नहीं ?', 'क्या वह महसूस नहीं करते' ?' 'क्या वह समझ नहीं सकते ?' ये प्रश्न तर्क के रूप में हैं । यदि माननीय सदस्य मन्त्री महोदय के साथ बैठ कर बातचीत करें तो शायद वह यह सब कह सकते हैं या कोई नियमित चर्चा हो तो उसमें ये बातें उठाई जा सकती हैं । लेकिन अब तो जानकारी ही लेनी है और जानकारी यदि पूरी नहीं तो फिर और भी ढंग हैं ।

श्री रंगा: कठिनाई यह है कि मन्त्री महोदय कहते हैं कि इससे कुछ सन्तोष होता है । इन सारी चीजों को तो वह स्वयं बुलावा देते हैं । इसका क्या मतलब कि है इससे सन्तोष हुआ है ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : सीधा सा एक सवाल पूछा गया था परन्तु फिर भी सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया । इससे भी आगे यह कि जो उत्तर दिया गया वह सभा में पहले दिये गये उत्तर का खण्डन करता है । इसलिये यह प्रश्न पूछने के इलावा हमारे पास कोई और चारा ही नहीं रह जाता ।

मन्त्री महोदय कम से कम इस सीधे से प्रश्न का तो उत्तर दे दें, अर्थात् क्या छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादन का प्रतिरूप तथा समस्यायें बड़े उद्योग से बहुत भिन्न नहीं हैं और यदि हां, तो राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् इस बारे में क्या कर रही है ।

श्री कानूनगो : मेरा निवेदन है कि उत्पादिता आन्दोलन का प्रभाव छोटे पैमाने के उद्योगों पर काफी व्यापक है और ये बात राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं से स्पष्ट हो जायेगी ;

बोकारो इस्पात कारखाना

+

*११५६. { **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने के लिये जापानी इस्पात उद्योग का वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग मांगा गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह सहयोग किस प्रकार का होगा कितना होगा तथा किन शर्तों पर होगा ; और

(ग) क्या बोकारो इस्पात परियोजना की प्रगति तथा इसके लिये विदेशी तकनीकी तथा वित्तीय सहायता लेने के सम्बन्ध में प्रगति बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

एक नवीन समवाय बोकारो इस्पात समिति सन्यन्त्र के स्वामित्व एवं कार्य मन्त्रालय के निमित्त बनाई गई है । बोकारो में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का परीक्षण करने के लिये स्थापित की गई प्रविधिक समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है, जो बोकारो इस्पात समिति के विचाराधीन है । परामर्श समझौते की शर्तों और निबन्धनों के बारे में दस्तूर एण्ड कम्पनी के साथ अन्तिम स्तर पर बातचीत की जा रही है । बहुत शीघ्र ही इनको अन्तिम रूप दिये जाने की आशा की जाती है । भूमि अधिग्रहण की जा रही है । सर्वेक्षण तथा खोज आदि पोषक कार्य किये जा रहे हैं । बस्ती बनाने का काम आरम्भ होने वाला है ।

इस सन्यन्त्र की स्थापना में सहायता के लिये किसी विदेशी सरकार से कोई पक्की पेशकश नहीं आई । तथापि विदेशों से इस उपकरण को खरीदने की सम्भावना का विचार किया जा रहा है, जो देश में नहीं बानाया जा सकता और इस कार्य के लिये मिलने वाले अतिरिक्त ऋणों से यह व्यय किया जाएगा ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : किन कारणों से दस्तूर एण्ड कम्पनी के साथ संविदा के अधीन परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने में विलम्ब हो रहा है ? क्या विशिष्ट रुकावट इसके मार्ग में बाधक है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): कोई रुकावटें नहीं । सोलिसिटरों के द्वारा यह दस्तावेज तैयार किया जा रहा है और पूर्ण होने पर इस पर हस्ताक्षर किये जायेंगे ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या यह सच नहीं है कि मन्त्री ने अपने भाषण में कहा था कि इस योजना के लिये सभी सहयोग प्राप्त करने की गुंजाइश बहुत अधिक है ? क्या इस बात में कोई सत्य है अथवा यह बात गलत छपी है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं नहीं समझता कि मैंने यह कहा है कि इसकी गुंजाइश बहुत है । मैंने कहा था कि इससे सहायता मिलने की गुंजाइश है ।

श्री जसवंत मेहता : विवरण में बताया गया है कि किसी विदेशी सरकार की ओर से सहायता के लिये कोई निश्चित पेशकश नहीं आई । कितने देशों के साथ बातचीत हो रही है और किन देशों ने पेशकशी की हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं नहीं कहता कि किसी देश के साथ इस रूप में बातचीत हो रही है। परन्तु अमरीका, फ्रांस, जर्मनी जापान और अन्य देशों के वाणिज्यिक रुचि वाले विभिन्न पक्षों ने रुचि दर्शायी है।

श्री हेम बरुआ : समाचारपत्रों में यह छपा है कि रूस ने इस परियोजना में दिलचस्पी दिखाई है। क्या सरकार को इस के बारे में सीधे वहां की सरकार से मालूम हुआ है या सरकार को केवल अनुमान है कि रूस को इस परियोजना में दिलचस्पी है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह अनुमान का विषय है। इस के आधार कुछ तथ्य हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या गैर सरकारी व्यापारियों के अमरीकी प्रतिनिधिमंडल ने सरकारी अधिकारियों के साथ हाल में हुई अपनी बातचीत में इस संयंत्र में सहयोग के लिये कोई ठोस सुझाव दिये हैं ? यदि हां तो क्या ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस्पात परियोजनाओं में गैर सरकारी सहयोग का प्रश्न नहीं उठता। यह सर्वथा सरकारी क्षेत्र में है। अतः हम जो कुछ चाहते हैं वह ऋण के रूप में मिलना चाहिये।

श्री दाजी : क्या यह सच है कि बोकारो संयंत्र के लिये हमारे पास जो पेशकश आई है वह बोकारो की किस्म के संयंत्र के लिये विदेशी सहायता सम्बन्धी हमारी आवश्यकताओं से बहुत बढ़ गई हैं और दूसरा संयंत्र स्थापित करने के लिये भी पर्याप्त है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ये पेशकश सभी पक्की नहीं हैं। निस्सन्देह यदि पेशकश आयें जो बोकारो की आवश्यकता से अधिक हों, तो हम दो और संयंत्रों की योजना बना रहे हैं और इस समय हम इन के भविष्य के बारे में ही विचार कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : बताया गया है कि सहायता के लिये किसी विदेशी सरकार का पक्का पेशकश नहीं मिला। क्या अमरीका सरकार ने यह सुस्पष्ट कहा है कि वे यदि यह सरकारी क्षेत्र में है, तो वे इस संयंत्र के लिये कुछ नहीं देंगे ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं समझता हूं कि यह पुरानी बात है। हमने पहले इस कार्य के लिये अमरीका सरकार से विदेशी सहायता मांगी। फिर हम ने अपनी प्रार्थना वापिस ले ली। अतः अब है। वह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : विभिन्न देशों ने क्या अभिरुचि ली है और अमरीकी सहायता की प्रार्थना वापिस लेने के पश्चात् क्या प्रगति हुई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जिन देशों का उल्लेख मैंने किया है वहां के बहुतेरे गैर सरकारी पक्षों ने अभिरुचि ली है। उन में से कुछ ने वाणिज्यिक ऋण अथवा ऐसे वाणिज्यिक ऋण, जिसका कुछ अंश सरकारी ऋण में आता है, के आधार पर बोकारो, उपकरण देने के लिये एक संघ बनाया इस प्रकार के दो या तीन फर्म-संघों ने अभिरुचि दर्शायी है।

श्री दी० चं० शर्मा : विवरण में कहा गया है कि इस बात का विचार किया जा रहा है कि विदेश से कितने उपकरण की आवश्यकता होगी और इसे कैसे विदेशों के समुचित ऋणों से प्राप्त किया जायगा। विदेशों से हमें कितने मूल्य के उपकरण की आवश्यकता होगी और क्या हम ने भारत में न मिलने वाली चीजों को प्राप्त करने के लिये गैर सरकारी समवायों या सरकारों के साथ बातचीत की है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: देश में कितना सामान तैयार किया जा सकेगा इस का सही अनुमान लगाने का प्रयास जारी है। अतः इस का सही अनुमान इस समय नहीं बताया जा सकता।

जहां तक अन्य चीजों का सम्बन्ध है, चाहे हमने बातचीत की है, वे लोग उपकरण की विविध आवश्यकताओं को जानना चाहते हैं और हमने यह सूचना उनको भेज दी है।

श्री मुरारका : क्या हम बोकारो संयंत्र के बारे में पीछे हैं, और अब समूची परियोजना का काम तेज करने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या अब अनुसूचियों में संशोधन किया गया है ? कब तक आदेश दे दिये जायेंगे और कब तक संयंत्र लग जायगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जब हमने देखा कि हमें अमरीकी सहायता नहीं मिलेगी, उस के बाद हमने कार्यों तथा लक्ष्यों की दूसरी अनुसूची बनाई, और हम उस पर दृढ़ हैं। इस वर्ष के अन्त तक, यदि आवश्यक हुआ, तो हम विश्वजनीन टैंडर मंगवायेंगे।

श्री रामनाथन चेट्टियार : विभिन्न अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में मा० मंत्री द्वारा दिये गये उत्तरों से, क्या हम यह समझें कि सरकार इस बोकारो इस्पात संयंत्र में विदेशी ईक्विटी भागिता के विरुद्ध होने के कारण, अमरीकी विनियोजक इस परियोजना में अभिरुचि नहीं ले रहे हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमारी नीति सुस्पष्ट है। इस नीति के अन्तर्गत यदि कोई पक्ष अभिरुचि लेगा तो हम उस का लाभ उठायेंगे। हम केवल इस कारण अपनी नीति को नहीं बदलेंगे कि कोई और इस में अभिरुचि ले।

श्री जोकीम अल्वा : हमें रूरकेला और भिलाई को बनाने में बहुत सा अनुभव हुआ है। जो अनुभव प्राप्त हुआ है उस को देखते हुए क्या इस संयंत्र को लगाने में हमारा वित्तीय दायित्व कम होगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जिस सीमा तक हमारी कुशलता बढ़ी है, हम उस सीमा तक लाभ उठायेंगे।

श्री शिंकरे : किन कारणों से सरकार ने नवीन समवाय बनाया है और इस परियोजना को हिन्दुस्तान इस्पात समिति के पर्यवक्षणाधीन नहीं रखा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हिन्दुस्तान इस्पात समिति के उत्तरदायित्व बड़े हैं, वह तीन संयंत्र चला रहा है, दो संयंत्रों का विस्तार कर रहा है और एक विशेष इस्पात संयंत्र बना रहा है। अतः उन के कार्य भार को देखते हुए हमने सोचा कि पृथक निगम बोकारो की समस्याओं की ओर अपना पूर्ण ध्यान दे सकेगा।

राज्यों का कोयला का कोटा

***११५७ { श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों को कोयले के कोटे के आवंटन में परिवर्तन कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तों इस परिवर्तन का क्या आधार है ; और

(ग) १९६४-६५ के लिए विभिन्न राज्यों को कितना कोटा आवंटित किया गया है और १९६३–६४ के लिये यह कितना था तथा उन्होंने इस में से कितने का उपयोग किया ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) से (ग) कोयले का अधिक उत्पादन और सुगम परिवहन स्थिति के साथ विभिन्न श्रेणियों को उपभोक्ताओं की कोयले की पूरी मांग को पूरा किया जा सकेगा इस समय कोई अभ्यंश प्रतिबन्ध नहीं है और श्रेणीवार नियतन अधिकार के अनुसार उपभोक्ता अपने अभ्यंश के बिना अतिरिक्त मात्रा में कोयला मांग सकते हैं। वर्ष १९६३-६४ में विभिन्न राज्यों को आवंटित कोयला अभ्यंश दर्शाने तथा अप्रैल १९६३ से फरवरी १९६४ तक की अवधि में न राज्यों को भेजे गये कोयले को दर्शाने वाला सभा पटल पर रखा जाता है : **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० २७७३/६४]** १९६४-६५ के लिये यद्यपि अभ्यंश सम्बन्धी प्रतिबन्ध नहीं है, नियमित आधार पर बैगनों के इकट्ठे नियतन के लिये विद्यमान अभ्यंश जारी रखे जा रहे हैं।

श्री धुलेश्वर मीना : क्या विभिन्न राज्यों को आवंटित अभ्यंश १९६४-६५ के लिये पर्याप्त हैं, यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं तथा आवश्यकता को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)जैसाकि मुख्य उत्तर में बताया गया है, अब अभ्यंश का कोई प्रश्न नहीं उठता। यदि आवश्यकता अधिक भी हो, तो कोयला मिल सकेगा।

श्री धुलेश्वर मीना : क्या कुछ राज्य कोयला नियंत्रकों ने कोयला परिवहन के वैज्ञानिकन में कठोरता की शिकायत की है ? सरकार कोयले के ले जाने में और क्या नर्मी कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अब भी कोयले के ढोने के बारे में कठिनाई नहीं है। वास्तव में बैगन इसलिये लौटाई जाती हैं क्योंकि काफी मांग नहीं होती ?

श्री नम्बियार : क्या सरकार को मालूम है कि बैगनों की स्थिति में सुधार होने के बावजूद, पर्याप्त कोयला दक्षिण के उद्योगों को नहीं दिया जाता और उन्हों ने इस के बारे में बराबर शिकायतें की हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं समझता हूं कि पहले ऐसी शिकायत रही होगी। उन की सब मांग अब पूरी की जा रही है। दक्षिण में कोयला हम समुद्र तटीय नौवहन के द्वारा भी भेजते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस नर्मी के बाद, कोयला उन कोयला भण्डारों को भरने के लिये पर्याप्त मात्रा में दिया जायगा, जो भूतपूर्व मंत्री के अनुसार नियमित रूप से कोयला देने के लिये बनाये गये हैं ? क्या वहां कोयला उपलब्ध होगा और क्या अतिरिक्त कोयला उन भण्डारों को दिया जायेगा अथवा वे भण्डार जिन पर काफी धन खर्च किया जाता है, बन्द कर दिये जायेंगे ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कमी को दूर करने के लिये भण्डार बनाये गये थे ताकि एक प्रदेश की विविध आवश्यकतायें पूरी की जा सकें। परन्तु अब चूंकि परिषद् की स्थिति अच्छी है, भण्डारों की कोई आवश्यकता नहीं। वास्तव में उपभोक्ता सीधे कोयला ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : भण्डार रहेंगे परन्तु अब उन की जरूरत नहीं है।

श्री स० मो बनर्जी : उस समय भण्डारों में कोयला नहीं था और अब है। सरकार ने उन पर भारी राशि खर्च की। क्या उनका उपयोग अन्य कामों के लिये किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : : वह बता चुके हैं।

Shri Yash Pal Singh : Are Govt. aware that the demand of Uttar Pradesh is the highest and its prooqulation is also largest ? But inspite of all this, the quantity of local supplied to them is very less. What action is being taken enhance their quota ?

Mr. Speaker : He says that the fuel demand will be met.

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या मंत्री जी को पता है कि मानचित्र में उत्तर बिहार नामक स्थान है और वैगन स्थिति में सुधार होने के बावजूद, वहां परिवहन की इतनी कठिनाई है, कि वहां जो कोयला जाता है वह पर्याप्त मात्रा में नहीं वहां पहुंचता। और मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि वह इस मामले की जांच करेंगे किन्तु अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने इस प्रदेश का नाम सुना है। मैं वहां नहीं गया। कुछ कठिनाइयां हैं और हम उन में से कुछ को हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री दासप्पा : क्या घटिया किस्म का कोयला बहुत होता है और यदि हां, तो इस का कैसे प्रयोग किया जाता है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : फालतू कोयला मुख्यत घटिया किस्म का होता है और पट्टों आदि के लिये उस की अधिकाधिक खपत होती है।

श्री शं० ना० चतुर्वेदी : क्या प्रतिबन्धों की नर्मी के कारण अधिक कोयला देश के विभिन्न भागों में भेजा जा रहा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम । प्रारम्भ में कोयला अधिक ले जाया गया। उपभोक्ताओं ने स्टाक बना लिये हैं, अतः अब अधिक कोयला खरीदने में कुछ हिचकिचाहट है। इसी कारण मन्दी है

Shri Tulsi Das Jadhav : Is the coal production in the country just enough to meet the demand or is it in excess or short of demand ?

Mr. Speaker : Enough coal is produced now. It meets the requirement.

तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ और ११६७ के संबंध में

श्री कपूरसिंह: प्रश्न संख्या ११६४ और ११६७ को प्रश्न संख्या ११५८ के साथ ही ले लिया जाय क्योंकि इन प्रश्नों का परस्पर सम्बन्ध है

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न संख्या ११६४ वापिस ले लिया गया है और ११६७ एक भिन्न प्रश्न है।

लौह अयस्क के मूल्य

***११५८. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लौह अयस्क के मूल्य लगातार गिर रहे हैं ;

(ख) क्या ब्राज़ील और स्वेडन ने अपने मूल्य कम कर दिये हैं और इस कारण भारत को हानि हो रही है ;

(ग) भारत को इस वर्ष तथा गत वर्ष लौह अयस्क के मूल्य किस सीमा तक कम करने पड़े थे ; और

(घ) भाड़ा व्यय को कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं क्योंकि लौह अयस्क के मूल्यों में यह व्यय ६० प्रतिशत होते हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) अयस्क की किस्म के आधार पर घटौती ४.९२ प्रतिशत से १०.८० प्रतिशत तक होती है ।

(घ) रेलवे भाड़े के सम्बन्ध में सामान्य माल पर लगाई गई १२ प्रतिशत की दर की तुलना में लौह अयस्क पर घटा हुआ रेलवे अनुपूरक प्रभार कुल भाड़े पर ५ प्रतिशत लगता है । राजस्थान से कांडला तक निर्यात के लिये भेजे गये घटिया किस्म के लौह अयस्क पर छूट भी दी जाती है अग्रेतर छूट की संभावना पर विचार किया जा रहा है । नौवहन भाड़े में कमी करने के लिये, भारी अयस्क जहाज़ संभाल सकने योग्य पत्तनों का विकास किया जा रहा है और भराई दर को बढ़ाने का भी उपबन्ध होगा ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाड़ा लौह अयस्क की कुल लागत का लगभग दो तिहाई होता है, क्या वे भारी जन उठाने वाले जहाजों को संभालने के लिये पत्तनों की क्षमता को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री मनुभाई शाह : जी हां, यह लौह अयस्क के निर्यात संवर्धन की वृहद् योजना में है जो मैंने सभा-पटल पर रखी है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मालवाहक जहाजों का आकार २० हजार टन से बढ़ कर प्राय ६५ हजार टन तक कर दिया जायगा और माल उतारने की क्षमता को वर्तमान क्षमता२० टन प्रति घंटे से बढ़ा कर प्रति घंटा २०००—२५०० टन तक बढ़ा दिया जायेगा के इस लिये हम लौह अयस्क के निर्यात की वृहद् योजना के समूचे विकास पर आगामी सात वर्षों में ३०५ करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : भारत का एक प्रतिनिधिमण्डल हाल ही में यूरोप के पूर्वी भागों में गया था—उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री मनुभाई शाह : पूर्वी यूरोप के दौरे के फलस्वरूप २१ लाख टन तक लोह अयस्क की अतिरिक्त बिक्री हुई है

श्री दासप्पा : चूंकि रेलवे भाड़े की कमी लोह अयस्क के निर्यात में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है, क्या वह रेलवे लाइनों की पुनर्व्यवस्था तथा विस्तार के लिये रेलवे मंत्री के साथ समन्वय कर के किया जा रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : पहली चीज गाड़ियों को डीजल से चलाना और भर कर चलाना है। बड़े किस्म के बाक्स वैगन जारी किये जा रहे हैं यह सारी पैक गाड़ी होगी यह डीजल इंजन के द्वारा चलेगी और ताकि इसे बीच के स्टेशनों पर न रुकना पड़े और सीधे पत्तन पर पहुंच जाय। सभी कार्रवाई की जा रही है। बहुत से परिवर्तन किये गये हैं लूप लाइनें बढ़ाई जा रही हैं कई स्थानों पर गेज को बदला जा रहा है, और कुछ मामलों में अतिरिक्त समानान्तर लाइनें बनाई जा रही हैं रेल परिवहन विकास कार्य पर १५० करोड़ से अधिक का कार्यक्रम है।

Shri H. C. Soy : Is the Minister aware that there is great difference between the internal transport facilities of Mines in Bihar and Orissa; and for that reason Bihar is at a great disadvantage ?

Shri Manubhai Shah : I am aware of it but the question has been very wide. Now it is apparent that if the distance from Rail head to pit head is more, transport charges will also be more. We are trying to rationalise and equalise freight as far as possible .

Shri H. C. Soy : I wanted to know as to why transport facilities created in Orissa area were greater than those available in Bihar.

Mr. Speaker : That is what he has explained.

श्री रंगा : : क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह मूल्य वास्तव में लोहे की कीमत की बहुत ही कम प्रतिशतता है, संसार के विभिन्न भागों में लोह अयस्क संभरणकर्ताओं के बीच अन्तर्राष्ट्रीय समझौता करने के लिये कोई प्रयास किया जा सकता है ताकि न्यूनतम उचित दाम कायम रखे जा सकें ?

श्री मनुभाई शाह : मुझे प्रसन्नता है कि मा० सदस्य ने यह अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। यह उन विषयों में से एक है, जिस का उल्लेख हमने जैनेवा में किया था संसार के सम्भरणकर्ताओं के बीच लोह अयस्क के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु का समझौता होना चाहिये।

श्री कपूर सिंह : जापान के अतिरिक्त, हमारे लोह अयस्क के लिये और कौन से विदेशी बाजार हैं और ब्राजील तथा स्वीडन की हाल की कार्रवाई के द्वारा किन पर सर्वाधिक कुप्रभाव पड़ा है ?

श्री मनुभाई शाह : हम संसार के ३७ देशों को लोह अयस्क बेच रहे हैं जापान हमारा प्रमुख क्रेता है। ५० प्रतिशत अयस्क जापान को जाता है शेष अयस्क पूर्वी यूरोपीय देशों और पश्चिम यूरोपीय देशों में जाता है और कुछ इंग्लैंड को।

अध्यक्ष महोदय : उन में से किस पर सर्वाधिक कुप्रभाव पड़ा है ?

श्री मनुभाई शाह : सर्वाधिक कुप्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं है यह बढ़ रहा है मैं कह सकता हूं कि कुछ स्थानों पर अन्य स्थानों की अपेक्षा प्रगति कम है और जापान में हम ने अधिक माल बेचा है परन्तु हमें कहीं भी हानि नहीं उठानी पड़ी ।

श्री दाजी : गोआ प्रदेश की खानों पर, लोह् अयस्क की कीमतें गिरने के कारण क्या कुप्रभाव हुआ है और गोआ प्रशासन द्वारा लोह् अयस्क के निर्यात के लिये नियत न्यूनतम कीमतें संसार बाजार की कीमतों की तुलना में कम हैं या अधिक ?

श्री मनुभाई शाह : जब गोआ भारत के साथ मिला, हमें आशंका थी कि लोह अयस्क के निर्यात में कमी हो जायगी परन्तु वह आशंका गलत सिद्ध हुई । निर्यात बढ़ा है न्यूनतम कीमतें कायम हैं और हम अधिक बेच रहे हैं ।

श्री नाम्बियार : क्या लोह् अयस्क क्षेत्र में खानों में छोटे पैमाने के संचालकों की अव्यवस्था उत्पादन की अधिक लागत के लिये उत्तरदायी है ?

श्री मनुभाई शाह : इस के कई कारण हैं जिन में से एक कारण यह अयस्क है जिस का मा० सदस्य ने उल्लेख किया है परन्तु ऐतिहासिक बातें एक दिन में ही उल्टाई नहीं जा सकतीं हम आधुनिकीकरण के द्वारा खनन के तरीके का वैज्ञानिकन करना चाहते हैं । अत लोह् अयस्क की निर्यात योजना में हमने खानों के आधुनिकरण के लिये प्रोत्साहन रखे हैं

श्री फिरोडिया : क्या विभिन्न मंत्रालयों में इस समस्या को निपटाने के लिये कोई उच्च सत्ता सम्पन्न समन्वयी निकाय है ?

श्री मनुभाई शाह : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय को लोह् अयस्क के निर्यात के लिये सभी दृष्टिकोणों से लोह् अयस्क को बढ़ाने का काम सौंपा है । एक अन्तर्मंत्रालय बोर्ड बनने वाला है जिसका सभापति सरकार के सचिव के स्तर का है, और नवीखान, परिवहन तथा रेलवे मंत्रालयों के तीन प्रतिनिधि उस में होंगे । इन चारों व्यक्तियों का उच्च शक्ति सम्पन्न अन्तर्मंत्रालय बोर्ड बनेगा और प्रत्येक अधिकारी का दर्जा सरकार के सचिव या अतिरिक्त सचिव का होगा । वे सभी पहलुओं का पर्यवेक्षण एवं समन्वय करेंगे । निस्सन्देह कार्यान्वयन नत सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा किया जायगा परन्तु बोर्ड कार्य का समन्वय करेगा

डा० सरोजिनी महिषी : क्या लोह् अयस्क की उच्च उत्पादन लागत का कारण भी यह है कि लोहा अयस्क महंगे दामों पर ढोया जाता है और विभिन्न पत्तनों पर भेजा जाता है । उदाहरणार्थ बेलारी का लोह् अयस्क बम्बई और मद्रास को भेजा जाता है ?

श्री मनुभाई शाह : वास्तव में, हम यह कर रहे हैं कि प्रत्येक क्षेत्र का विकास करने के लिये बहुत प्रादेशिक दबाव डाला जा रहा है, जो स्वाभाविक है, परन्तु साथ ही हमें बाध्य हो कर लागत कम करने के लिये अयस्क को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजना पड़ता है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच है कि मंत्री का २५० से ३०० लाख टन लोह अयस्क का निर्यात करने का विचार है और क्या खान मंत्रालय ने उन को यह आश्वासन दिया है कि वह इस काम को कर सकेंगे ?

श्री मनुभाई शाह : जी हां ।

श्री जोकिम आल्वा : भाग (घ) के सम्बन्ध में, क्या खनन बोर्ड ने कोई निर्णय या सिफारिश की है कि यदि वेल्लारी से लौह अयस्क हुबली–कारवार तक ले जाया जा सकता, यदि कारवार पत्तन का विकास किया जाये और यदि हुबली से कारवार तक रेलवे लाइन का निर्माण कर दिया जाये, तो परिवहन सस्ता होगा और भाड़े बहुत कम होंगे ?

श्री मनुभाई शाह : यह अत्यधिक समस्याजनक प्रश्न है । साथ ही हम उस विशिष्ट अनुभाग को मेटर गेज के द्वारा मिला रहे हैं । ये सुझाव आये हैं कि यह ब्राड गेज होनी चाहिये । परन्तु उस क्षेत्र की उपलब्धि ने यह सिद्ध नहीं किया कि आर्थिक दृष्टि से यह लाभदायक होगा कि उस अनुभाग को बदलने के लिये और अधिक व्यय किया जाये । परन्तु मैं माननीय सदस्य तथा सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि जहां मिलाने वाले अन्तर को जोड़ने की जरूरत होगी हम सब से पहले उस काम को अग्रता प्रदान करेंगे ।

छोटी कोयला खानों का विलय

***११५९. श्री यशपाल सिंह** : क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय खनन संस्था के सुझाव के अनुसार छोटी कोयला खानों के विलय के लिए एक विधान पेश करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय खनन संघ ने इसके विपरीत विचार व्यक्त किये हैं; और

(ग) मामले में अन्तिम निर्णय कब ले लिया जायेगा ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). अपने अपने वार्षिक समारोहों में दिये गये अपने भाषणों में भारतीय खनन संस्था तथा भारतीय खनन संघ के प्रधानों ने इस बात का उल्लेख किया है कि छोटी कोयला खानों की संख्या बहुत अधिक है । भारतीय खनन संस्था के प्रधान ने बड़े आकार वाले लाभदायक एककों के महत्व के बारे में अपने विचार व्यक्त किये तथा इसके विपरीत भारतीय खनन संघ के प्रधान ने इस बात पर बल दिया कि कोयला पैदा करने वाले छोटे एककों का भी भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना स्थान है ।

यद्यपि सम्बन्धित पक्षों द्वारा तकनीकी रूप से सुदृढ़ योजनायें प्रस्तुत किये जाने पर स्वैच्छिक रूप से आपस में विलय की अनुमति दी गई है, तथापि सरकार ने छोटी कोयला खानों के अनिवार्य रूप से विलय के हेतु किसी विधान बनाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है । मामला सरकार के विचाराधीन है ।

Shri Yashpal Singh : How much time the Amalgamation Committee would take to dispose of more than 400 cases pending with it ?

Shri P.C. Sethi : Efforts are being made to dispose of these cases as quickly as possible. The difficulty is that out of 49 cases so far approved by the committee, amalgamation has been possible only in 32 cases.

Shri Yashpal Singh : On the one hand, Government have been advocating that they are orientating the employment in the Third Five Year Plan while on the other, by amalgamation of small collieries they have been throwing lakhs of labourers out of employment. What would be the fate of these labourers ?

Shri P. C. Sethi : In this Committee, which also comprised members of both the associations, it was decided that a smaller economic unit with a capacity of 10,000 tons or 7,000 tons should be formed and accordingly all the uneconomic units should be amalgamated. All this is being done on the basis of the report submitted by a Committee headed by Shri Balwantrai Mehta ?

श्री जसवन्त मेहता : क्या सरकार ने विलय के बारे में कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है ताकि उत्पादन तथा नियोजन क्षमता को हानि न पहुंचे ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : अभी तक तो केवल स्वैच्छिक रूप से विलय का कार्यक्रम चलता आ रहा है परन्तु कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई है। अतः अब हमें सारी स्थिति पर पुनः विचार करना पड़ेगा और यदि लाभकारी उत्पादन के प्रयोजनार्थ विलय आवश्यक हुआ, तो कुछ सीमा तक अनिवार्य विलय करना ही पड़ेगा।

श्री कृ० चं० पन्त : विलय समिति द्वारा इतनी धीमी गति से मामलों का निपटारा किये जाने के क्या कारण हैं और इन मामलों के शीघ्र निपटारे के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : आवेदन-पत्र देने के बाद सम्बन्धित पक्ष बाद में फिर सोच विचार में पड़ जाते हैं। इसीलिये इन मामलों का शीघ्र निपटारा नहीं हो सका है। परन्तु फिर भी ४६ प्रस्तावों में से ३२ प्रस्तावों का निपटारा किया जा चुका है और केवल १७ मामले लम्बित हैं। छोटी कोयला खानों के मालिकों ने आपस में विलय करने के मामले में कोई भी उत्साह नहीं दिखाया है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : इस बात को देखते हुए कि स्वैच्छिक विलय की योजना असफल सिद्ध हुई है और विलय करने का यह प्रश्न गत ३ अथवा अधिक वर्षों से सरकार के विचाराधीन चलता आ रहा है, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार किस बाधा के कारण अभी तक इस मामले में किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जैसा कि मैंने बताया, मामला सरकार के विचाराधीन है। पहिले यह निर्णय किया गया था कि तीन या चार वर्ष तक यह देखा जाय कि स्वैच्छिक विलय कहां तक काम करता है और यह सोचा गया था कि तीसरी योजना के तीसरे वर्ष में पुनः मामले को हाथ में लिया जाय। अब इस कार्य को हाथ में ले लिया गया है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह स्वैच्छिक विलय गैर-सरकारी समवायों के बीच हुआ है अथवा सहकारी समितियों के ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : गैर-सरकारी समवायों के बीच।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार इस बात को महसूस करती है कि यह एक विचित्र अनियमितता है कि एक ऐसे देश में जहां कि ८५० से भी अधिक कोयला खानें हैं, हमारा कोयले का उत्पादन केवल ६ करोड़ ९० लाख टन से लेकर ७ करोड़ टन है ? यदि हां, तो क्या स्वैच्छिक विलय की दिशा में अब तक हुई प्रगति को देखते हुए सरकार का यह विचार है कि अब फौरन ही किसी प्रकार के अनिवार्य विलय के बारे में कार्यवाही की जाय ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां । मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं कि इसका कोई न कोई हल ढूंढना ही पड़ेगा । हम इस बात को सहन नहीं कर सकते कि ६ करोड़ या ७ करोड़ टन कोयले के उत्पादन के लिये ८५० कोयला खानें हों । सरकार का यह इरादा है कि पहिले कोकिंग कोयले की समस्या हल की जाय और उसके बाद दूसरी प्रकार के कोयले की ।

श्री रंगा : क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विलय के बारे में कोई योजना तैयार की है ? यदि हां, तो क्या सरकार की योजनाओं में यह चीज भी शामिल है कि उन मजदूरों को, जो कि विलय के परिणामस्वरूप बेरोजगार हो जायेंगे, वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करने के लिये क्या आवश्यक कदम उठाये जायें ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरा विचार ऐसा नहीं है कि विलय से बेरोजगारी होगी ।

Shri Sheo Narain : What arrangements would be made by Government for the employment of those workers who would be rendered unemployed as a result of amalgamation ?

Mr. Speaker : It has already been ansewered...

भारत में चेकोस्लोवाकिया का व्यापार शिष्टमण्डल

\+

*११६०. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही चेकोस्लोवाकिया का एक व्यापार शिष्टमंडल भारत आया था; और

(ख) यदि हां, तो इस दल के दौरे के कारण भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच व्यापार के बढ़ने की संभावनाओं में कितना सुधार हुआ है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

जी, हां । चेकोस्लोवाकिया के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के वाइस-मिनिस्टर, श्री फ्रानटिसेक की अध्यक्षता में वहां का एक व्यापार शिष्टमंडल मार्च, १९६४ में भारत आया था । भारत से निर्यात के लिये उपलब्ध उपभोक्ता वस्तुओं की समस्त किस्मों का विस्तृत सर्वेक्षण करने तथा नई उपभोक्ता वस्तुओं, जैसे डिब्बों में बन्द फल, रस, मछली और इसके उत्पाद, औरतों की

चप्पलें, जूते, सिगरेट तथा रेज़र ब्लेड, की खरीद की सम्भावनाओं की खोज करने के उद्देश्य से यह शिष्टमंडल यहां आया था। व्यापार शिष्टमंडल ने सूती कपड़े तैयार पोशाक, जुराबें,, पुलोवर्स, स्वेटर, बुनाई वाली ऊन और धागे आदि में भी अभिरुचि प्रदर्शित की है। यद्यपि उनके द्वारा की गई जांच पड़ताल के परिणामों के बारे में अभी कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता, फिर भी यह आशा है कि उनकी इस यात्रा के परिणामस्वरूप उपरोक्त किस्म की नई वस्तुओं का भारी मात्रा में चेकोस्लोवाकिया को निर्यात किया जायेगा।

Shri Yashpal Singh : Do the Government have the details to show the quantity of goods exported by us to Czechoslovakia. Which are again re-exported to China from there ?

Shri Manubhai Shah : I am fully confident that nothing goes there. The House is aware of the nature of relations between them now-a-days.

Shri Yashpal Singh : Which kind of goods produced in this country are in great demand in Czechoslovakia ?

Shri Manubhai Shah : I have stated the names in detail in my reply. I can repeat the same. These are : tea, coffee, jute, goods, coir yarn, goats skin, tanned hides and skins, iron ore, manganese ore, cashew kernel, oil cakes, engineering goods, chemicals and pharmaceuticals etc.

श्री कपूर सिंह : चेकोस्लोवाकिया को जो हम कुल निर्यात कर रहे हैं उसमें निर्मित माल का कितना अंश है ?

श्री मनुभाई शाह : हमारे द्वारा किये जाने वाले कुल निर्यात में इस समय ६२ प्रतिशत अंश निर्मित माल का है। निर्यात की राशि १९६० में ५ करोड़ रुपये थी और चालू वर्ष में यह राशि २० करोड़ है।

Shri Onkar Lal Berwa : Would we have trade with Czechoslovakia on foreign exchange basis or on barter system ?

Shri Manubhai Shah : On barter basis.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : इस शिष्टमंडल द्वारा सर्वेक्षण किये जाने के बाद क्या हमारी सरकार ने किसी करार को अन्तिम रूप दिया है और यदि हां, तो यह करार कब से कार्य रूप लेगा ?

श्री मनुभाई शाह : अभी तक चेकोस्लोवाकिया को इस बात का संदेह था कि भारत इंजीनियरी तथा आधुनिक माल अथवा मशीनों का संभरण कर भी सकता है या नहीं। परन्तु इस हाल के दौरे से उनको यह विश्वास हो गया है कि भारत उनको इन चीजों का संभरण करने की स्थिति में है तथा उनकी यात्रा से यही परिणाम निकलेंगे।

श्री तुलशीदास जाधव : जो माल हम चेकोस्लोवाकिया भेजते हैं, उसके बदले में वहां से किन वस्तुओं का आयात किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह विवरण में दिया हुआ है।

श्री मनुभाई शाह : ऐसी वस्तुओं की संख्या ८० है। मोटे तौर पर वे ये हैं: पावर टर्बाइन, ट्रांसफार्मर, बड़ी औद्योगिक मशीनें, उर्वरक तथा विभिन्न अन्य प्रकार की वस्तुएं।

जहाज तोड़ने का उद्योग

+

*११६१. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री प्र० चं० बर्मन :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में जहाज़ तोड़ने का उद्योग स्थापित करने के लिए कोई प्रयत्न किये गये हैं;

(ख) क्या 'लिबर्टी जहाजों' के स्क्रैप तथा अन्य बेकार जहाजों को तोड़ा जा सकता है जिससे जहाज की प्लेटों का तटीय नौवहन के लिए छोटी नावें बनाने, बजरा बनाने तथा मछली पकड़ने की नौकाओं के लिये उपयोग किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो क्या हल्दिया में ऐसा उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

मुझे यह बताया गया है कि बेकार जहाजों से जो प्लेटें निकाली जाती हैं वे तटीय नौवहन के लिये छोटी नावें, बजरे तथा मछली पकड़ने की नौकाओं को बनाने के लिये उपयुक्त नहीं हैं । ऐसी प्लेटों को पुनर्वेल्लित किये जाने के लिये केवल रद्दी लोहे (स्क्रैप) के रूप में ही बेचा जा सकता है । मूल सामग्री के अधिक मात्रा में उपलब्ध होने के कारण, औद्योगिक रद्दी लोहे (स्क्रैप) की मांग भी गिर गई है इसके अतिरिक्त, जहाजों को तोड़ने से जिस प्रकार का रद्दी लोहा उपलब्ध होगा उसे देश की केवल कुछ ही वेलन मिलें काम में ला सकती हैं । इन बेकार जहाजों के मूल्य का भुगतान करते समय विदेशी मुद्रा भी देनी पड़ती है । इन परिस्थितियों में, देश में जहाज तोड़ने का उद्योग स्थापित करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया है ।

हल्दिया में ऐसा एक उद्योग स्थापित करने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री सुबोध हंसदा : विवरण से मैं यह समझता हूं कि इन प्लेटों की यहां पर मांग है । इस समय पुनर्वेलन मिलों द्वारा कुल कितनी मात्रा में रद्दी लोहे (स्क्रैप) का उपयोग किया जा रहा है ?

श्री कानूनगो : जहाजों को तोड़ने से जो रद्दी लोहा (स्क्रैप) उपलब्ध होगा वह हमारे देश में किसी उपयोग का नहीं होगा ।

श्री सुबोध हंसदा : विवरण में यह कहा गया है कि . . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । बहुत बातचीत की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप कार्यवाही में बाधा पड रही है । क्या कहा जा रहा है वह मैं नहीं सुन पा रहा हू ।

श्री सुबोध हंसदा : विवरण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रद्दी लोहे (स्क्रैप्स) के उपयोग किये जाने के लिये उसकी मांग है। देश में रद्दी लोहे (स्क्रैप्स) की कुल मांग कितनी है?

श्री कानूनगो : इस विशेष प्रकार के रद्दी लोहे (स्क्रैप) की कोई मांग नहीं है।

श्री सुबोध हंसदा : यह कहा गया है कि इसे प्राप्त करने के लिये विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ता है। क्या ऐसे कोई मामले हुए हैं जिन में इन बेकार जहाजों को खरीदने के लिये सरकार को विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ा हो?

श्री कानूनगो : जी, हां; ऐसे कुछ प्रस्ताव हुए हैं। परिवहन मंत्रालय जहाजों को तोड़ने के उद्योग को स्थापित करने के पक्ष में नहीं है।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स कारखाना, भोपाल

\+
*११६५. { **श्री द्वारका दास मंत्री :**
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भोपाल के हैवी इलैक्ट्रिकल्स कारखाने के प्रबन्ध के लिये एक अलग कम्पनी बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस निर्णय के क्या कारण हैं?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा दिया गया है।

विवरण

इस समय हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड विद्यमान हैवी इलैक्ट्रिकल फैक्ट्री, भोपाल तथा उसके नये एककों, अर्थात् हैवी इलैक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्रोजेक्ट, हरद्वार, हैवी पावर इक्विपमेंट प्रोजेक्ट, हैदराबाद और हाई प्रैशर बायलर प्लान्ट, तिरुची का प्रबन्ध कर रही है। इसके उत्तरदायित्व बढ़ते जा रहे हैं तथा प्रशासन, श्रम, निर्माण और उत्पादन की समस्यायें कई प्रकार की हैं। एक अकेली प्रबन्धक संस्था शायद इन सब बड़े बड़े एककों के प्रशासन को न चला सके। इसलिये यह निर्णय किया गया है कि हैदराबाद, हरद्वार और तिरुची की नई हैवी इलैक्ट्रिल परियोजनाओं की क्रियान्विति को एक नई कम्पनी को सौंप दिया जाये, जो कि बनाई जायेगी। इस कम्पनी के निदेशक बोर्ड की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है।

Shri D. D. Mantri : For what reasons Govt. had to take this decision of forming a separate company?

Shri P. C. Sethi : The Heavy Electricals Company was heavily loaded with work and it was to manage Heavy Electric Equipment Project, Hardwar and Heavy Power Equipment Project, Hyderabad also and as such a separate company was required to be formed.

Shri D. D. Mantri : Do Government propose to establish separate companies for other heavy industries also ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह प्रश्न इस मूल प्रश्न से नहीं उठता । यह एक नई कम्पनी बनाये जाने के सम्बन्ध में है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या अलग कम्पनियों के बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जब कभी यह आवश्यक होता है किया जाता है । हिन्दुस्तान स्टील्स लिमिटेड के मामले में बोकारो स्टील कम्पनी की स्थापना की गई है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : एक अकेली प्रबन्ध समवाय द्वारा कितना कार्य किया जा सकता है क्या इस बारे में कोई विस्तृत अध्ययन किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या ब्यौरे हैं ? क्या विस्तृत अध्ययन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है अथवा केवल अनुमान के आधार पर ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : यह अनुभव के आधार पर लिया गया है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : जोकि अनुमान का दूसरा नाम है ।

श्री स० मो० बनर्जी : हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के हरद्वार, हैदराबाद और तिरुची स्थित तीन एककों के प्रबध के लिये एक नई कम्पनी बनाने के अतिरिक्त क्या सरकार ने औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में कोई निश्चित नीति निर्धारित की है जिससे कि अन्य सयत्रों का कार्य सुचारु रूप से चल सके ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह प्रश्न एक नई कम्पनी बनाये जाने के बारे में है ।

श्री जोकिम अल्वा : भोपाल हैवी इलैक्ट्रिकल्स एक बहुत बड़ी परियोजना है । जबउसकी निदेशकता तथा प्रबन्ध के बारे में इतनी गड़बड़ी हुई हैं तो आप अन्य एककों के लिये एक अलग कम्पनी बनाने जा रहे हैं । भोपाल के अतिरिक्त हरद्वार, हैदराबाद और तिरुची में निर्माण के लिये एक अकेला एकक क्यों नहीं बनाया जा सकता ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसे क्यों अलग किया गया है इसका उत्तर मैंने दे दिया है ।

Shri Yashpal Singh : Government have closed the Bhopal Heavy Electricals Factory on their own. What was the extent of loss in production as a result of this factory having been closed ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे विचार में यह एक पृथक प्रश्न है ।

श्री दाजी : क्या अनुभव के आधार पर यह बात जानी गई है कि किसी संयंत्र का कार्य विभिन्न निगमों के अधीन होने की अपेक्षा केवल एक ही निगम के अधीन होने पर अधिक चारु रूप से चलता है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह बात संयंत्र के आधार पर निर्भर करती है। यदि संयंत्र बड़ा है और उसमें विभिन्न वर्गों की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो कदाचित् एक अकेली प्रबन्धक यूनिट के अधीन वह अधिक अच्छा कार्य करेगा।

श्री रंगा : इस प्रकार इनकी कोई निर्धारित नीति नहीं है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि भोपाल हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा उचित प्रबन्ध न किये जाने के कारण ही हरद्वार, हैदराबाद और तिरुची परियोजनाओं के लिये एक अलग कम्पनी बनाने की आवश्यकता पड़ी है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जैसा कि मैं बता चुका हूं, इसके प्रबन्धकों को इन तीन संयंत्रों के निर्माण तथा इस संयंत्र के चलाने दोनों ही बातों पर ध्यान देना पड़ता है। यह संयंत्र स्वयं भी बहुत बड़ा है। इसलिये हम ने यह सोचा कि इस कार्य से उठने वली अनेक समस्याओं पर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित करने के लिये एक अलग प्रबन्धक कम्पनी बनाने से कार्य अधिक सुचारु रूप से चल सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई माननीय सदस्य अब किसी विशेष प्रश्न को लेना चाहते हैं ?

श्री रंगा : जब प्रश्न संख्या ११६५ चल रहा था तो हम हैवी इलैक्ट्रिकल्स भोपाल में हुई हड़ताल के बारे में प्रश्न पूछना चाहते थे। परन्तु तब माननीय मंत्री ने यह कहा कि इस विषय पर आज ही एक दूसरा प्रश्न आने वाला है। यह आदेश पत्र में भी दिया हुआ है। दुर्भाग्यवश, जिस माननीय सदस्य ने इसकी सूचना दी थी वह अनुपस्थित थे और इसलिये यह प्रश्न नहीं लिया गया। यह प्रश्न ११६६ है--हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में हड़ताल।

अध्यक्ष महोदय : हां, इसका उत्तर दिया जाये।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में हड़ताल

*११६६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में हाल में ही हुई हड़ताल के परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : १८ मार्च से २८ मार्च, १९६४ तक कार्य के बार बार रुक जाने और ३० मार्च से १७ अप्रैल, १९६४ तक भोपाल संयंत्र के बन्द रहने के परिणामस्वरूप उत्पादन में लगभग १ करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

श्री नाथ पाई : क्या यह सच है कि इस फर्म में नियुक्त किये गये प्रविधिक परामर्शदाताओं ने यह अनुमान लगाया है कि इस कारखाने में हड़ताल सम्बन्धी गड़बड़ी प्रारम्भ होने से पहले भी इसके कार्यकरण और प्रबन्ध में बहुत से दोषों और कमजोरियों के होने के कारण उसका उत्पादन निर्धारित क्षमता का केवल ७० प्रतिशत था ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं यह तो नहीं कह सकता कि इसका प्रबन्ध शत प्रतिशत सुचारु रूप से चल रहा था परन्तु वहां पर मुख्य गड़बड़ी

श्रम सम्बन्धी कठिनाई तथा अनुशासनहीनता रही है। इसके कारण इस संयंत्र के कार्यकरण में बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। यही कारण है कि इसने पूरी निर्धारित क्षमता पर कार्य नहीं किया जा सका; परन्तु फिर भी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों और परामर्शदाताओं द्वारा निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों को देखते हुए हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। वास्तव में परामर्शदाताओं ने एक बहुत ही परिमित लक्ष्य निर्धारित किया है और हम ने उसे फिर से निर्धारित किया है।

श्री शिकरे : प्रश्न संख्या ११६० के बारे में, मैं यह जानना चाहता हूं कि . .

अध्यक्ष महोदय : ११६० के बारे में ? श्री एस० एम० बनर्जी।

श्री स० मो० बनर्जी : समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार संयंत्र ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है और उत्पादन शुरू हो गया है। क्या मंत्री महोदय ने कर्मचारियों की उस मुख्य मांग पर विचार किया है जिसके लिये उत्तेजना फैली थी, अर्थात् यह कि उन का महंगाई भत्ता केन्द्रीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार दिया जाये। इस पर उन की क्या प्रतिक्रिया है और क्या इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किये गये हैं अथवा किये जाने की संभावना है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वास्तविक कठिनाई यह थी कि हेस्ट यूनियन जिसने कि यह मांग की थी कि एक प्रतिनिधि यूनियन नहीं है। केवल प्रतिनिधि यूनियन ही श्रमिकों की सारी हालत के बारे में कोई मांग रख सकती है। परन्तु यह प्रश्न प्रबन्धकों के विचाराधीन है कि विभिन्न कर्मचारियों को उचित महंगाई भत्ता दिया जा रहा है अथवा नहीं।

श्री दाजी : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कारखाने के फिर से खुल जाने और फिर से उत्पादन प्रारम्भ हो जाने के बाद भी १०० कर्मचारियों से अधिक अभी तक जेल में बन्द हैं और १०० से कुछ अधिक कर्मचारियों को पदच्युत कर दिया गया है और यथाथतः वहां पर भय का साम्राज्य छाया हुआ है ? क्या सामान्य स्थिति लाने के लिये सरकार कोई कार्यवाही करेगी जिस से कि सामान्य उत्पादन जारी रखा जा सके ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करेगा तो विधि अनुसार कार्यवाही करनी पड़ेगी। वे जेल में क्यों बन्द हैं यह एक न्याय सम्बन्धी मामला है जोकि न्यायालय में चल रहा है। मैं समझता हूं कि न्यायालय इस का निर्णय करेंगे।

श्री दाजी : यह जानकारी बिल्कुल गलत है। न्यायालयों में कोई ऐसा मामला लम्बित नहीं है और इसलिये न्यायालय इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। उन्हें भारत प्रतिरक्षा नियमों और भारतीय दण्ड संहिता की धारा १५१ के अधीन नजरबन्द किया गया है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : केवल कुछ ही मामले ऐसे हैं जिन में लोगों को नजरबन्द रखा गया है ; अन्य मामलों में उन्हें भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन किये गये अपराधों के लिये जेल में बन्द किया गया है। उन पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं।

Shri Yashpal Singh : The hon. Minister has stated that estimated loss of production is Rs. 1 crore approximately. May I know as to who has been held responsible for this and what action has been taken against him ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह एक ऐसा उपक्रम है कि जब यहां इस प्रकार के श्रमिक विवाद खड़े होंगे तभी ऐसी हानियां होंगी और हमें उन को सहन करना पड़ेगा ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि कुछ स्वामिभक्त कर्मचारियों को अब भी दूसरे प्रतिस्पर्द्धी संगठन, जिसने यह हड़ताल करवाई थी, के नेताओं द्वारा डराया-धमकाया जा रहा है ; और यदि ऐसी बात है तो इन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : डराये-धमकाये जाने के आरोप भी लगाये गये थे । इन आरोपों के कारण ही कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और कानून अब इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : Has the attention of the Government been drawn to the statement of the Chief Minister of Madhya Pradesh to the effect that Chinese sponsored group of Communist Party was responsible for this strike and it is they who organise such strikes in public undertakings ? Are any steps being taken to prevent such activities of that group ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इन मामलों में राज्य सरकारों को ही अधिक जानकारी होगी जिनके अधिकारी उन स्थलों पर होते हैं और जो इन बातों को अधिक अच्छी तरह जान सकते हैं । उन की जानकारी यह है कि साम्यवादी दल के पेकिंग ग्रुप के कुछ लोगों ने यह हड़ताल करवाई थी । मैं समझता हूं कि उनका अनुमान सही है ।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहती हूं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री रंगा ।

श्री नाथ पाई उठे—

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री नाथ पाई को पहले अनुमति दे चुका हूं ।

श्री नाथ पाई : हमारी इस मामले में कुछ रुचि है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री रंगा ।

श्री रंगा : जो अनुभव हमें हुआ है उसको दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार एक ऐसी श्रम नीति बनाने का प्रयत्न कर रही है, जैसाकि हम में से बहुत से सदस्यों ने इस सदन में सुझाव दिया था, जिससे कि रोजगार देने वाले प्राधिकार और सम्बन्धित श्रमिकों के बीच अधिक सहयोग तथा अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो सके और क्या सरकार इस बात की भी जांच करेगी कि यह हड़ताल और गड़बड़ियां किन कारणों से और किस प्रकार से हुई थीं जिस के परिणामस्वरूप ताला-बन्दी हुई, जिससे कि हमें यह पता लग सके कि इसके लिये कौन अधिक उत्तरदायी था और उन पर किस प्रकार निगरानी रखी जाये ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक ताला-बन्दी के कारणों का सम्बन्ध है वे सब को अच्छी तरह से ज्ञात हैं । इस का मुख्य कारण यूनियन से सम्बन्ध रखने वाले श्रमिकों की अनुशासनहीनतापूर्ण

कार्यवाहियां थीं। जहां तक श्रम नीति का सम्बन्ध है, सबसे पहले हमें यह मालूम करना होगा कि क्या वर्तमान नीति गलत है अथवा उसकी क्रियान्विति गलत ढंग में हो रही है ; और दरअसल हमें प्रत्येक औद्योगिक एकक में अधिक अच्छे सम्बन्ध तो स्थापित करने ही होंगे।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : अब जब सरकार को यह मालूम ही हो गया है कि इस विशेष परियोजना में पेंकिंग ग्रुप गड़बड़ी करवा रहा है, तो यहां पर और अन्य स्थानों पर इस से किस प्रकार निपटने का सरकार का विचार है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी जानकारी के आधार पर बहुत से व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। कदाचित उन्होंने उन लोगों को इसी जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया है और जो बहुत से लोग जेल के अन्दर हैं वे इसी ग्रुप के हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर गया है कि हैस्ट यूनियन के तीन प्रतिनिधि यहां पर आये थे और अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये कुछ संसद्-सदस्यों से मिले थे और जैसे ही वह संसद् भवन परिसरों से बाहर गये तैसे ही उन्हें भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया और यदि हां ; तो क्या वे लोग केन्द्रीय मंत्री के कहने पर गिरफ्तार किये गये थे अथवा राज्य सरकार के कहने पर ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे खेद है कि मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा निवेदन यह है कि . . . .

अध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। फिर मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री स० मो० बनर्जी : यह और भी अधिक गम्भीर बात है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने एक ध्यान दिलाने की सूचना दी थी और वह कहीं इधर उधर हो गई होगी।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। मैंने उसे अस्वीकार कर दिया था क्योंकि वह उस राज्य की विधि और व्यवस्था के सम्बन्ध में थी। उन्हें राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये वारन्ट पर पकड़ा गया था।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे सूचना नहीं दी गई।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अगला प्रश्न ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरी यह प्रार्थना है कि प्रश्न संख्या ११६६ को लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

भारतीय खान ब्यूरो

+

*११६६. { श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खान ब्यूरो के कोयला अनुभाग (सैक्शन) को नागपुर से रांची ले जाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे लगभग १००० कर्मचारियों के रोजगार तथा सेवा शर्तों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) अब तक भारतीय खान ब्यूरो के कितने कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस दिये जा चुके हैं ; और

(घ) क्या कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी : (क) कोयला निकालने के कार्य को, जोकि अब तक राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की ओर से भारतीय खान ब्यूरो द्वारा किया जा रहा था, इस निगम ने १ अप्रैल, १९६४ से अपने हाथ में ले लिया है।

(ख) से (घ). भारतीय खान ब्यूरो की कोयला योजना के किसी भी अनाकास्मिक कर्मचारी को फाल्तू घोषित नहीं किया गया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे बहुत से कार्यभारित कर्मचारी और आकस्मिक श्रमिक हैं जोकि कोयला निकालने के क्षेत्र में गत १० या १२ वर्षों से कार्य कर रहे हैं, क्या सरकार की नीति इन लोगों को स्थायी करने की नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में कोयला निकालने का काम और भी अधिक मात्रा में किया जायेगा ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : १२०० आकस्मिक श्रमिक हैं जिन में से ७०० प्रवीण तथा अर्द्ध-प्रवीण श्रमिक हैं और ५०० अप्रवीण श्रमिक हैं। इन ७०० प्रवीण और अर्द्ध-प्रवीण श्रमिकों को खपाने का सरकार का इरादा है। परन्तु अदक्ष श्रमिकों के मामले में कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें अन्य किसी स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को देखते हुए कि मध्य प्रदेश में तथा अन्य स्थानों पर कोयला निकालने का कार्य को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम अपने हाथ में ले रहा है, क्या यह सम्भव नहीं है कि केरल तथा भारत के अन्य भागों से आने वाले इन महा दरिद्री लोगों को जो राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में अनेकों वर्षों से कार्य कर रहे हैं सेवा में बनाये रखा जाये ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक सम्भव होगा, उन्हें खपाया जायेगा। परन्तु मैं यह आश्वासन नहीं दे सकता कि वे सभी के सभी खपा लिये जायेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि इन आकस्मिक श्रमिकों ने कुछ मामलों में एक या दो वर्ष भी नौकरी पूरी करली है और कुछ मामलों में कम से कम ६ महीने की नौकरी पूरी कर

ली है और क्या इन श्रमिकों को नौकरी से निकालने से पहले अनाकस्मिक श्रमिक नहीं बनाया गया था, और यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और क्या इन लोगों को अदक्ष श्रमिकों के सांझा पूल में सम्मिलित किया जायेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : 'आकस्मिक श्रमिक' का अर्थ यह है कि जब कभी आवश्यकता होती है तभी उन्हें रोजगार पर लगा लिया जाता है। कार्य समाप्त होने पर इन लोगों को रोजगार में रखने का भार हम नहीं कर सकते। परन्तु यदि कार्य होगा तो निश्चय ही हम इन लोगों को नौकरी पर लगा लेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मसालों का निर्यात

*११५२. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री प० कुन्हन : }

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री १३ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसालों का निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से सुविधायें देने के लिये विशेष निर्यात संवर्धन योजना पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ख). योजना पर अन्तिम निर्णय मसाला निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा आधार-सामग्री दिये जाने के पश्चात् किया जायेगा। परिषद् इस समय आधार-सामग्री इकट्ठा करने में लगी हुई है।

इंजीनियरिंग उद्योग के लिये सुमेल इस्पात

*११६२. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग उद्योग में सुमेल इस्पात की अत्यधिक कमी जारी है ;

(ख) यदि हां, तो संभरण स्थिति सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या सुमेल इस्पात की ५०० से अधिक वर्तमान किस्मों को कम करने के लिये कोई युक्तिकरण योजना विचाराधीन है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). जी, हां। सरकार ने आयात द्वारा तथा सुमेल वर्तमान किस्मों का युक्तिकरण कर के कमी को पूरा करने के लिये कार्यवाही की है। किस्मों के युक्तिकरण के सम्बन्ध में विभिन्न प्रस्तावों/सिफारिशों की जांच करने के लिये गत वर्ष संबंधित हितों की एक छोटी समिति स्थापित की गई थी। समिति प्रतिवेदन पर अन्तिम विचार कर रही है और शीघ्र ही प्रतिवेदन दे देगी।

रूरकेला इस्पात कारखाना

***११६३. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक जर्मन तकनीकी दल ने रूरकेला इस्पात कारखाने के निर्बाध चलने के सम्बन्ध में कुछ उपायों का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने उनको स्वीकार कर लिया है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). जी, हां। जर्मन तकनीकी दल, जिसने जनवरी १९६४ में रूरकेला का दौरा किया था, संयंत्र के संचालन और संधारण से काफी संतुष्ट था। तकनीकी दल का प्रतिवेदन अभी प्राप्त हुआ है और वह विचाराधीन है।

इस्पात कारखानों के लिए लौह अयस्क का संभरण

***११६७. श्री महेश्वर नायक :** क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में प्रत्येक में इस समय लौह अयस्क की कितनी खपत है, तथा जब कारखाने अपनी पूरी विस्तृत क्षमता के अनुसार काम करने लगेंगे तब कितनी खपत बढ़ जाने का अनुमान है ;

(ख) प्रत्येक कारखाने को लौह अयस्क किन स्रोतों से संभरित होता है ; और

(ग) ये कारखाने किस समय तक लौह अयस्क के संभरण के सम्बन्ध में बाह्य स्रोतों पर निर्भर नहीं रहेंगे ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) इस समय भिलाई और दुर्गापुर में लगभग २३ लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क का उपभोग होता है। रूरकेला का उपभोग लगभग १४ लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। अनुमान लगाया गया है कि तीसरी योजना के अधीन विस्तार कार्य के पूरा हो जाने पर भिलाई के कारखाने के लिये ४५ लाख मीट्रिक टन, दुर्गापुर के कारखाने के लिये ३३ लाख मीट्रिक टन और रूरकेला के कारखाने के लिये २७ लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क की आवश्यकता होगी।

(ख) भिलाई कारखाना अपनी सारी आवश्यकता धल्ली राझारा खानों से पूरा करता है, दुर्गापुर का कारखाना बोलानी और बड़ाजामदा क्षेत्र से और रूरकेला का कारखाना बसुआ और बड़ाजामदा क्षेत्र से।

(ग) दुर्गापुर और रूरकेला के कारखाने अपने उच्च श्रेणी के लौह अयस्क की कुछ आवश्याकतायें बड़ाजामदा क्षेत्र से पूरा करते रहेंगे।

दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार करार

*११६८. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही दक्षिण कोरिया के साथ दीर्घकालीन व्यापार करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ; और

(ग) उस देश से किन वस्तुओं का आयात किया जायेगा तथा कौन-कौन सी वस्तुएं वहां भेजी जायेंगी ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). तथापि, दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन व्यापार करार के सम्बन्ध में जनवरी १९६४ में नई दिल्ली में एक दक्षिण कोरिया व्यापार मंडल के साथ बातचीत की गई थी और इस सम्बन्ध में एक स्मारकपत्र तैयार किया गया था जिसमें प्रस्तावित व्यवस्था के बारे में बताया गया था। जिन वस्तुओं के आदान प्रदान का प्रस्ताव है वे ये हैं : दक्षिण कोरिया से अलौह धातुएं और 'कंसेन्ट्रेट्स' और भारत से इंजीनियरिंग का सामान और औषधियां। इस अवस्था पर कोई औपचारिक करार करना आवश्यक नहीं समझा गया।

गैर-सरकारी क्षेत्र का कोयला उद्योग

*११७०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी मांगों पर बल देने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र के कोयला उद्योग का एक प्रतिनिधिमंडल ६ फरवरी, १९६४ को उन से मिला था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). कोयला उद्योग के गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधि अपनी कुछ समस्याओं पर चर्चा करने के लिये ६ फरवरी, १९६४ को इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री से मिले।

बैठक में जो मुख्य प्रश्न उठाये गये वे निम्न हैं :—

(१) बढ़े हुए उत्पादन के लिये प्रोत्साहन और बढ़ी हुई लागत का प्रभाव समाप्त करना ;

(२) 'स्टोइंग' के लिये वित्तीय सहायता की दरों में वृद्धि और कठिन खनन परिस्थितियों के लिये वित्तीय सहायता ;

(३) चौथी योजना अवधि के लिये कोयले की मांग का अनुमान लगाना और उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करना ;

(४) ताप तत्व के आधार पर कोयले का श्रेणीकरण लागू करना ; और

(५) अधिक कोयला खान मशीनों के लिये आयात शुल्क में रियायत।

उच्च श्रेणी के कोयले के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये कोयले के मूल्य ३-३-६४ से बढ़ा दिये गये हैं । कोयला बोर्ड वित्तीय सहायता की दरों का पुनरीक्षण करने के प्रश्न पर जांच कर रहा है। चौथी योजना में कोयले की क्या मांग होगी, इसका अनुमान लगाया गया है और यह मांग उत्पादन की तुलना में कितनी होगी इस पर भी गौर किया गया है। गरमताप तत्व के आधार पर कोयले की श्रेणियां निर्धारित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इसी प्रकार कोयले के खनन की कुछ मशीनों पर आयात शुल्क में रियायत देने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा में कपड़ा मिलें

२४०१. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास, १९६४–६५ में उड़ीसा की कपड़ा मिलों के तकुओं की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

उद्योग मंत्री (श्री काननगो) : (क) और (ख). सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, २५००० से कम तकुए वाली सभी कपड़ा मिलों को तकुओं की संख्या २५००० तक बढ़ाने की इजाजत है ।

उड़ीसा में फैरो क्रोम संयंत्र

२४०२. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना अवधि में जयपुर रोड (उड़ीसा) पर एक फैरो क्रोम संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). जी, हां। । 'लो कारबन फैरो क्रोम'[1] के उत्पादन के लिये १०,००० प्रति वर्ष की क्षमता वाला एक संयंत्र उड़ीसा में स्थापित करने के लिये औद्योगिक विकास निगम, उड़ीसा को एक 'लैटर आफ इंडेंट" जारी किया गया है ।

उड़ीसा में इस्पात और मिश्र धातु संयंत्र

२४०३. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय योजना की शेष अवधि में उड़ीसा में एक इस्पात और मिश्र धातु संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्योरा है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[1] Ferro Chrome

आविष्कार प्रोत्साहन बोर्ड पर व्यय

२४०४. श्री भागवत झा आजाद : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आविष्कार प्रोत्साहन बोर्ड के लिये १९६३–६४ में अनुदान की कितनी राशि मंजूर की गई;

(ख) उस अवधि में कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) (१) अधिकारियों, (२) स्टेनोग्राफरों, (३) एसिस्टेंटों और क्लर्कों, (४) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनों पर १९६३–६४ में अलग अलग कितनी राशि व्यय की गई; और

(घ) (१) कार्यालय के किराये, (२) बिजली, (३) टेलीफोन, और (४) अन्य भत्तों और मानदेय पर कितना व्यय किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) २७७,७००.०० रु० ।

(ख) २,७३,०००.०० रु० ।

(ग)	(१) अधिकारी . . .	५६,६६०.०० रु०
	(२) स्टेनोग्राफर	७,३९६.०० रु०
	(३) एसिस्टेंट और क्लर्क . . .	२३,२९६.०० रु०
	(४) चौथी श्रेणी के कर्मचारी . .	६,५९७.०० रु०
(घ)	(१) कार्यालय का किराया	१९,३६०.०० रु०
	(२) बिजली और पानी . .	१,८२५.०० रु०
	(३) टेलीफोन . . .	२,२०८.०० रु०
	(४) अन्य भत्ते और मानदेय .	२७,५६५.०० रु०

लौह अयस्क की दरें

२४०५. श्री शिव मूर्ति स्वामी : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलारी जिले के खान मालिकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें सरकार से यह प्रार्थना की गई है कि वह लौह अयस्क के लिये रेल पर दरें निर्धारित करते समय खानों से लदान वाले रेलवे स्टेशनों तक की दूरी को ध्यान में रखे ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि होजपेट क्षेत्र में कुछ खान मालिकों को अधिमान दरों से अदायगी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उन फर्मों के क्या नाम हैं तथा उनको कितनी ऊंची दरों से भुगतान किया जाता है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) स्टेशन-वार, प्राप्ति मूल्य निर्धारित करते समय अन्य बातों के साथ साथ खानों से लदान वाले रेलवे स्टेशनों के बीच के फासले को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

लौह अयस्क का निर्यात

२४०६. **श्री शिव मूर्ति स्वामी** : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में जिला बेलारी से कितना लौह अयस्क निर्यात किया गया;

(ख) १९६४-६५ के लिये बेलारी जिला से निर्यात के लिये कितनी मात्रा निर्धारित की गई है;

(ग) १९६३-६४ में राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रति टन लौह अयस्क के लिये किस मूल दर पर मूल्य दिया गया; और

(घ) १९६४-६५ के लिये खान मालिकों और खनिज और धातु व्यापार निगम के बीच क्या दर तय पाया गया है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) लौह अयस्क के निर्यात के जिलावार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) निर्यात के लिये लक्ष्य पत्तनवार निर्धारित किये जाते हैं, न कि जिला वार।

(ग) और (घ). जानकारी देना लोक हित में नहीं है।

गैस उत्पादन के लिये औद्योगिक परियोजना

२४०७. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में गैस के सामान्य उत्पादन के लिये किसी बड़ी औद्योगिक परियोजना को और सम्बद्ध अथवा सहायक उद्योगों को लाइसेंस देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षमता के लिये लाइसेंस दिये जायेंगे, ये परियोजनाएं कहां स्थित होंगी और पूंजी व्यय क्या होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). यह स्पष्ट नहीं है कि किस विशेष गैस का जिक्र किया जा रहा है। तथापि, औद्योगिक गैस जैसे, आक्सीजन, 'डिस्सोलव्ड एसिटिलीन' की पर्याप्त क्षमता के लिये लाइसेंस पहले से ही दिये जा चुके हैं और इस समय इन गैस की क्षमता बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

कोयला उद्योग

२४०८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे कोयला उत्पादन यूनिटों की संख्या, जो सहकारी समितियां बनाने जा रहे हैं, पर्याप्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है कि कोयला उत्पादन यूनिट अपने आप को सहकारी समितियों में ढाल रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Agarbattis

2409. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **International Trade** be pleased to state :

(a) Whether there is increasing demand for Indian agarbattis ;

(b) Whether the producers of agarbattis have requested Government for additional necessary facilities ; and

(c) If so, the reaction of Government thereto ?

The Minister on International Trade (Shri Manubhai Shah) : (a) & (b) : Yes, Sir.

(c) Incentive by way of import of some raw materials against export of agarbattis is granted. Display of agarbattis in show rooms of Indian Mission/Trade Centres abroad has been arranged. Inclusion of agarbattis in the trade agreements between India and foreign countries is always considered at the time of negotiations.

खादी भण्डार

२४१०. **श्री कछूर सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में खादी भंडार का प्रबन्ध खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग एक स्वायत्तशासी निकाय है जिसे केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है; और

(ग) क्या यह सच है कि खादी भंडारों पर अब भी कांग्रेस दल का झंडा फहराया जाता है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बंगलोर और गोआ में सीधे रूप से पांच भंडार चला रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं; जहां तक आयोग द्वारा प्रबंधित भंडारों का सम्बन्ध है।

रानीगंज का कोयला

२४११. { **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री रामरतन गुप्त :

क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई उद्योग तथा संयंत्र २८ प्रतिशत से अधिक राख और नमी वाला रानीगंज का कोयला, अर्थात् ऐसा कोयला जिसकी कोई श्रेणी नहीं है, इस्तेमाल करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कौन कौन से उद्योग तथा संयंत्र हैं; और

(ग) कोयले की बेकार खपत न हो इसके लिये राख और नमी के थोड़े से अन्तर के कारण ही कोयले को निम्न श्रेणी और उच्च श्रेणी में डाले जाने को रोकने का क्या कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). कोयला बोर्ड अथवा किसी सरकारी प्राधिकार द्वारा २८ प्रतिशत से अधिक राख तथा नमी वाले रानीगंज के कोयले के लिये कोई श्रेणियां नहीं बनाई गई हैं, और कोयला नियंत्रक द्वारा इस कोयले के रेल द्वारा वहन के लिये कोई मंजूरी नहीं दी गई है। अतः इस सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि कौन लोग २८ प्रतिशत से अधिक ताप तत्व और नमी वाले कोयले का उपभोग करते हैं। कोयले की यह किस्म मुख्यतः छोटी मात्रा में स्थानीय उपभोग के लिये और कोयला क्षेत्रों के आस पास ईंटों के भट्ठों में इस्तेमाल में लाई जाती है।

(ग) नमूने निकाल कर श्रेणियों की जांच करना एक निरन्तर प्रक्रिया है। यदि इन नमूनों के विश्लेषण से श्रेणियों को ऊंचा या नीचा करना जरूरी समझा जाये तो वह किया जाता है। श्रेणियों की जांच की प्रक्रिया को रोकने का सरकार का अभिप्राय नहीं है।

बिजली करघा उद्योग

२४१२. { **श्री मा० ल० जाधव** :
श्री जेधे :
श्री लोनीका :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली करघा उद्योग को लघु उद्योग की सूची से निकाल दिया गया

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किसी उद्योग को लघु उद्योग में शामिल करने के लिये क्या कसौटी अपनाई जाती है; और

(घ) बिजली करघा उद्योग किन स्रोतों से ऋण और पेशगियां ले सकता है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (घ). ऐसे औद्योगिक यूनिट जिनका पूंजी विनियोजन ५ लाख रु० से अधिक न हो, चाहे उन में कितने भी व्यक्ति काम करते हों, सामान्यतः छोटे पैमाने के उद्योगों की श्रेणी में आने वाले माने जाते हैं। जिन पर छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास की योजना के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है यदि वे ऐसे उद्योगों के समूह में न आते हों जिनके विकास में विशेष अखिल भारतीय बोर्डों/आयोगों, अर्थात् हथकरघा बोर्ड, रेशम बोर्ड, नारियल जटा बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग आदि द्वारा सहायता दी जाती है। बिजली करघा उद्योग के स्वरूप और विकास को ध्यान में रखते हुए इसे लघु उद्योग के विकास आयुक्त और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के संगठनों द्वारा किसी सहायता के प्रयोजन के लिये लघु उद्योग नहीं माना गया है। बिजली करघा उद्योग वर्तमान साधारण वित्तीय संस्थाओं से ऋण और पेशगियां ले सकता है।

टैरेलिन के रेशे का उत्पादन

२४१३. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में टैरेलिन के रेशे का उत्पादन कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) अभी कोई उत्पादन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) एक यूनिट को लाइसेंस दिया गया है और दूसरे मामले में प्रस्ताव का पत्र जारी किया गया है।

Prices of Cars

2414. **Shri Sidheswar Prasad :** Will the Minister of **Steel, Mines and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that there has been an extraordinary increase in the prices of cars manufactured in India during the last decade ;

(b) if so, the prices of cars manufactured in India during 1950-51 and 1963-64 respectively ; and

(c) whether it is due to monopoly in the car-manufacturing industry ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering (Shri P. C. Sethi) : (a) There has been some increase in the prices of cars manufactured in India during the last few years.

(b) During 1950-51 cars were not manufactured in the country. The indigenous manufacture of cars on an organised basis commenced only during 1954. The prices ruling then compare with the current prices as under :—

Make of Car	Ex-factory retail price in			
	1954	1964		
	Rs.	Rs.		
Hindustan .	10,475	13,686·73	(inclusive of excise duty and surcharge of	Rs. 1497·73
Fiat	9,355	11,741,33	Do.	Rs. 1333·33
Standard	9,4500 (in 1955)	12,198·60	Do.	Rs. 1357·60

(c) No.

OFFICIAL LANGUAGE COMMISSION

2415. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) Steps taken to fill up the vacancies in the Official Language Commission ; and

(b) the names of the persons appointed and the basis thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Bibudhendra Misra). (a) All the members of the Official Language (Legislative) Commission except one had been appointed. The term of office of some of the members expired and one part-time member has resigned. Some of the consequential vacancies have been filled and the remaining appointments are expected to be made shortly.

(b) The Commission has at present the following members, namely :—

1. Shri C.P. Sinha . . Chairman.
2. Shri B.G. Murdeshwar . . Vice-Chairman.
3. Shri Bal Krishna . Member-Secretary.

Full time Members

1. Shri Ghanshyam Singh Gupta.
2. Shri Mauli Chandra Sharma.
3. Shri V.G. Ramachandran.

Part time Members.

1. Shri Radhanath Rath.
2. Shri P. Shiv Shankar.
3. Shri K.P. Khaitan.
4. Shri Teja Singh.

Legal experts drawn from the various States and representing the different official languages are appointed on the Commission.

कनाडा का व्यापार दल

२४१६. **श्री राम हरख यादव** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कनाडा के एक व्यापार दल को भारत आने के लिये निमंत्रित किया है

(ख) यदि हां, तो इस दल के कब तक भारत पहुंचने की आशा है; और

(ग) इस दौरे का क्या प्रयोजन है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य के ध्यान में वैनकावर व्यापार बोर्ड के एक मिशन के भारत का हाल का दौरा है । यह मिशन २७ मार्च, १९६४ को भारत में पहुंचा था और ३१ मार्च को वापस गया । हर वर्ष अपने मिशन विदेशों में भेजने की वैनकावर व्यापार बोर्ड की प्रथा है । इस वर्ष हमारे अनुरोध पर उन्होंने भारत का दौरा किया । उन्होंने वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों और व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की । यह आशा की जाती है कि भारत के साथ व्यापार में अधिक रुचि दिखायी जायेगी; यह भी आशा है कि वैनकावर व्यापार बोर्ड के साथ किये गये संविदा के फलस्वरूप विनियोजन किया जायेगा ।

भारतीय मानक संस्था

२४१७. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय मानक संस्था में विभिन्न सौन्दर्य प्रसाधनों के मानक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या किसी कम्पनी ने पहले भारतीय मानक संस्था चिन्ह के लिये अनुरोध किया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). अभी तक सौन्दर्य प्रसाधनों के लिये कोई भारतीय मानक निर्धारित नहीं किया गया है । भारतीय मानक संस्था ने वर्ष १९६२ में सौन्दर्य प्रसाधनों और शृंगार वस्तुओं के लिये भारतीय मानक निर्धारित करने के लिये एक तकनीकी समिति बनायी थी । समिति देश में और विदेश से आंकड़े एकत्र कर रही है और साथ साथ इसने सौन्दर्य प्रसाधनों और शृंगार सामग्री के निर्माण के लिये कच्चे माल के लिये भारतीय मानक तैयार करना आरम्भ कर दिया है । अब तक इन कच्चे माल के लिये १० भारतीय मानक प्रकाशित

किये गये हैं और तीन और भारतीय स्टैण्डर्ड के प्रारूप को प्रकाशन के लिये अन्तिम रूप दिया गया है। इसके अतिरिक्त २१ भारतीय स्टैण्डर्ड में संशोधन किया जा रहा है ताकि इनका सौन्दर्य प्रसाधन उद्योग में उपयोग किया जा सके।

समिति संख्या में जो भी विदेशी मानक उपलब्ध हैं, उन से केवल भौतिक-रासायनिक आवश्यकता पूरी होती है। सौन्दर्य-प्रसाधनों के बारे में मानकीकरण का सब से महत्वपूर्ण पहलू यह सुनिश्चित करने के बारे में होना चाहिये कि इन से स्वास्थ्य को हानि नहीं होगी और चमड़ी खराब नहीं होगी। इसके अतिरिक्त उष्णप्रदेशीय और उपोष्णप्रदेशीय स्थिति में इनकी किस्म बनाये रखने पर भी ध्यान रखा जाना जरूरी है। क्योंकि मानकीकरण के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में कोई निश्चित सामग्री उपलब्ध नहीं है, भारतीय मानक संस्था सौन्दर्य प्रसाधनों के समूचे क्षेत्र का बड़ी बारीकी से अध्ययन कर रही है ताकि कोई उपयुक्त मानक निकाला जा सके। सब से पहले चमड़ी के पाउडर के बारे में कार्य आरम्भ कर दिया गया है। और विभिन्न सौन्दर्य प्रसाधनों के बारे में तकनीकी सामग्री का संग्रह करने के साथ ही निकट भविष्य में अन्य मदों के बारे में भी कार्य किया जायेगा।

(ग) भारतीय मानक संस्था ने कुछ निर्माताओं से भारतीय मानक संस्था के प्रमाणन चिह्न के लिये पूछताछ की है। भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम में किये गये हाल के संशोधन फलस्वरूप अब भारतीय मानक संस्था भारतीय मानकों के अतिरिक्त, यदि ये भारतीय मानक अभी नहीं हैं, मानकों के आधार पर भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिह्न जारी करने के लिये लाइसेंस दे सकेगी।

Iron Ingots Factory at Balladilla

2418. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Steel, Mines and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Mineral Development Corporation have suggested to Government that an iron ingots factory be set up on the Balladilla hills ;

(b) if so, the money estimated to be spent thereon; and

(c) the reaction of Government in regard thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering (Shri P. C. Sethi) : (a) No. Sir.

(b) & (c).—Do not arise.

लॉयड टैस्टेड प्लेट

२४१९. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री प० चं० बर्मन :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितनी लॉयड टैस्टेड प्लेटों का आयात किया जाता है और कितनी का देश में निर्माण होता है;

(ख) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा ग्रस्त है;

(ग) क्या 'शिप-ब्रेकिंग यार्ड' स्थापित करके यह विदेशी मुद्रा बचायी जा सकती हैं; और

( ) यदि हां, तो क्या कोई सर्वेक्षण किया जा सकता है ?

स्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) क्योंकि लॉयड टैस्टेड प्लेटों के आयात के कोई पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते, आयात की गयी ठीक मात्रा के बारे में बताना सम्भव नहीं है। तथापि, यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष १६६३–६४ में २०,००० टन लॉयड टैस्टेड प्लेटें आयात की गयीं।

इन प्लेटों का देश में उत्पादन लगभग १३,५०० टन रहा।

(ख) लगभग १ करोड़ रुपये।

(ग) बेकार जहाजों में से निकाली गयी प्लेटों को फिर से जहाज-निर्माण में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यदि लॉयड टैस्ट के अन्तर्गत निर्धारित नमूने को माना जाना है। इन प्लेटों का केवल 'स्क्रैप' के रूप में ही इस्तेमाल किया जा सकता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब के लिये स्टेनलेस स्टील

२४२०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १६६३–६४ में पंजाब को स्टेनलेस स्टील की कितनी मात्रा का आवंटन किया गया; और

(ख) वर्ष १६६४–६५ में इस राज्य को स्टनलेस स्टील की कितनी मात्रा का आवंटन किया जायेगा ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). वर्ष १६६३–६४ में किसी भी राज्य को, जिसमें पंजाब भी शामिल है स्टेनलैस स्टील की चादरों का कोई आवंटन नहीं किया गया। चालू वर्ष में, वस्तु-विनिमय सौदे पर आयात की जा रही स्टेनलैस स्टील की चादरों में से अन्य राज्यों के साथ पंजाब को कुछ मात्रा लगभग (१८० टनों) का आवंटन करने का प्रस्ताव है

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, पंजाब

२४२१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने वर्ष १६६४–६५ में राज्य में ग्रामोद्योगों के विकास के लिये कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां

(ख) और (ग). विभिन्न राज्यों खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास के बारे में योजनाओं पर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और राज्य बोर्डों के प्रतिनिधियों के बीच बजट प्रस्तावों के साथ विचार किया जाता है। इस प्रयोजन के लिये वर्ष १९६४–६५ में पंजाब खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को किये गये अस्थायी आवंटन को संलग्न विवरण में दिखाया गया है। [**पुस्तकालय रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २७७४/६४**]

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची के अध्यक्ष

२४२२. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री अ० प्र० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री वारियर :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची के अध्यक्ष पद पर एक नई नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां तो यह व्यक्ति कब से कार्य-भार संभालेगा; और

(ग) नए अध्यक्ष की विशेष अर्हताएं और उनकी पिछली सेवाओं का रिकार्ड क्या है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). जयइंजीनियरिंग वर्क्स, कलकत्ता के जनरल मैनेजर (वर्क्स) और भारी इंजीनियरिंग निगम के एक निदेशक, श्री टी० आर० गुप्ता को भारी इंजीनियरिंग निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने २४ मार्च, १९६४ से कार्य-भार संभाला। इंजीनियरिंग समवाय के प्रबन्ध में श्री गुप्ता के दीर्घकालीन और भिन्न अनुभव को ध्यान में रख कर उनको नियुक्त किया गया है।

कोयना में अल्युमीनियम संयंत्र

२४२३. **श्री किरोडिया** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में कोयना में सरकारी क्षेत्र में एक अल्युमीनियम संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) इस पर कुल कितना व्यय होगा और इस संयंत्र की क्षमता क्या होगी; और

(ग) क्या इसमें विदेशी गैर-सरकारी पक्षों को भाग लेने दिया जायेगा ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

(ग) जी, हां; विदेशी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है ।

Supply of Copper to Uttar Pradesh

2424. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri S. L. Verma :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the quota of copper given to Uttar Pradesh during 1963-64;

(b) whether the quota falls short of the demand of that State; and

(c) if so, the steps taken to meet the requirements of the State Government in full?

The Minister of Industry (Shri Kanungo): (a) 2527 metric tons.

(b) Yes, Sir.

(c) Due to the difficult foreign exchange situation there is a general shortage of non-ferrous metals, including copper. Efforts are continuously being made to obtain the release of more foreign exchange for the import of non-ferrous metals for the small scale sector and the demands of U.P. as well as of other States are being met to the maximum extent possible within the over-all availability of copper.

सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्द्धन परिषद

२४२५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पुरस्कृत संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्द्धन परिषद् के एक शिष्टमण्डल ने कांच के बर्तनों और मिट्टी के बर्तनों के बारे में मंडी का अध्ययन करने के लिये हाल में कुछ पूर्वेशियाई देशों का, जिसमें बर्मा भी शामिल हैं, दौरा किया; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां । रासायनिक और सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्द्धन परिषद् के एक शिष्टमण्डल ने मार्च, १९६४ में कुछ पूर्वेशियाई देशों का दौरा किया; लेकिन उन्होंने बर्मा का दौरा नहीं किया ।

(ख) अभी शिष्टमण्डल का प्रतिवेदन प्रतीक्षित है ।

स्टैण्डर्ड सीमेन्ट संयंत्र की लागत

२४२६. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २ लाख टन प्रति वर्ष क्षमता वाले एक स्टैण्डर्ड सीमेन्ट संयंत्र स्थापित करने पर वर्तमान औसत लागत कितनी आती है और इसमें औसतन कितनी विदेशी मुद्रा लगती है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : एक स्टैण्डर्ड सीमेन्ट प्रान्त स्थापित करने की, जिसकी वार्षिक क्षमता २ लाख टन हो, वर्तमान औसत लागत ३.५ करोड़ रुपये बैठती है; इस राशि में चालू पूंजी शामिल है। इस समय जिन पुर्जों का देश में उत्पादन नहीं हो रहा है, उनके आयात के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा पर मुख्य संयंत्र के लिये ४० से ५० लाख रुपये और खान और खनन उपकरणों के लिये १५ से २० लाख रुपये तक व्यय होती है।

Assistant Director in Exhibition Directorate

2427. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **International Trade** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 2268 on the 20th September, 1963 and state :

(a) whether it is a fact that the post of an Assistant Director reserved for Scheduled Castes has been kept vacant in the Directorate of Exhibition ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) when the post will be filled up?

The Minister of International Trade (Shri Manubhai Shah) : (a) No, Sir. The post of an Assistant Director reserved for Scheduled Castes was filled in November, 1962.

(b) and (c) : Do not arise.

Khetri Copper Mines

2428. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Steel, Mines and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether Government have asked for a loan from U.S. for the expension of copper mines at Khetri (Rajasthan) ;

(b) if so, the amount of money to be spent thereon; and

(c) the amount of money asked for from U.S.?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). No expansion scheme has been drawn up for the Khetri copper mines and, therefore, the question of applying for a U.S. loan for financing the expansion does not arise. However, for the Khetri Copper Project which is presently being implemented, an application was made in September, 1963 to the Export Import Bank of the United States of America for a loan of Rs. 9 crores for meeting the foreign exchange cost of that Project. The application is still under consideration of the Bank.

आविष्कार प्रोत्साहन बोर्ड

२४२६. श्री भागवत झा आजाद : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आविष्कार प्रोत्साहन बोर्ड में एक नियम के तौर पर सेवा-निवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन किया जाता है;

(ख) आविष्कार प्रोत्साहन बोर्ड में पदाधिकारियों की क्या संख्या है और उनमें से कितने सेवा निवृत्ति के बाद (अधिवार्षिकी) पुनर्नियोजित किये गये हैं; और

(ग) पुनर्नियोजित पदाधिकारियों की क्या विशेष अर्हताएं हैं ?]

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं। तथापि पहले पहले बोर्ड ने अपने कर्मचारियों में अनुभवी व्यक्तियों को रखना चाहा।

(ख) बोर्ड के छः पदाधिकारियों में से सेवा निवृत्ति के बाद दो को पुनर्नियोजित किया गया।

(ग) उनके विशेष कार्य-क्षेत्र में अनुभव।]

आविष्कर्ताओं को सहायता

२४३०. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आविष्कार प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा आविष्कर्ताओं को पारितोषिक और वित्तीय सहायता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९६३–६४ में कितनी धनराशि दी गयी ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : जी, हां।

(ख) ५९,३५५ रुपये।

श्री प्रिय गुप्त, संसद-सदस्य का मामला

२४३१. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या विधि मंत्री श्री प्रिय गुप्त, संसद्-सदस्य के मामले के बारे में ८ अप्रैल, १९६४ को दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रपति ने आदेश पर किस तिथि को हस्ताक्षर किये;

(ख) यह उनको या उनके मंत्रालय को किस तिथि को मिला;

(ग) क्या इसके भेजने में असामान्य विलम्ब हुआ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?]

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). राष्ट्रपति ने आदेश पर शुक्रवार, २७ मार्च, १९६४ को हस्ताक्षर किये थे। यह मंत्रालय को शनिवार, २८ मार्च, १९६४ को भेजा गया और विधि मन्त्रालय में सोमवार, ३० मार्च, १९६४ को प्राप्त हुआ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूर संचार तारों (केबल्स) का उत्पादन

२४३२. { श्री रामपुरे :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अल्युमीनियम के दूर-संचार तारों (केबल्स) का निर्माण करने के लिये एक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना के विदेशी मुद्रा पहलू पर विचार किया जा रहा है।

विशेष प्रकार के कागज के लिये संयंत्र

२४३३. { श्री रामपुरे :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेतार के तारों के लिये विशेष प्रकार के कागज़ (स्पेशल ग्रेड पेपर) के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय कब तक किये जाने की आशा है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने बेतार के तारों के लिये कागज़ के उत्पादन के लिये एक एकक स्थापित करने की सभावना का परीक्षण करने के लिये एक समिति स्थापित की है। समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है अब इस परियोजना की सम्भावना का राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

खरगोदा में नमक संयंत्र

२४३४. { श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री रामपुरे :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खरगोहा में एक नमक बनाने का कारखाना स्थापित किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में वास्तविक कार्य कब आरम्भ किया जायेगा;

(ग) इस संयंत्र की क्षमता क्या होगी; और

(घ) क्या इसमें कोई विदेशी सहयोग भी होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

नमक का निर्यात

२४३५. { **श्री द्वारका दास मंत्री :**
श्री रामपुरे : }

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नमक के निर्यात के बारे में फिलीपीन, नाइजीरिया और मलयेशिया से बातचीत कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) राज्य व्यापार निगम ने फिलीपीन, नाइजीरिया और मलयेशिया में संभावित खरीदारों को भारतीय नमक के निर्यात का प्रस्ताव किया है।

(ख) अभी तक कोई सौदा नहीं किया गया है।

वस्तुओं का अवैध व्यापार

२४३६. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री यशपाल सिंह : }

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्बाध वस्तुओं की आड़ में प्रतिबंध लगी वस्तुओं का बड़े पैमाने पर अवैध व्यापार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन बुराइयों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां; उत्तर भारत में कुछ स्थानों पर।

(ख) कड़ी चेतावनी दी गयी है, पुलिस द्वारा छापे मारे गये हैं और लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है; निर्बाध वस्तुओं में वायदा व्यापार को नियमित करने का प्रश्न विचाराधीन है और इन वस्तुओं में नये सौदों की इजाजत नहीं दी जा रही है।

अधिवक्ताओं के रूप में पंजीयन

२४३७. **श्री जेधे :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिवक्ता अधिनियम और बार कौन्सिल नियमों के वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत कोई भी सरकारी कर्मचारी, जो निर्धारित शर्तें पूरी करता हो, अधिवक्ता के रूप में पंजीयन का अधिकारी है;

(ख) क्या वे व्यक्ति जो पहले वकील थे और बाद में उन्होंने सरकारी सेवा में नौकरी कर ली अब भी वहीं है, अन्य शर्तें पूरी करने पर पंजीयन के अधिकारी हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर नकारात्मक हैं, तो सरकारी सेवा में व्यक्तियों को अधिवक्ता के रूप में पंजीयन के बारे में वास्तविक स्थिति क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग). अधिवक्ता अधिनियम में सरकारी कर्मचारियों के अधिवक्ता के रूप में पंजीयन के विरुद्ध कोई विशिष्ट प्रतिबन्ध नहीं है। अधिनियम की धारा २८ (२) (ग) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा २४ (१) (ङ) के अन्तर्गत राज्यों की बार कौन्सिलों को ऐसी शर्तें लागू करने के नियम बनाने के अधिकार दिये गये हैं जिन पर किसी व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में शामिल किया जा सके। इस अधिकार के प्राप्त होने पर विभिन्न राज्य बार कौन्सिलों द्वारा नियम बनाये गये हैं जिन में अन्य बातों के साथ साथ यह व्यवस्था है कि उन व्यक्तियों को जो पूर्ण-कालिक या अंश-कालिक रोजगार में लगे हैं या व्यापार में हैं या किसी अन्य व्यवसाय में हैं, अधिवक्ता के रूप में शामिल किया जायेगा। तथापि कुछ व्यक्तियों के बारे में अपवाद हैं जिन में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विधि पदाधिकारी शामिल हैं। इस प्रकार किसी सरकारी विधि पदाधिकारी का अधिवक्ता के रूप में पंजीयन किया जा सकता है।

इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेवा में आने से पहले कोई व्यक्ति वकील था या नहीं।

तांगानीका से रूई

२४३८. **श्री राम हरख यादव :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तांगानीका से रूई का काफी मात्रा में आयात करने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो करार का क्या ब्योरा है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं। तांगानीका से रूई का आयात, सामान्य तौर पर, हमारे विश्वव्यापी कोटे पर किया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मद्रास राज्य में लिग्नाइट के निक्षेप

२४३९. { **श्री यशपाल सिंह :**
डा० श्रीनिवासन :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास के रामनाथपुरम में कराइ कुडी और देवकोटे के बीच के क्षेत्र में लिग्नाइट के निक्षेप पाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो निक्षेपों की प्राक्कलित मात्रा क्या है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) और (ख). मद्रास सरकार के भूतत्ववेत्ताओं ने हाल में कराइकुडी के समीप लिग्नाइट के पाये जाने के बारे में बताया है। इस खनिज के राज्य के कृषि बीज फार्म में जल के लिये खोदे गये कुए में पाये जाने के बारे में बताया गया है। ११५.८२ मीटर (३८० फुट) की गहराई पर (२५ फुट) ७.६२ मीटर और (१५ फुट) ४.५७ मीटर मोटी दो परतें मिली हैं। जब तक खोज जारी रहती है, इसकी मात्रा का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा शीघ्र ही छिद्रण द्वारा जांच पड़ताल की जायेगी।

दिल्ली में सीमेंट के मूल्य

२४४०. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सीमेन्ट के मूल्य में वृद्धि कर दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने, जो दिल्ली में सीमेन्ट के खुदरा मूल्य निर्धारित करता है, खुदरा मूल्य में शामिल प्रासंगिक व्यय के तत्वों पर विचार करके इसको अपर्याप्त समझा और ५० किलो ग्राम के प्रति बोरे पर मूल्य में १३ नये पैसे की वृद्धि की।

अधिक कागज के लिये कच्चे माल सम्बन्धी विश्व गोष्ठी

२४४१. **श्री राम हरख यादव**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में अप्रैल, १९६४ में हुई अधिक कागज के लिये कच्चे माल सम्बन्धी विश्व गोष्ठी की सिफारिशें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): ११ और १२ अप्रैल, १९६४ को हुई गोष्ठी का आयोजन एक नई गठित गैर-सरकारी व्यावसायिक निकाय, भारतीय पल्प और कागज तकनीकी संस्था द्वारा किया गया था। अभी तक इस संस्था से कोई विशिष्ट सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

गोआ में लौहा तथा मेंगनीज अयस्क

२४४२. **श्री अल्वारेस**: क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में लौह-अयस्क और मेंगनीज़ अयस्क के निक्षेपों की अनुमानित मात्रा कितनी है ;

(ख) गोआ के लिये कच्चे लोहे और छोटी गोली (पैलेट) के कितने संयंत्र मंजूर किये गये हैं और उनकी वार्षिक क्षमता कितनी है ; और

(ग) क्या इन संयंत्रों में निर्यात के लिये और स्थानीय खपत के लिये कोई प्राक्कलन तैयार किया गया है और लौह-अयस्क की किस्म का कोई विभाजन किया है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) लौह अयस्क और मेंगनीज़ अयस्क के भंडार का भारतीय खान ब्यूरो द्वारा क्रमशः ५२५० लाख टन और ६० लाख टन अनुमान लगाया गया है। लौहयुक्त मेंगनीज़ अयस्क के भंडार का अनुमान १ करोड़ टन है।

(ख) (१) एक गैर-सरकारी फर्म को एक कच्चा लोहा उत्पादन एकक स्थापित करने के लिये, जिसकी वार्षिक क्षमता ३०,००० टन होगी, स्वीकृति-पत्र भेज दिया गया है।

(२) सरकार ने प्रति वर्ष ५०,००० टन की क्षमता वाले बढ़िया लोहे के पैलट संयंत्र की स्थापना के लिये एक गैर-सरकारी पक्ष की योजना का अनुमोदन कर दिया है।

(ग) जी, नहीं।

कोठागुडियम में निम्न तापमान कार्बनीकरण संयंत्र

२४४३. श्री र० ना० रेड्डी : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री ३ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में कोठागुडियम (सिंगरेनी) में एक निम्न तापमान कार्बनीकरण संयंत्र की स्थापना के लिये श्री हाशिम मेहदी नामक जिस पक्ष को एक स्वीकृति पत्र भेजा गया था, उसने कोई रुचि नहीं दिखाई ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मेसर्ज़ सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी को यह काम करने को कहा गया है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) अभी तक श्री हाशिम मेहदी ने, उनकी स्वीकृति-पत्र जारी किये जाने के बाद, निम्न तापमान कार्बनी- करण संयंत्र स्थापित करने के लिये कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई है।

(ख) सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी को एक निम्न तामपान कार्बनीकरण संयंत्र स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सिंगरेनी कोयला खान समवाय लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्य के बारे में सरकार की समीक्षा

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उपधारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६२–६३ के लिये सिंगरेनी कोयला खान समवाय लिमिटेड, हैदराबाद का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(२) उपरोक्त समवाय के कार्य के बारे में सरकार की समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २७६७/६४]

नारियल-जटा बोर्ड की गतिविधियों के बारे में छमाही प्रतिवेदन

रबड़ बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन का शुद्धि-पत्र

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) नारियल-जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा १९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत १ अप्रैल से ३० सितम्बर, १९६३ तक की अवधि के लिए नारियल-जटा बोर्ड की गतिविधियों और नारियल-जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ के संचालन के बारे में छमाही प्रतिवेदन।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-२७६८/६४]

(२) वर्ष १९६१–६२ के लिए रबड़ बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन का, जो १३ मार्च, १९६४ को टेबल पर रखा गया था, शुद्धि-पत्र।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-२७६९/६४]

सूती वस्त्र (नियंत्रण) संशोधन आदेश

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग नियमों में संशोधन

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के लेखे पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : मैं निम्नलिखित की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक ८ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४५७ में प्रकाशित सूती वस्त्र (नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६४ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २७७०/६४]

(२) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २६ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १७ जनवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२५ में प्रकाशित खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) नियम, १९६४।

(दो) दिनांक १७ मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०९३ में प्रकाशित खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (दूसरा संशोधन) नियम, १९६४।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २७७१/६४]

(३) वर्ष १९६१–६२ के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के लेखे पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २७७२/६४]

४४१३

भेषज (पहला संशोधन) नियम

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : मैं डा० सुशीला नायर की ओर से भेषज अधिनियम, १९४० की धारा ३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २७ जुलाई, १९६३ की अधिसूचना संख्या एम० ओ० २०९२ में प्रकाशित भेष्ज (पहला संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २२९५/६४]**

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

कार्यवाही सारांश

श्री मुरारका (झुंझनू) : मैं वर्तमान अधिवेशन में हुई सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की सातवीं बैठक के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देनी है कि राज्य सभा ने अपनी २१ अप्रैल, १९६४ की बैठक में भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पारित कर दिया है।

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक

INDIAN RAILWAY (AMENDMENT) BILL

विधेयक सभा-पटल पर रखा गया

राज्य सभा द्वारा पारित

सचिव : श्रीमन्, मैं २१ अप्रैल, १९६४ को राज्य सभा द्वारा पारित भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९६४ को सभा-पटल पर रखता हूं।

याचिका का उपस्थापन

PRESENTATION OF PETITION

Shri Ram Sewak Yadav (Barabahki) : I present a petition signed **by** a petitioner relating to liability of State *in toto*.

सदस्य का त्याग-पत्र

RESIGNATION OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को बताना है कि श्री लाल श्यामशाह ने २४ अप्रैल, १९६४ से लोक-सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है।

भारतीय सिक्के (संशोधन) विधेयक

INDIAN COINAGE (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : मैं श्री ति० त० कृष्णमाचारी की ओर से प्रस्ताव करती हूं कि भारतीय सिक्के अधिनियम, १९०५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारतीय सिक्के अधिनियम, १९०५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं विधेयक को पुरस्थापित करती हूं।

संविधान अठारहवां (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION EIGHTEENTH (AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : अब श्री अ० कु० सेन प्रस्ताव करें कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : इस से पहिले कि मंत्री जी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करें, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छा होगा कि यदि इस विधेयक को पुरःस्थापित न किया जाय क्योंकि यदि यह पुरःस्थापित किया जायेगा तो निश्चित रूप से हमें इसका विरोध करना पड़ेगा जबकि प्रथा यह है कि सामान्यतया विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अवस्था में उन का विरोध नहीं किया जाता है। मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी इस को वापिस ले लें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस में कुछ नहीं कह सकता। मुझे कुछ माननीय सदस्यों से सूचनायें प्राप्त हुई हैं कि वे विधेयक की पुरःस्थापनका विरोध करना चाहते हैं।

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : मैं इस का विरोध करना चाहता हूं।

श्री रंगा (चितूर) : हम सब इसका विरोध करते हैं।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : हम इस का विरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे केवल सर्वश्री ही० ना० मुकर्जी, श्री स० मो० बनर्जी तथा श्री नि० चं० चटर्जी से सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं केवल एक सदस्य को बोलने की अनुमति दे सकता हूं। माननीय सदस्य आपस में फैसला कर लें कि कौन बोलेगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक के मामले में आपने सबको बोलने का मौका प्रदान किया था।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : मेरा विचार है कि इस प्रस्ताव का अन्य आधार के अतिरिक्त इस आधार पर भी विरोध किया जायेगा कि इस विधेयक द्वारा एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिस का बनाना सभा की वैधानिक क्षमता से बाहर की बात है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस की अनुमति दे सकता हूं। पहिले मुझे एक सदस्य की बात सुन लेने दीजिये। श्री चटर्जी।

श्री नि० चं० चटर्जी : देश के इतिहास में आज का दिन सब से अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है जबकि सरकार नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का हनन करने के लिये संविधान में संशोधन करने वाले इस विधेयक को संसद् के सामने लाई है। सरकार को ऐसा करने का नैतिक अथवा वैध किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। अत: मैं इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करता हूं।

सरकार के इस प्रकार के असंवैधानिक तथा अलोकतंत्रात्मक कार्यों को देखते हुए प्रत्येक संसद् सदस्य का यह कर्तव्य है कि वह उस से कहे कि वह इस्तीफा दे दे। यदि ऐसा कार्य कोई राज्य सरकार करती है, तो संसद् तथा राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य सरकार की बर्खास्तगी की मांग करना न्याय संगत होता है।

सब से अधिक दु:ख की बात तो यह है कि भारत के अटार्नी जनरल ने भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस बात को माना है कि भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अधीन की गई गिरफ्तारियां तथा नजरबन्दियां पूर्णतया गैरकानूनी और असंवैधानिक हैं। जस्टिस गजेन्द्रगढ़कर ने भी इस बात को स्वीकार किया है।

संविधान में दिये गये मूल अधिकारों तथा उसको अनुच्छेद १४, २१ और २२, जो इन स्वतन्त्रताओं से वंचित सभी लोगों को समान और न्यूनतम संरक्षण देने के लिये उस में रखे गये हैं, के स्वयं द्वारा किये गये उल्लघनों को ढकने के लिये ही सरकार द्वारा उठाया गया यह एक दु:साहसपूर्ण कदम है। मंत्री जी को संविधान में निश्चित किये गये अधिकांश अधिकारों के अनुसार ही कानून बनाने चाहियें जब कि वे इसके विपरीत कर रहे हैं।

यदि हम संविधान में इस प्रकार का संशोधन होने देते हैं, तो इसका परिणाम यह होगा कि विधि का शासन छिन्न भिन्न हो जायेगा । सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट निर्णय दिये जाने के बाद भी सभी मूलधिकारों को कुचला जा रहा है । मेरा निवेदन है कि कार्यपालिका को इस प्रकार की शक्ति नहीं दी जानी चाहिये।

सरकार को आपातकाल की आड़ में इन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं है । इस संशोधन का यह अर्थ होगा कि सरकार को असीमित अधिकार प्राप्त हो जायेंगे । अतः, यह प्रस्तावित संशोधन पूर्णतया गैर-कानूनी और असंवैधानिक है और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता—मध्य) : विधेयक के उद्देश्य एवम् कारणों के विवरणों में शब्द जाल है । वस्तुतः इस विधेयक का अभिप्राय यह है कि मूल अधिकारों को समाप्त कर दिया जाय ।

मुख्य न्यायाधिपति गजेन्द्रगढ़कर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि संसद कार्यपालिका को उसके द्वारा अवैध रूप से को गई नजरबन्दियों के मामलों से छूट देने के लिये कानून बनाती है तो इस प्रकार के कानून की वैधता तथा उसके प्रभाव की सावधानीपूर्वक जांच करनी आवश्यक होगी। सरकार ने जस्टिस गजेन्द्रगढकर की सलाह की उपेक्षा करते हुए भारत प्रतिरक्षा अधिनियम तथा नियमों के दोषों को दूर करने की अपेक्षा , ताकि ये संविधान के विरूद्ध न रहते, यह मार्ग अपनाया है जो कि बहुत ही खतरनाक है ।

कार्यपालिका संविधान में दिये गये मूल अधिकारों तथा न्यायपालिका की शक्तियों का हनन करके स्वयं शक्तियां प्राप्त करने की कोशिश कर रही है । इसीलिये हम इस विधेयक के पुरःस्थापन के विरुद्ध हैं।

सब से अधिक गंभीर बात तो यह है कि मंत्री जी इस संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव देना चाहते हैं। परन्तु संविधान के अनुच्छेद ३४ में दिया गया है कि संविधान के कुछ उपबन्धों का उल्लंघन करके किये गये कार्यों के विषय में, कानून के द्वारा, तभी छूट दीं जा सकती है जब ये कार्य मार्शल ला के दौरान किये गये हों । आपातकाल और मार्शलला में भी बहुत अन्तर है । अतः भूतलक्षी प्रभाव से छूट देना एक ऐसी बात है जो कि अनुच्छेद ३४ की भावना के विपरीत है । सभा को इस बात की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

श्री रंगा : श्रीमन्, मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं ।

श्रीमती रेणुचक्रवर्ती : विरोधी पक्षों के समस्त नेताओं द्वारा प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखा गया था । उन्हें भी कुछ कहना चाहिये।

श्री कपूर सिंह : श्रीमन्, मैं केवल कुछ शब्द कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जो लोग बोलना चाहते हैं, मैं उन के नाम लिख दूंगा । मेरे विचार से प्रत्येक सदस्य का बोलना आवश्यक नहीं है । नियम को लम्बित करने के लिये कुछ औचित्य होना चाहिये।

श्री कपूर सिंह : दो शब्द कहने से मुझे कुछ संतोष हो जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा ।

श्री कपूर सिंह : इस विधेयक का मूल सिद्धांत यह है कि सरकार द्वारा की गई असंवैधानिक विधिहीनता को संवैधानिक रूप से स्वीकार कर लिया जाय। स्पष्ट शब्दों में यह एक मनमाना कार्य है जो कि सभा की क्षमता से बाहर है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह विधेयक भारत के सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लोकतंत्रीय आधार पर एक प्रहार है । संविधान के अधीन निर्मित सरकार इसके द्वारा भारतीय संविधान के प्रति धोखा कर रही है । इस विधेयक के उपबन्ध ऐसे हैं कि इस देश की जनता असहाय हो जायेगी और अपने बचाव के लिये कुछ न कर सकेगी और उसके बाद सरकार भारत प्रतिरक्षा नियमों को काम में लायेगी । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे जनता के मूल अधिकारों के हनन को रोकने का कष्ट करें । मैं इस विधेयक का पूरी तरह से विरोध करता हूं ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : इस विधेयक को लाने का अर्थ है कि सरकार ने संविधान की मर्यादा बनाये रखने के लिये जो कसम खाई थी, वह उसने तोड़ दी है । बल्कि यों कहिये कि इसने संविधान की पूर्णरूपेण अवहेलना की है ।

यदि यह संशोधन पारित होने दिया जाता है, तो इसका यह अर्थ होगा कि यह उस संविधान से, जिस के प्रति सभा के सदस्य बनते समय हम ने निष्टा की शपथ ली थी, एक बिल्कुल ही भिन्न बात होगी । जर्मनी के गणराज्य को भी इसी प्रकार के सक्षम अधिनियम के कारण बहुत कटु अनुभव हुआ था, यदि संविधान की मूलभूत प्रत्याभूतियों के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ की गई, तो यह बात बहुत भयानक सिद्ध होगी । अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करे ।

Shri Brij Raj Singh (Bareilly) **:** This Bill aims at trampling down for ever the fundamental rights of the people guaranteed under the constitution. We had never expected such a step from the Government. I not only vehemently oppose this Bill but also would like to say that by this measure Government has tried to defraud the people and the people would lose confidence in Parliament. Therefore, this Bill should not be permitted to be introduced.

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : सब बातों पर पूरी तरह से विचार करने के बाद ही यह विधेयक सरकार द्वारा लाया गया है । मुझे इस प्रक्रम पर भी तीव्र आलोचना की आशा थी । जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है वह मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा । अनुच्छेद ३५८ और ३५९ केवल आपातकाल में ही लागू होते हैं। आपातकाल की घोषणा के बाद विधान मंडल तथा सरकार के अधिकार स्वतः ही बढ़ जाते है । संविधान के निर्माता यह जानते थे कि आपातकाल के दौरान संविधान तथा इसके अधीन बनायी गयी सरकार को कायम रखने के लिये यह आवश्यक होगा कि सरकार को असाधारण शक्तियां दी जांय । उनका यह विचार था कि यदि अनुच्छेद १९ आपात-

काल में भी विधान मंडल और सरकार के ऊपर बन्धन के रूप में रहा, तो आपात-काल की मांगें पूरी करना असंभव हो जायेगा ।

अनुच्छेद ३५९ के बारे में उनका यह विचार था कि अनुच्छेद १९ के समान अन्य मूल अधिकारों को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उनका यह विचार था कि आपात-काल के दौरान केवल अनुच्छेद १९ ही समाप्त कर दिया जाना चाहिये। जहां तक दूसरे अनुच्छेदों का सम्बन्ध है, उनकी यह धारणा थी कि उन्हें एकदम समाप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति को संरक्षक के रूप में इस ओर ध्यान देना चाहिये कि जहां तक उपचारों को लागू करने का सम्बन्ध है, कौन से अनुच्छेद अवरुद्ध किये जायं और राष्ट्रपति द्वारा दिये गये किसी आदेश की संसद् में समीक्षा हो सके क्योंकि राष्ट्रपति एक संवैधानिक राष्ट्रपति होता है ।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति ने भी नवीनतम मामले में अपने निर्णय में कहा है कि किसी सरकारी कार्यवाही अथवा संसद् द्वारा पारित किसी विधान को आपातकाल के दौरान इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उनसे अनुच्छेद १९ को छोड़कर किन्हीं अन्य अनुच्छेदों का उल्लंघन होता है। सरकार ने जो दृष्टिकोण अपनाया था, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया, वह यह था कि जब आपातकाल में विशिष्ट अधिकारों के सम्बन्ध में उपचारों को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया है, तो उन अधिकारों को भी निलम्बित समझा जाना चाहिये ।

श्री चटर्जी द्वारा कही गई यह बात कि अटर्नी जनरल ने इस बात को स्वीकार किया है कि आदेश अवैध थे, गलत है। उन्होंने तो यह बात स्वीकार की थी कि यदि अनुच्छेद २१, २२ और अन्य लागू हों, केवल तब ही यह कहा जा सकता है कि इन आदेशों ने अनुच्छेदों का उल्लंघन किया है ।

संविधान के निर्माताओं के अभिप्राय को इस प्रकार समझना बिल्कुल गलत है कि आपातकाल के बाद उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है जिन्होंने आपातकाल के दौरान ईमानदारी से इन आदेशों का पालन किया है।

वर्तमान संशोधन का उद्देश्य यही है कि जब आपातकाल में विशिष्ट अधिकारों के सम्बन्ध में उपचारों को पूरी तरह अवरुद्ध किया जाय तो अधिकारों को स्वतः ही निलम्बित समझा जाना चाहिये ।

आपातकाल में कार्यपालिका पर से संसदीय नियंत्रण हट नहीं जाता। आपातकाल में भी हम संसद् के प्रति उत्तरदायी हैं। जब तक संसदीय नियंत्रण रहता है, लोकतंत्र चलता है। आपातकालीन शक्तियों के अन्तर्गत किये जाने वाले सभी कामों पर संसद् का नियंत्रण पहले ही की तरह बना रहता है और हमारे नागरिकों की स्वतन्त्रता के संरक्षक के रुप में संसद् सदा की भांति सर्वोपरि रहती है। जब हमारा उद्देश्य विदेशी आक्रमण का सामना करना है, जब देश के कोने कोने में जासूसों का जाल बिछा है तो आवश्यक है कि आपातकाल में विधायिका तथा सरकार को इन संवैधानिक परिसीमाओं के बन्धनों से मुक्त किया जाये। संसद् के अधिकार फिर भी वैसे ही रहेंगे और आपातकाल में भी सरकार को अपने हर काम के लिये जवाब देना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

श्री राम सेवक यादव उठे —

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने मशीन चलाई थी ?

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : By mistate I pressed for 'Ayes'.

श्री मुहम्मद इस्माइल (मंजेरी) : मशीन चली नहीं है; बत्ती नहीं जली। मैं विपक्ष में हूं।

श्री किशनवीर (सतारा) : मैंने मशीन तो चलाई थी परन्तु वोट गलत पड़ गया है। मैं पक्ष में हूं।

अध्यक्ष महोदय : इन माननीय सदस्यों के कथन रिकार्ड कर लिये गये हैं। मत विभाजन का परिणाम निम्नलिखित है :

पक्ष में १७२; विपक्ष में ५२

Ayes : 172; Noes : 52

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : हम इसमें साथ नहीं दे सकते इसलिये विरोध करते हुए हम बाहर जाते हैं .... **(अन्तर्बाधा)**।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें इसका अवसर दिया है। यदि वे सभा त्याग करना चाहते हैं तो चुपचाप जा सकते हैं.... **(अन्तर्बाधा)**

Shri Ram Sewak Yadav : **

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में इसे शामिल न किया जाये। समाचारपत्रों वाले भी ध्यान रखें कि वे इसे न लिखें।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी, श्री राम सेवक यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

Shri Surendranath Dwivedy, Shri Ram Sewak Yadav and some other hon. Members then left the House.

श्री अ० कु० सेन : श्रीमान, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

**कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded

सशस्त्र सेनायें (विशेष शक्तियां) जारी रखना विधेयक—जारी

ARMED FORCES (SPECIAL POWERS) CONTINUACNE BILL

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्रीमती लक्ष्मी मेनन द्वारा २२ अप्रैल, १९६४ को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात् :—

"कि सशस्त्र सेनायें (विशेष शक्तियां) विनियम, १९५८ को कुछ और अवधि तक जारी रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री रंगा अपना भाषण जारी रखें।

श्री रंगा (चित्तूर) : हमारे सीमान्त क्षेत्रों में हमारे शत्रुओं के एजेण्ट काम कर रहे हैं जिन्हें बाहर से हथियार मिलते हैं। उन्हें बाहर निकालने या उनके हथियार छीनने की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है और खतरा वैसे का वैसा बना हुआ है।

इस समस्या के समाधान के लिये सेना का प्रयोग कम किया जाना चाहिये और सीमा पुलिस तथा विभिन्न अन्य पदालियों को सुदृढ़ बनाना चाहिये। परन्तु उन लोगों की सेवा की शर्तें अच्छी नहीं है जिससे उनका मनोबल कम होता है। सरकार को चाहिये कि वह इन लोगों को विशेष वेतन और भत्ता दे और उनके परिवारों की देख रेख करे क्योंकि एक तो उनका काम खतरे वाला है और दूसरे महंगे सीमा क्षेत्रों में रहना तथा पीछे अपने परिवारों का भरणपोषण करना उनके लिये कठिन है।

स्थानीय लोगों तथा प्रशासन के बीच सम्बन्धों को सुधारा जाए ताकि लोगों का विश्वास और मित्रता प्राप्त की जा सके।

संचार व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस पर करोड़ों रुपया तो खर्च हुआ है परन्तु भ्रष्टाचार के कारण काम पूरा नहीं हुआ है। उस क्षेत्र में सामुदायिक विकास संस्थाओं की स्थापना की ओर भी ध्यान दिया जाए।

मुझे पता चला है कि जब आक्रमणकारी आये तो कुछ लोगों ने उनका स्वागत किया और जब वे गये तो उन्हें सगे-सम्बन्धियों की तरह विदा किया गया। इसलिये मैं अन्त में सरकार से अपील करना चाहता हूं कि वह इस विधान के अधीन शक्तियां ले कर ही सन्तुष्ट न हो जाये बल्कि स्थानीय लोगों का समर्थन और विश्वास प्राप्त करे ताकि वे अपने और अगली पीढ़ियों के लिये हमारे संरक्षण को ईश्वर की देन समझें।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : श्री रंगा ने जो कुछ कहा है उस का प्रस्तुत विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस विधेयक द्वारा सेना को कुछ शक्तियां प्रदान की जा रही है ताकि वह प्रभावपूर्ण ढंग से अपने कर्त्तब्यों का पालन कर सके। उन्होंने विनियम के कार्यान्वियन के बारे में जो बात कही केवल वही एक सुसंगत बात थी। विनियमों के अन्तर्गत ही दी गई शक्तियों के कारण सेना विद्राहियों के विरुद्ध प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यवाहियां करती रही है। उन के कई एक गुप्त स्थानों को नष्ट किया गया है, ७०० व्यक्ति पकड़े गये हैं और २६० हथियार पकड़े गये हैं। विद्रोहियों के एक गिरोह को पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया। नागालैण्ड में पंचमांगी गतिविधियों के बारे में माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा उस का पुष्टीकरण वहां से प्राप्त सूचनाओं से नहीं होता। फिर भी हमारा प्रशासन इस बारे में काफी सतर्क है।

श्री रंगा : मैंने एक प्रश्न उठाया था कि वहां के नागाओं और हमारी नागरिक सेना के बीच परस्पर सम्बन्धों में सुधार करने के लये क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इस विधेयक का उस से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस विधेयक द्वारा तो सेना को कुछ विशेष शक्तियां दी जा रही हैं ताकि वह वहां बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकें या किसी मकान की तलाशी ले सकें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सशस्त्र सेनायें (विशेष शक्तियां) विनियम, १९५८ को कुछ और अवधि तक जारी रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ होगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २, ३, और ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड २, ३ और ४ विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2, 3 and 4 were added to the Bill.

नया खण्ड ५--निर्सन तथा बचत

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

पृष्ठ १ में पंक्ति १२ के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :--

"5. (1) The Armed Forces (Special Powers) Continuance Ordinance, 1964 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act had commenced on the 2nd day of April, 1964."

["५(१) सशस्त्र सेनायें (विशेष शक्तियां) जारी रखना अध्यादेश, १९६४ एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(२) इस निरसन के होते हुए भी इस अध्यादेश के अन्तर्गत की गई कोई भी कार्यवाही इस अधिनियम के अन्तर्गत की गई समझी जायगी, जैसे कि यह अधिनियम २ अप्रैल, १९६४ से ही प्रारम्भ हुआ हो।"] (१)

यह संशोधन अध्यादेश के निरसन के लिये लाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १ में पक्ति १२ के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें ।

"5. (1) The Armed Forces (Special Powers) Continuance Ordinance, 1964 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act had commenced on the 2nd day of April, 1964."

["५. (१) सशस्त्र सेनायें (विशेष शक्तियां) जारी रखना अध्यादेश, १९६४ एतद् द्वारा निरसित किया जाता है ।

(२) इस निरसन के होते हुए भी, इस अध्यादेश के अन्तर्गत की गई कोई भी कार्यवाही, इस अधिनियम के अन्तर्गत की गई समझी जायगी, जैसे कि यह अधिनियम २ अप्रैल, १९६४, से ही प्रारम्भ हुआ हो ।"] (१)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खड ५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5 was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधुयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड १, अधिनियमनसूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं प्रस्ताव करती हूं कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

प्रतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९६१-६२

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 1961-62

वर्ष १९६१–६२ के लिये सामान्य आयव्ययक के संबंध में अतिरिक्त अनुदनों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं :––

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . .	६०,८०३
१०	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी––नौसेना . .	६१,७९,५१६
१२	प्रतिरक्षा सेवायें, अक्रियाकारी	२०,३२,१८१
१३	शिक्षा मंत्रालय	२०,४९७
१६	आदिमजाति क्षेत्र .	३१,५७,९६४
२४	निगम कर आदि सहित आय पर कर . .	११,१९,३०४
३२	वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	१४,१३,७६०
४७	मंत्रिमंडल	८७,२७८
५०	पुलिस .	२३,४७६
६९	श्रम और रोजगार	५२,९५,०४७
८६	परिवहन तथा संचार मंत्रालय . . .	१,०९,६९८
८८	डाक तथा तार––सामान्य राजस्व को लाभांश तथा रक्षित निधि में विनियोग .	२,९६,६३,५१७
९०	प्रकाश-स्तम्भ तथा प्रकाशपोत	६,६३,४९६
९५	संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित) . . .	१५,६१,५४१

अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :––

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१३	१	श्री यशपाल सिंह	टेलीफोनों पर किया गया अत्यधिक व्यय	१०० रुपये

Shri Yashpal Singh : It is most unfair on the part of the Government to come forward with Demands for excess Grants, when the amounts asked for two years back were granted in full by this House. The travelling and other kinds of allowances for Ministers are totally unjustified. It is better that the Government may seek power to expend unlimited amounts of moneys. I propose that the amounts now demanded may be deducted from the salaries of the Ministers and the public be saved from this burden. Then there is no limit to the telephone calls made by the Ministers. I find that even the washer man and scavengers of the Ministers have telephone connections. On the one hand, there are crores of people who are not able to fill their bellies two times a day and, on the other, our Ministers have full liberty to spend any amounts. This does not conform to the ideals set forth by our ancestors. The way of living of our Ministers belie the ideals set forth in the Bhubaneshwar Rosolution. Wasteful expenditure is particularly deprecable in the contest of the conditions at present prevalent in the country. The Ministers have no right to travel in saloons. Our Home Minister himself told us that 28 crore Indians earn hardly 2 and half annas a day. Therefore I suggest that these excess Grants may be rejected and restrictions may be imposed on the capacity of the Ministers to spend moneys.

श्री रंगा (चित्तूर) : पहले तो अतिरिक्त अनुदानें कुछ लाख रुपये की ही हुआ करती थीं परन्तु अब ५ करोड़ की अनुदानें रखी गई हैं। पहले सरकार अनुदानों की मांगें प्रस्तुत करती है, फिर अनुदानों की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की जाती हैं। इसके पश्चात् यदि अतिरिक्त अनुदानों की मांगें लाई जायें तो वह बहुत ही कम राशि की होनी चाहिये। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यय करने वाले जो विभाग हैं उन पर वित्त मंत्रालय का समुचित नियंत्रण नहीं रहा। वित्त मंत्री को चाहिये कि वह ऐसे विभागों को बतायें कि व्यय में कमी की जानी चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : कई एक मामलों में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का लाया जाना आवश्यक होता है। यह अतिरिक्त अनुदानें न हो कर वास्तविक व्यय सम्बन्धी मांगें ही हैं। कई मामलों में लेखों में त्रुटियां पाई गई हैं। मैं सभा में एक विधेयक लाऊंगा जिस में महालेखा परीक्षक की शक्तियों एवं दायित्वों की परिभाषा की जायेगी और सभा को सुझाव दूंगा कि लेखों सम्बन्धी कार्य सरकार अपने हाथ में ले ले। यह अतिरिक्त मांगें किसी अतिरिक्त व्यय के कारण नहीं वरन् लेखों में रह गई कुछ त्रुटियों के कारण लाई गई हैं। वास्तव में आपत्ति अनुपूरक मांगों के सिलसिले में ही उठाई जानी चाहिये। जो वर्तमान लेखा प्रणाली है वह बहुत पुराने समय से चलती आ रही है और यह त्रुटिपूर्ण है। इस लेखा प्रणाली से यह मालम करना कठिन है कि कितना धन व्यय हुआ और कितना नहीं हुआ। यदि लेखों सम्बन्धी दायित्व विभिन्न मंत्रालयों का हो तो हम उन को किसी अनियमितता के लिये उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। मुख्य नियंत्रण तो महालेखापरीक्षक का रहेगा ही। अब मैंने आदेश दे रखा है कि जब २५ लाख रुपये से अधिक राशि व्यय की जानी हो तो वित्त मंत्रालय से आदेश लिया जाय ताकि हमें मालूम हो कि धन वास्तव में व्यय किया जाना वांछनीय है। परन्तु इस समस्या का उपाय यही है कि व्यय के मामले में मंत्रालयों का उत्तरदायित्व हो।

मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि व्यय में काफी कमी की जा सकती है। मेरी कठिनाई यह है कि मैं वित्त मंत्री हूं और साथ साथ मंत्रिमण्डल में हूं। मुझे अपने सहयोगियों के साथ काम करना होता है जो कई एक मामलों में अनुचित व्यय भी करते हैं। मेरे लिये यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि कौन सा पद आवश्यक है और न कौनसा नहीं है। योजना की प्रगति के लिये कई

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

प्रकार के व्यय वांछनीय होते हैं और कई ऐसे व्यय भी होते हैं जिन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है ।

साम्यवादी दल के एक सदस्य ने कहा कि हम उच्च श्रेणी के पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाये जाते हैं। कई बार ऐसा करना भी वांछनीय होता है चूंकि एक क्लर्क का वह उत्तरदायित्व नहीं हो सकता जितना कि किसी बड़े अधिकारी का ।

जैसा कि मैंने बताया कि यह अतिरिक्त मांगें किसी अतिरिक्त व्यय किये गये धन के लिये नहीं वरन् लेखों सम्बन्धी कुछ त्रुटियों के कारण लानी पड़ी हैं । लेखा पद्धति त्रुटिपूर्ण है । जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये मैं उन पर अवश्य विचार करूंगा । जो सुधार वांछनीय होंगे वह भी लाने का यथासम्भव कोशिश करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री यशपाल सिंह का कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The cut motion was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष १९६१-६२ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुई :—

The following Demands for Excess Grants, for 1961-62 were put and adopted:—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	६०,८०३
१०	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी—नौसेना	६१,७९,५१६
१२	प्रतिरक्षा सेवायें, अक्रियाकारी	२०,३२,१८१
१३	शिक्षा मंत्रालय	२०,४९७
१६	आदिम जाति क्षेत्र	३१,५७,९६४
२४	निगम कर आदि सहित आय पर कर	११,१९,३०४
३२	वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	१४,१३,७६०
४७	मंत्रिमंडल	८७,२७८
५०	पुलिस	२३,४७६
६९	श्रम और रोजगार	५२,९५,०४७
८६	परिवहन तथा संचार मंत्रालय	१,०९,६९८
८८	डाक तथा तार का सामान्य राजस्व को लाभांश तथा रक्षित निधि में विनियोग	२,९६,६३,५१७
९०	प्रकाश-स्तम्भ तथा प्रकाशपोत	६,६३,४९६
९५	संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित)	१५,६१,५४१

सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) संशोधन विधेयक

PUBLIC EMPLOYMENT (REQUIREMENT AS TO RESIDENCE) AMENDMENT BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) अधिनियम, १९५७ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

संविधान के अनुच्छेद १६ (१) के अनुसार जाति, धर्म या निवास आदि के आधार पर नौकरी के सम्बन्ध में किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। तेलंगाना क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा में नौकरियों के बारे में कुछ सांवैधानिक कठिनाईयों को दूर करने के लिये ही वर्ष १९५७ में अधिनियम पारित किया गया था।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

उस अधिनियम को पारित करने से पूर्व कई राज्यों में विकास के आधार पर कुछ शर्तें रखी गई थीं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी कि वह प्रतिबन्ध नहीं रहने चाहियें। परन्तु जब आंध्र प्रदेश बना तो तेलंगना क्षेत्र में कुछ प्रतिबन्ध लगाने आवश्यक थे। चूंकि वह पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। इसीलिये ५ वर्ष के लिये उन लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता देने सम्बन्ध उपबन्ध रख दिया गया। यह अधिनियम वास्तव में २१ मार्च, १९५९ को लागू हुआ। इस के बाद कुछ गैर सरकारी सदस्यों ने एक विधेयक प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि ५ वर्ष के लिये जो उन पिछड़े क्षेत्रों को रियायत दी गई थी वह बहुत अपर्याप्त थी। हम ने सम्बद्ध राज्यों से राय मांगी। आंध्र प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश ने कहा किवहां के लोगों की स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि इस नौकरी सम्बन्धी रियायत की अवधि और बढ़ाई जाय। इस प्रयोजनार्थ यह विधेयक लाया गया है। अधिनियम के खंड ३ संशोधन करके ५ वर्ष की अवधि की बजाय १० वर्ष की अवधि रखी जा रही है। इस अधिनियम की अवधि २१ मार्च, १९६४ को समाप्त हो जाती है। इसलिये खंड ४ के अन्तर्गत पहले अधिनियम की सम्बद्ध अवधि की समाप्ति और नये अधिनियम के लागू होने तक के बीच की अवधि में की गई नियुक्तियों को मान्यता दी जायगी।

मुझे आशा है, कि पिछड़े क्षेत्रों के हित की दृष्टि से यह जो विधेयक लाया गया है सभा इस का समर्थन करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

यह खेद का विषय है कि आंध्र प्रदेश को बने सात वर्ष हो गये हैं और यद्यपि राज्य सरकार ने इस सिलसिले में भरसक प्रयत्न किये हैं परन्तु फिर भी तेलंगाना के लोगों की दशा में पर्याप्त सुधार नहीं हो सका हैं। वास्तव में जो तेलंगाना प्रादेशिक समिति बनाई गई है उस में और राज्य के मंत्रियों में बहुत मामलों में मतभेद पाये जाते हैं जिन के कारण जिन योजनाओं को लिया जाना होता है और जो निधियां व्यय की जानी होती हैं उन के बारे में सन्तोषजनक ढंग से काम नहीं हो पाता। हिमाचल प्रदेश में भी राजनीतिक एवं दलीय मतभेदों के कारण योजनायें कार्यान्वित नहीं की जातीं।

636 (Ai) LSD—5.

[श्री रंगा]

यह हर्ष का विषय है कि निवास सम्बन्धी प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये गये हैं। परन्तु कई अन्य प्रकार के भेदभाव पाये जाते हैं जिन के कारण भाषायी अल्प संख्यकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह इस समस्या की ओर विशेष रूप से ध्यान दें और भाषायी अल्पसंख्यकों को समुचित परित्राण दें।

सम्बद्ध राज्यों में ही नहीं वरन् अखिल भारतीय सेनाओं में भी पिछड़े लोगों के लिये स्थान सुरक्षित होने चाहिये। आसाम के आदिवासियों के लिये भी प्रधान मंत्री ने कुछ समय पूर्व एक प्रस्ताव किया था जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। मुझे आशा है कि जिस प्रकार तेलंगाना, त्रिपुरा, मनीपुर और हिमाचल प्रदेश के लोगों को यह विशेष सुविधायें दी जा रही हैं उसी प्रकार उन आदिवासियों को भी आसाम के प्रशासनिक ढांचे में सुविधायें दी जायेंगी।

श्री हाथी : यह अन्तरिम समय के लिये विधान है। हम काफी काल तक इस क्षेत्र को पिछड़ा हुआ नहीं रखना चाहते। अब भी इसके लिये बड़े संकोच से पांच वर्ष रखे जा रहे हैं। फिर भी मेरा मत यह है कि शिक्षा अथवा औद्योगिक प्रगति के लिये पांच वर्ष बहुत ही अल्प काल है। पांच वर्षों में तलागांग, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा के लोग भी उसी स्तर पर आ जायेंगे जिस स्तर पर कि अन्य भारत के लोग हैं।

इन प्रदेशों में स्थानीय नौकरियां भी स्थानीय लोगों को ही देना सम्भव नहीं हो पाया। १३२१८ नौकरियों में से ६१५१ स्थानों पर स्थानीय लोग लगाये गये। कई स्थान इस लिये खाली पड़े हैं कि स्थानीय लोग मिल नहीं रहे। उनको इसके लिये तैयार करना होगा और यह काम हम आनेवाले पांच वर्षों में पूरा करेंगे। अखिल भारतीय स्तर पर यदि नौकरियां इस प्रदेश के लिये सुरक्षित कर दी गई तो लोगों में जोश नहीं रहेगा और कई कठिनाइयां भी पैदा हो जायेंगी। अतः मैं यह आश्वासन देता हूं कि इस दिशा में सभी सम्भव कदम उठाये जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) अधिनियम, १९५७ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड ३, ४, १, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 3, 4, 1, enacting formula and Title were added to the Bill.

श्री हाथी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अधिवक्ता (संशोधिन) विधेयक

ADVOCATES (AMENDMENT) BILL

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभूषेन्द्र मिश्र) : श्री अ० कु० सेन की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि अधिवक्ता अधिनियम १९६१ में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

अधिवक्ता अधिनियम १९६१ में इसलिए पारित किया गया था कि देश में एक ही प्रकार के वकील हों और अधिवक्ता को संपूर्ण भारत में विधि व्यवसाय करने का अधिकार हो फिर भी राज्य बार कौन्सिलों और अखिल भारतीय बार कौसिल के काम में कुछ व्यावाहरिक कठिनाइयों का अनुभव हुआ। भारत के बार कौंसिल के सुझाव पर ही यह विधेयक सदन के सामने लाया गया है ।

यह प्रस्ताव है कि देश के विभिन्न भागों में कुछ भार्गों के विधि व्यवसायियों को भी अधिवक्ताओं के रूप में दर्ज कर लिया जाये या दर्ज करने की अनुमति दी जाये। यह भी विचार है कि सामान्य सूची किस प्रकार रखी जाये यह निश्चित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार भारत के बार कौंसिल को दिया जाये।

इस विधेयक द्वारा उच्चतम न्यायालय के विरष्ठ अधिवक्ताओं को यह विकल्प देने का भी प्रयत्न किया गया है कि यदि वे चाहें तो उन्हें कनिष्ठ अधिवक्ता माना जायगा ताकि वे उच्चतम न्यायालय में कुछ प्रकार के काम स्वीकार करने से वंचित न किये जायें ।

यह भी व्यवस्था की गयी है कि अखिल भारतीय बार कौंसिल में उसके सदस्य के रूप में, राज्य बार कौंसिल का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी सदस्य का कार्यकाल उस समय समाप्त हो जायेगा जब वह राज्य बार कौंसिल का सदस्य नहीं रहेगा। अखिल भारतीय बार कौंलिस की शक्तियां राज्य बार कौंलों पर भी लागू करनी होंगी ताकि एक सी नीति हो ।

यह वे छोटे छोटे संशोधन हैं जिन्हें अधिनियम में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है जिसे मैं आप की अनुमति से प्रस्तुत करता हूं :—

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे याद है कि जब इस दिशा में प्रथम संशोधन प्रस्तुत किया गया था तो वकीलों की ओर से विशेष रूप से नये विधि स्नातकों की ओर से यह अभ्यावेदन दिया गया था जिसमें उन्हें रियायत नहीं दी गयी थी। विधेयक में कुछ रोकें थीं। जब पहला विधेयक वापिस लिया गया था तो मुझे आश्चर्य हुआ था परन्तु जब माननीय मंत्री से यह मालूम हुआ कि वह विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं तो काफी सन्तोष हुआ था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस विधेयक में लगभग वह सभी बातें हैं जो कि स्नातक लोग चाहते हैं। बार कौंसिलों को अधिक शक्तियां दी गई हैं तथा कुछ मामलों में नियम बनाने की भी अधिक शक्तियां हैं जो केन्द्रीय सरकार को दी गई हैं ।

मुझे काफी सन्तोष होगा यदि उपमंत्री महोदय इस बात पर प्रकाश डालें कि किस प्रकार से यह नियम बनाये जायेंगे तथा उनकी प्रमुख बातें क्या होंगी। इस विधेयक से सभी को अवसर प्राप्त होगा तथा उद्देश्य यही है कि भविष्य में किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं इस विधेयक के लिए माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

श्री ओझा (सुरेन्द्र नगर) : मेरा ध्यान विधि स्नातकों की बहुत सी कठिनाइयों की ओर आकृष्ट करवाया गया है । उन्हें परीक्षा पास करने के बाद प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । माननीय मंत्री भी इस मत के हैं कि कई विधि स्नातकों को अपनी डिग्री प्राप्त करने से पहिले कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कई व्यक्तियों को समय पर डिग्री प्राप्त नहीं होती तो इसमें उनका दोष नहीं होता । अच्छा है यह व्यवस्था कर दी गयी है कि यदि कुछ लोगों को डिग्रियां किसी विशेष कारण से समय से पहिले प्राप्त हो जायेंगी तो उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इसका निर्णय डिग्रियों के दिये जाने की तारीख के आधार पर नहीं बल्कि परीक्षाओं की तारीख के अनुसार किया जाना चाहिये। विधि स्नातकों ने कुछ अन्य शिकायतें भी प्रस्तुत की हैं। उनको इस बारे में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि कुछ केन्द्रों में १० साल के अनुभवी वकील नहीं हैं जिनके अधीन प्रशिक्षण लिया जा सके। वकीलों को अपने कमरों में दो छोटे वकीलों से अधिक लेने की अनुमति नहीं है । इससे परेशानी होती है ।

श्री दाजी (इन्दोर) : मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं। एक यह कि विधिजीवी परिषदों की सदस्यता के लिए योग्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न और यह कि खड़े हो कर मतदान कौन कर सकता है, बनने वाले नियमों पर नहीं छोड़े जाने चाहिए। कम से कम विधेयक में कुछ रेखायें और सीमायें निर्धारित होनी चाहियें जिनमें विधिजीवी परिषदें नियम बनाने के अधिकार का प्रयोग कर सकें।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं उपमंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं वह यह है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में विधि सम्बन्धी पाठ्यक्रम अलग अलग है। परीक्षाओं की तारीखें भी भिन्न हैं जिसके फलस्वरूप विधिजीवी परिषदों के अधीन काम करने के नियम भी अलग अलग हैं। उचित स्थितियां उत्पन्न की जानी चाहिएं ताकि सभी विश्वविद्या-

लयों के सभी विधि स्नातकों को विधि के समान लाभ प्राप्त हो सकें। यह एक ऐसी कठिनाई है जिसकी ओर सरकार का ध्यान जाना ही चाहिये।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : अखिल भारतीय बार कौंसिल बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। यदि इसका कार्य ठीक ढंग से चले तो यह बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकती है मेरे विचार में यदि अखिल भारतीय बार कौंसिल को दिये गये अधिकारों का ठीक ढंग से प्रयोग किया जाय तो इससे न्यायपालिका में काफी सुधार हो सकता है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विधि मंत्री ने इस सदन में दिये जाने वाले विभिन्न सुझावों को सम्मिलित कर के एक विधेयक प्रस्तुत किया है। इससे बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी। यह अच्छी बात है कि १० वर्ष के अनुभवी वकीलों में से कुछ प्रतिशत राज्य विधिजीवी परिषदों में शामिल होंगे। मेरा यह भी निवेदन है कि इस विधिजीवी परिषदों का काम ठीक ढंग से चल सके उसके लिए वह इतनी शक्तिशाली होनी चाहिएं कि इन्हें न्यायपालिका में न्यायधीश नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त हो सके। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता निश्चित हो जायेगी। मुझे विश्वास है कि इस विधेयक द्वारा इस दिशा में अच्छा कार्य आरम्भ हो जायेगा। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : श्री बनर्जी द्वारा नियम बनाने के बारे में प्रश्न प्रस्तुत किया गया है इस बारे में मेरा निवेदन है कि सरकार नियम बनाने का अधिकार विधिजीवी परिषदों की शक्तियों का अतिक्रमण कर के नियम बनाने की इच्छा से नहीं ले रही है। जहां नियम नहीं होंगे सरकार वहां ही नियम बनायेगी। नियम संसद् की सभाओं के सामने रखे जायेंगे। अधिनियम की धारा ३४ के अनुसार विश्वविद्यालय के परिणाम घोषित होते ही व्यक्ति को विधि स्नातक समझा जायेगा। भारतीय विधिजीवी परिषद् ने एक विधि शिक्षा उपसमिति बनाई है और उसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम क्या हो। इससे देश में एकसी विधि शिक्षा का होना निश्चित हो जायेगा।

इन शब्दों के साथ में यह विधेयक सभा के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिवक्ता अधिनियम १९६१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंडवार चर्चा होगी।

खण्ड २—धारा ३ में संशोधन

Clause 2—Amendment to Section 3

श्री सिंहासनसिंह (गोरखपुर) : विधेयक के खंड २ के अनुसार परिषदों के आधे स्थान वरिष्ठ वकीलों के लिए संरक्षित किये गये हैं। यह नया उपबन्ध है। सम्भावना यह है कि इससे नये युवक वकीलों में वैमनस्य फैलेगा। पता नहीं इस परिवर्तन से सरकार को क्या लाभ होने जा रहा है।

इस संशोधन के पूर्व सदस्यता के नवीकरण का कोई प्रश्न नहीं था परन्तु अब सदस्यता के पुनर्नवीकरण सम्बन्धी उपबन्ध का अर्थ यही होगा कि राज्यों को विधि जीवी परिषदों की नामावलियों का वार्षिक पुनरीक्षण किया जाय। अधिनियम में बार बार संशोधन किये गये हैं। मेरा मत यह है कि इसको इतनी शीघ्रता से नहीं बदला जाना चाहिए। केवल उसी समय इसमें संशोधन करना चाहिए जब बहुत ही आवश्यक हो।

Shri D. D. Mantri (Bhir) : It is said in the clause No. 2 " Provided that as nearly as possible one half of such elected members......". I submit that there should be some clarity in this matter so that there may not be any difficulty in making the representation I think 'as nearly as' should be deleted.

श्री अ० कु० सेन : नया खंड अखिल भारतीय बार कौंसिल के सुझाव के अनुसार रखा गया है। यह बात अच्छी नहीं लगती कि कुछ सीनियर वकील चुनावों के शोरगुल में भाग नहीं लेते। इसका परिणाम यह होता है कि उनके अनुभव का "बार कौंसिल" को लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिये उनके लिए रक्षित स्थानों का लाभ रखा गया है। 'यथा सम्भव लगभग' ये शब्द झकड़े को टालने की दृष्टि से रखे गये हैं।

विभिन्न बार कौंसिलों द्वारा चुनावों के लिए नियत विभिन्न योग्यताओं की सम्भावना को टालने के लिए उपबन्ध रखा गया है ताकि सारे देश में एक जैसी योग्यतायें निर्धारित की जा सकें। इसी प्रकार खंड ५ में अनुशासन समिति की सदस्यता अखिल भारतीय बार परिषद् की सिफारिश के अनुसार निश्चित की गयी है। वास्तव में उनके लिए कभी कभी पांच सदस्यों को ढूंढना कठिन हो जाता है, अतः वह संशोधन रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड ३ और ४ विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 3 and 4 were added in the Bill.

खण्ड ५ (अनुशासन समितियां)

श्री कु० ला० मोरे : मैं खंड ५ के बारे में एक दो बातें कहना चाहता हूं। खंड ५ के अन्तर्गत बार कौंसिल की अनुशासन समिति की सदस्यता ५ से घटा कर ३ कर दी गयी है। क्योंकि इससे समिति काफी बड़ी हो गयी थी। मेरे विचार में पांच उचित संख्या है, इसे कम नहीं किया जाना चाहिए।

श्री अ० कु० सेन : यह सुझाव भी अखिल भारत विधिजीवी परिषद् द्वारा दिया गया है। उन्होंने महसूस किया है कि ५ सदस्यों का मिल सकना कठिन होगा। इसलिये उन्होंने अनुशासन समिति की बैठक के लिये ३ सदस्यों का मिलना ठीक समझा है। इसलिये, वह उपबंध रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5 was added to the Bill.

खण्ड ६ से १० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 6 to 10 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ११ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 11 was added to the Bill.

खण्ड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 12 was added to the Bill.

Clause 13—(Amendment of Section 24)

श्री हे०वी० कौजलगी (बेलगांव) : १९६२ के अधिनियम १९६२ के अनुसार २८ फरवरी १९६३ तक पास हुए विधि स्नातकों को और प्रशिक्षण से विमुक्त किये गये थे अब ३१ मार्च १९६४ तक पास हुए छात्रों को विमुक्ति दी जा रही है । इसके अनुसार केवल उन विश्वविद्यालयों के छात्रों को लाभ प्राप्त होगा जहां मार्च में परीक्षा परिणाम निकाल दिया जाता है । अधिकांश विश्वविद्यालयों के परीक्षा परिणाम मई में निकलते हैं अतः १९६४ में पास होने वाले सभी छात्रों को यह विमुक्ति देनी चाहिये ।

श्री अ०कु० सेन : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि किसी विश्वविद्यालय के मामले में यह आवश्यक हुआ तो उसी के लिए सरकार ने तिथि बढ़ाने का अधिकार ले लिया है ।

श्री कृ० चं० मोरे : मैं माननीय मंत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने धारा २४ के अधिकारों को विस्तृत कर दिया है जिससे सभी श्रेणियों के वकीलों को लाभ होगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं पूर्व वक्ता की धारणा का समर्थन करता हूं । अब माननीय मंत्री कहते हैं कि यदि किसी विश्वविद्यालय का विशेष मामला हुआ तो नियमों द्वारा तिथि बढ़ा दी जाएगी । किन्तु विभिन्न राज्यों में परीक्षा की तिथियां भिन्न भिन्न हैं अतः माननीय सदस्यों के मन में यह आशंका विद्यमान है। अभी अधिक विलम्ब नहीं हुआ और एक पुरन्तुक द्वारा यह उपबंध किया जा सकता है कि ३१ मार्च १९६४ अथवा परिणाम घोषित होने की तिथि में जो पहले हो उसे रखा जाएगा। यह उचित नहीं कि बार बार तिथि में संशोधन प्रस्तुत किया जाए । मेरा निवेदन है कि अभी पुरन्तुक लाना उचित होगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं क्योंकि इससे विशेष रूप में पश्चिम बंगाल के लगभग ९०० मुख्तारों को मान्यता दी जा रही है। उनके पास डिग्री नहीं किन्तु वे अनुभवी लोग हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्या अधिक समय चाहती है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : तो वे कल भाषण जारी रखें। अब गैर सरकारी सदस्यों का काम आरम्भ किया जाए।

गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

(बयालीसवां प्रतिवेदन)

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सबंधी समिति की बयालीसवें प्रतिवेदन से, जो २२ अप्रैल, १९६४ को सभा में प्रस्तुत की गई थी, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की बयालीसवें प्रतिवेदन से, जो २२ अप्रैल, १९६४ को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

लोक प्रतिनिधि (संशोधन) विधेयक

(नई धारा ६ का रखा जाना)

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

INSERTION OF NEW SECTION 6-A

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnaur) : I beg to move :

That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of People Act, 1951.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Prakash Vir Shastri : I introduce the Bill.

अधिकार प्राप्त व्यक्तियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण विधेयक

FIXATION OF RESPONSIBILITY (OF PERSONS IN AUTHORITY) BILL

श्री पराशर (शिवपुरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा तथा देश के विकास के संबंध में अधिकार प्राप्त व्यक्तियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के निश्चित करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा तथा देश के विकास के संबंध में अधिकार प्राप्त व्यक्तियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के निश्चित करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री पराशर : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

संविधान संशोधन विधेयक

(अनुच्छेद ८५ का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(AMENDMENT OF ARTICLE 85)

Shri Prakash Vir Shastri. : I beg to move "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the constitution of India."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Prakash Vir Shastri : I introduce the Bill.

Shri Prakash Vir Shastri : I beg to move : That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

Shri Prakash Vir Shastri : I introduce the Bill.

Shri Raghunath Singh : हम सब इस मामले में सहमत हैं ।

सर्कस कर्मचारियों का संरक्षण विधेयक--जारी

PROTECTION OF CIRCUS EMPLOYEES BILL—contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा **श्री आनन्द नम्बियार द्वारा** १० अप्रैल, १९६४ को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी

"कि सर्कस कर्मचारियों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ और कामगर प्रतिकर अधिनियम १९२३ आदि को लागू करके उन्हें संरक्षण देने वाले बिल पर विचार किया जाए ।"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । इस देश में यह दुर्भाग्य की बात है कि जो श्रम संबंधी विधान भली प्रकार चर्चा के बाद बनाये गये हैं सर्कस पर लागू नहीं होते । हाल में जो रूसी सर्कस देश में आया था उसके एक प्रबंधक से मैंने पूछा था कि क्या उनके देश में छोटे बच्चों को सर्कस में नौकर रखा जाता है । उसने बताया कि जिन बच्चों के माता पिता सर्कस में न हों उन्हें नहीं लिया जाता । इस प्रकार वहां बच्चों के हितों की रक्षा की जाती है । किन्तु यहां निराश्रित बच्चों को भर्ती कर लिया जाता है । और प्रबंधक उन पर घोर अत्याचार करते हैं ।

हम अपने बच्चों को उचित शिक्षा और मनोरंजन के लिए चाहते हैं कि सर्कस बने रहें किन्तु, सर्कस के कलाकारों को उचित प्रोत्साहन देना चाहिये । मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जहां सर्कस के कर्मचारियों के अपंग हो जाने पर भी उन्हें कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गई । महिलाओं को प्रसवकाल में भी जबरदस्ती सर्कस के खेल करने पर मजबूर किया जाता है । इन कर्मचारियों को सभी श्रम विधियों जैसे विषय निधि अधिनियम, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम आदि का लाभ प्राप्त होना चाहिये ।

श्री मनोहरन : मैं विधेयक की भावना के विरुद्ध नहीं हूं किन्तु सर्कस के प्रबंधकों की कठिनाइयों की ओर भी ध्यान देना चाहिये । सर्कस सर्वथा प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है । वर्षा काल में उनका कोई धंधा नहीं होता और उन्हें जगह जगह घूमना पड़ता है । श्री नम्बियार का सुझाव

है कि ५ या ८ वर्ष की आयु के बच्चों को सर्कस में नहीं लेना चाहिये । किन्तु अधिक आयु हो जाने पर बच्चों के पट्ठे सख्त हो जाते हैं और तब वे सर्कस की कला नहीं सीख सकते । अतः स्वभावतः उन्हें छोटी आयु से ही प्रशिक्षण देना पड़ता है ।

क्षतिपूर्ति देने के सुझाव से मैं सहमत हूं ।

श्री नम्बियार का यह भी सुझाव है कि सर्कस के कर्मचारियों को पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिये । इससे सहमत होते हुये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि सर्कस में छोटे बच्चों को लेना होता है अतः उनको सूचारू रूप से पोषण होना चाहिए और साथ ही प्रशिक्षण और अनुशासन की दीक्षा भी मिलनी चाहिये । यह सिनेमा से भिन्न प्रकार की कला है अतः इसके सम्बंध में भिन्न व्यवहार करना होगा । रूस में ५ और ६ वर्ष के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है ।

अनेक देशों में सर्कस का राष्ट्रीयकरण किया गया है किन्तु यहां उन्हें सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन या सहायता नहीं दी जाती । सर्कस एक सांस्कृतिक संस्था है किन्तु, कोई भी उसके विकास के लिए प्रयत्नशील नहीं है । अतः मेरा निवेदन है कि श्री नम्बियार जिन ऐसे उपबंधों को लाना चाहते हैं जिन से यह उद्योग ही समाप्त हो जायगा उन्हें विधेयक से निकाल देना चाहिये ।

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रा० कि० मालवीय) : मैं प्रसन्न हूं कि श्री नम्बियार इस विधेयक को लाए हैं किन्तु सर्कस के कर्मचारियों को वर्तमान विधियों के अन्तर्गत पूरा संरक्षण प्राप्त है । दुर्भाग्य की बात है कि सर्कस के कर्मचारी संगठित नहीं हैं । अभी हाल में उनका एक मजदूर संघ रजिस्टर हुआ है ।

मैं खण्डवार बताऊंगा कि ये कर्मचारी किस प्रकार वर्तमान विधियों के अन्तर्गत आते हैं । खण्ड ३ के अनुसार इन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत मानना चाहिये और औद्योगिक विकास अधिनियम की धारा २ में उपक्रम और व्यवसाय का भी उल्लेख है जिसके अन्तर्गत ये कर्मचारी भी आ जाते हैं ।

राज्यों ने मनोरंजन संबंधी संस्थानों के लिए भी कानून बना रखे हैं और वे कानून इन कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं ।

विधेयक के खण्ड ८ में उपबंध है कि सर्कस के प्रबंधकों को कर्मचारियों की सूची रखनी चाहिये और इधर दिल्ली के दुकान तथा संस्थान नियमों का ही उदाहरण लें तो वहां इस प्रकार का उपबंध है ।

दिल्ली के इन नियमों की धारा ३५ में यह भी उपबंध है कि प्रबंधकों को चाहिये कि वह निरीक्षक को निरीक्षण का अवसर दें ।

विधेयक के खण्ड ५ (१) में उपबंध है कि सर्कस के कर्मचारी से ८ घंटे प्रति दिन से अधिक काम नहीं लेना चाहिए । दिल्ली दुकान संस्थान अधिनियम की धारा ८ में यही उपबंध है ।

विधेयक का खण्ड ५ (१) और दिल्ली दुकान संस्थान अधिनियम की धारा २ (७) के उपबंध समान हैं कि प्रशिक्षण के काम को भी काम का समय मानना चाहिये । इसी प्रकार विधेयक का खण्ड ५ (३) और उक्त अधिनियम की धारा (२) १४ के उपबंध समान हैं कि पूर्वाभ्यास के काल को भी काम का समय मानना चाहिये ।

[श्री रा० कि० मालवीय]

यदि सर्कस के प्रबंधक कर्मचारियों को काम के समय के बाद स्वतंत्रता न दें कि वे जहां चाहे जा सकें जिसका उपबंध खण्ड ६ में किया गया है तो भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है ।

उक्त अधिनियम की धारा २ (२) के अनुसार १२ वर्ष से कम आयु के बच्चों को वियुक्त नहीं कया जा सकता जिसका उपबंध विधेयक के खण्ड ७ (१) में किया जा रहा है।

खण्ड ७ (२) और ७ (३) के उपबंध अनुचित हैं क्योंकि ऐसे उपबंध किसी भी श्रम विधि में नहीं कि १२ से १८ वर्ष की आयु के बच्चों का वेतन उनके माता पिता को भेजा जाए ।

दिल्ली दुकान और संस्थान अधिनियम की धारा १३ और १४ के अन्तर्गत नवयुवकों को संरक्षण दिया गया है और उनसे रात के ६ से प्रातः ७ बजे तक काम नहीं लिया जा सकता । ये उपबंध सर्कस पर भी लागू होते हैं ।

विधेयक के खण्ड ८ के छुट्टी सम्बंधी उपबंध भी उक्त अधिनियम की धारा २२ में हैं ।

कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, १९२३ के अन्तर्गत सर्कस के कर्मचारियों को भी क्षतिपूर्ति मिल सकती है । इस सम्बंध में कोई अस्पष्टता नहीं है । जिन मामलों की ओर श्री नम्बियार और अन्य सदस्यों ने निर्देश किया है कि उनमें क्षतिपूर्ति नहीं दी गयी, यदि उनके बारे में वे लिखें तो जांच की जाएगी ।

विधेयक के खण्ड १० में उपबंध किया गया है कि कर्मचारी की मृयु हो जाने पर क्षतिपूर्ति मृतक के माता पिता को दी जाए । कर्मचारी क्षति पूर्ति अधिनियम की धारा ८(१) में उपबंध है कि ऐसी क्षतिपूर्ति आयुक्त के माध्यम से करनी होगी जो मृतक के आश्रित लोगों में बांट दी जाएगी ।

सर्कस का काम बहुत खतरनाक होता है किन्तु यह उद्योग इसी पर तो आधारित है । मंत्रालय का इससे कोई सम्बंध नहीं है । सर्कस के प्रबंधक स्वयं अपने हित के लिए कर्मचारियों की रक्षा का प्रबंध करते हैं ।

यह बात गलत है कि सर्कस उद्योग में सभी निरक्षर है । यदि नम्बियार इस प्रकार की कोई शिकायत लाएं कि निरक्षर कर्मचारियों को प्रबंधक धोखा देते हैं तो उसकी जांच की जाएगी । अतः मुझे आशा है कि ऐसी स्थिति में श्री नम्बियार विधेयक पर बल नहीं देंगे ।

श्री मा० श्री० अणे (नागपुर) : सर्कस में पशु भी तो होते हैं । क्या उनके संरक्षण के लिए भी उपबंध है ।

श्री रा० कि० मालवीय : वे उनकी पूरी देखभाल करते हैं नहीं तो उनका धंधा खत्म हो जाए ।

श्री नम्बियार : दिल्ली दूकान और प्रतिष्ठान अधिनियम जैसा विधान जिसे मंत्री महोदय आदर्श विधान समझते हैं, सभी राज्यों में होना चाहिये ताकि संपूर्ण देश के लिए एक जैसी ही उपबन्ध हों । यदि इस उद्योग को ऐसे अधिनियम के अधीन लाने के लिए, अधिसूचनाओं की आवश्यकता हो, तो उस संभावना का परीक्षण किया जाये और राज्यों को अधिसूचनाएं जारी करने का आदेश दिया जाये।

मेरा यह इरादा नहीं है कि सर्कस उद्योग को बालकों की सेवाओं से वंचित रखा जाये। मेरा यह कहना है कि इस उद्योग में काम करने वाले १२ वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को संरक्षण दिया जाये इस संबंध में श्रम विधान में कुछ त्रुटि है और सरकार को ही यह यह निर्णय करना होगा कि उसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है । यदि इस उद्योग में बालकों की नियुक्ति अवैध हो तो वह अवैधता दूर कर के सरकार को उस उद्योग की सहायता करनी चाहिये। मनोरंजन कर से छूट देकर या अन्य सुविधाएं देकर सरकार उस उद्योग की मदद कर सकती है । इसलिए जो भी त्रुटि हो उसे दूर किया जाना चाहिये ताकि इन कर्मचारियों को संरक्षण प्राप्त हो ।

हम माननीय उपमंत्री को अवश्य ही ऐसे मामले बतायेंगे जहां क्षतिपूर्ति नहीं दी गयी है लेकिन उस में अवधि की पावन्दी नहीं होनी चाहिये। किसी भी सरकारी कर्मचारी को यह नहीं मालूम है कि उसे सभी श्रमिक कानूनों का लाभ प्राप्त है । मैं भी यह नहीं मालूम कर सका कि वे इन अधिनियमों के अन्तर्गत आते हैं या नहीं । यह कठिनाई दूर की जानी चाहिये और कर्मचारियों की सहायता की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सर्कस कर्मचारियों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ और कामगर प्रतिकर, अधिनियम १९२३ आदि को लागू कर के संरक्षण देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

संसद-सदस्य वेतन-भत्ता (संशोधन) विधेयक

धारा ३ और ५ का संशोधन

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 3 and 5)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि संसद्-कार्य मंत्री श्री सत्यनारायण सिंह से लोक सभा के सचिव के नाम दिनांक २३ अप्रैल, १९६४ की निम्नलिखित सूचना आज प्राप्त हुई है :—

"लोक सभा में श्री रघुनाथ सिंह द्वारा प्रस्तुत संसद्-सदस्य वेतन-भत्ता (संशोधन) विधेयक, १९६४ की विषय सामग्री की जानकारी प्राप्त होने पर राष्ट्रपति ने उपर्युक्त विधेयक पर विचार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद ११७(३) के अधीन सिफारिश की है।"

"मुझे आपको यह सूचित करना है कि श्री रघुनाथ सिंह के संसद्-सदस्य वेतन-भत्ता, (संशोधन) विधेयक में संशोधन करने के लिए श्री सी० एच० मोहम्मद कोया, श्री एम० के० कुमारन और श्री काशीराम गुप्त द्वारा समर्थित संशोधन संख्या १ और ४ को प्रस्तुत करने की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति

[उपाध्यक्ष महोदय]

को सलाह देने का विचार नहीं है। इसकी ओर अध्यक्ष महोदय का ध्यान कृपया दिलाया जाये। क्योंकि राष्ट्रपति की सिफारिश न होने पर संशोधन संविधान की अनुच्छेद ११७(१) के अनुसार पेश नहीं किये जा सकते।

इस बात की ओर भी अध्यक्ष महोदय का ध्यान दिलाया जाये कि प्रस्तावित संशोधन संविधान के अनुच्छेद ११० (१) (क) के तथा अनुच्छेद २७४ के उपबन्धों को आकृष्ट करते हैं।"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : औचित्य प्रश्न के हेतु, श्रीमन् यह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। नियम ६९(१) में यह स्पष्ट कहा गया है कि वित्तीय ज्ञापन खंडों की ओर विशेष ध्यान आकृष्ट करेगा, इसलिए जब तक वित्तीय ज्ञापन में खंडों का उल्लेख नहीं किया जाता तब तक यह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति की मंजूरी २३ अप्रैल, १९६४ को प्राप्त की गयी है। इसका मतलब यह है कि विधेयक पेश करते समय राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त नहीं थी। मैं जानना चाहता हूं कि समय पर स्वीकृति प्राप्त न करने के लिए कौन जिम्मेदार है। मेरी राय में इन कारणों से यह विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक में वित्तीय ज्ञापन दिया गया है। खंड भी दिये गये हैं। मैं समझता हूं कि नियम का पूरा पालन किया गया है। जहां तक राष्ट्रपति की स्वीकृति का प्रश्न है वह विचार प्रक्रम तक ही आवश्यक होती है। अब हम विचार प्रक्रम में हैं। और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर दी गयी है। इसलिए इस में कोई औचित्य प्रश्न नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद सदस्य द्वारा वेतन भत्ता अधिनियम, १९५४ में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

The salaries and allowances which the Members of Parliament get in India are the lowest paid to Members of Parliament anywhere in the world. They cannot be compared to what is being paid in other Commonwealth countries, Arab countries and European countries. In addition to better salaries and allowances the Members of Parliament in those countries are getting many other facilities which we do not get here. Even in India some of the State Legislators are getting better emoluments than M.Ps.

A Member of Parliament in India suffers from a number of drawbacks. He has to maintain two family establishments, one in the capital and the other in the home town. Due to the vastness of the country he has to travel long distances between his constituency and the capital and he has to incur a lot of expenditure on that account. With the present rate of emoluments, it is difficult for him to carry on his work and to discharge his responsibilities faithfully and effectively. It is therefore, necessary that his salary and allowances should be increased.

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं]
[DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

यहां दो संशोधन हैं, एक श्री रामसेवक यादव का और दूसरा स्वामी रामेश्वरानन्द का । इन दोनों ही संशोधनों को सारहीन घोषित किया जाना है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह विधेयक पर राय जानने के लिए उसे १० अगस्त, १९६४ तक के लिए परिचालित किया जाये।"

Shri A.N. Vidyalankar : While one is inclined to agree with the principle underlying the Bill, one cannot overlook the conditions prevailing in our country. The public sentinent must be taken into account. Since we are the beneficiaries under the present measure, any hurry shown in its passage is likely to be misunderstood by the public at large. We should hesitate to pass a measure of this kind so long as millions of our countrymen continue to groan under object poverty.

श्री दाजी (इंदौर) : इस विधेयक के संबंध में मैं पूछना चाहता हूं कि यह विधेयक सरकारी विधेयक के तौर पर क्यों नहीं पेश किया गया । सरकार इस प्रश्न को टालना क्यों चाहती है ? इस विधेयक पर ठंडे दिमाग से विचार किया जाना चाहिये। माननीय प्रस्तावक महोदय ने उद्देश्य और कारणों के अपने विवरण में कुछ कारण बताये हैं। उन कारणों के बारे में किसी को आपत्ति नहीं होगी लेकिन हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न से जो आप पूछना है वह यह है कि प्रस्तावक महोदय ने जिन देशों का उल्लेख किया है उनकी तुलना में हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है । ६० प्रतिशत से अधिक जनता की औसतन आमदनी सिर्फ सात आने प्रतिदिन है । इसी पार्श्वभूमि में इसी गरीब देश से और करों के बोझ से लदी हुई भूखी जनता से हम अपने लिए अधिक वेतन मांग रहे हैं।

मूल्यों की वृद्धि रोकने की नीति अपनाने के लिए सरकार को बाध्य करने में हम असफल हुए हैं । सरकारी कर्मचारियों को उन के मासिक महंगाई भत्ते में २ रु० की वृद्धि की गयी है लेकिन हम अपने लिए अब १० रु० प्रतिदिन और १०० रु० प्रतिमास वढ़ोतरी चाहते हैं। इस विधेयक के लिए कोई नैतिक आधार नहीं है । अन्य देशों के संसद् सदस्यों को मिलने वाले वेतन और सुविधाओं की तुलना से इस विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता । यदि यहां के संसद् सदस्यों को अधिक सुविधाएं देने के लिए जैसे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मुफ्त टेलीफोन सेवा, मुफ्त डाक सेवा, आदि कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता तो हम उसका समर्थन करते। सरकार निर्वाह लागत सूचकांक को भी ठीक नहीं कर सकी है । सरकार ने मालिकों के साथ मिलकर यह सूचकांक को ठीक न करने के संबंध में एक गठबन्धन कर लिया है ताकि मजदूरों को ज्यादा महंगाई न देना पड़े क्योंकि सरकार भी रेलवे, डाक विभाग और असैनिक सेवाओं में काफी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को को नियुक्त करती है। इसलिए देश की संपूर्ण स्थिति, गरीबी, बढ़ती हुई कीमतें, करों का बोझ आदि सभी बातों को देखते हुए मेरी राय में यह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये। हम केवल विरोध के लिए इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम इस से सहमत हैं कि इस विधेयक पर शांति से विचार किया जाना चाहिये

[श्री दाजी]

और इसे अच्छे समय तक के लिए स्थगित किया जाना चाहिये । हमें एक उदाहरण और आदर्श प्रस्तुत करना चाहिये कि कष्ट उठाने के लिए सब से आगे हों और लाभ उठाने के लिए सब से पीछे । विशेषकर संकटकाल में यह एक मजाक समझा जायगा ।

Shri S.M. Banerjee : My amendment is that the Bill be circulated fore licting public opinion thereon by the 10th August, 1964. This amendment will provide us an opportunity to ascertain the reactions of the people in regard to this Bill.

The hon. Member Shri Raghunath Singh has referred to Australia and New Zealand; but he has failed to give an account of the deplorable conditions prevalent in his own constituency. Let us see things in their right perspective. China has committed aggression on our country. Lakhs and lakhs of people, who became victims of the cruelties perpetrated in Pakistan, are coming over here. 27 or 28 crores of people hardly earn 7 and a half annas a day. Taxes worth crores of rupees suck the blood of the starving people like horse-leeches. In such circumstances, we are hardly justified in demanding an increase in our salaries and allowances. Let us refer this measure for eliciting the opinions of the masses and thereby gauge their feelings.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Shri Barupal's move to effect this measure retrospectively is all the more deprecable. Unless we are successful in mitigating the hardships and sufferings of the down-trodden masses, until we are able to improve their standard of living and bring down the ever rising prices, we have no right to put through such a measure.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : This is most unreasonable and untimely measure in the existing set of environments. The allowances of the employees have been increased by only Rs.2, 5 and 10. 27 crores of the people in our country hardly earn 3 annas a day. Let us compare the proposed measure with these facts. I request earnestly that we should be more practical in our outlook. Unless we are able to better the lot of the starving millions, we have no right to ask for such an enhancement. Instead of increasing the salaries and allowances of the Members, they should be given some other facilities, such as the services of assistants. The plea given by Shri Raghunath Singh that Members will have to spend more on elections is totally unconvincing. The required object cannot be attained in this way.

We must not forget that we are passing through a period of emergency and people are facing untold sufferings. This measure will only result in lowering our dignity in their eyes. It is equally ridiculous to compare ourselves to our counterparts in Australia, New Zealand and other countries. There the standard of living is much more higher than ours. Members have been elected by people to do service untp them, and not to measure their positions in terms of money. Also, the ideals of reducing the existing disparities shall receive a severe set back, as a result of this measure. When we have failed to establish a socialistic pattern of our society during the last 15 years, we have no right to demand the enhancement of our salaries.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : (केन्द्रपाड़ा): जहां तक इस विधेयक के सिद्धान्त का सम्बन्ध है, उससे कोई आपत्ति नहीं हो सकती परन्तु हमें देखना यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में यह वांछनीय है अथवा नहीं। मैं इस विधेयक के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं। यह ठीक है कि सदस्यों को आवश्यक सुविधायें नहीं मिली हुई हैं परन्तु इस का हल वेतन तथा भत्तों को बढ़ाने से नहीं किया जा सकता। ५०० रुपये वृद्धि कर देने से भी कुछ सदस्यों के परिवारों को दो स्थानों पर रहना आसान नहीं होगा। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि इस समस्या को हल करने के लिये सदस्यों के लिए कर्त्तव्य पालन की दृष्टि से आवश्यक सुविधाओं और देश की वर्तमान स्थिति में सन्तुलन कायम किया जाय। हमें जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है वह दी जानी चाहिये। सुविधाएँ बढ़ाई जानी चाहिएं। यात्रा संबंधी सुविधायें और दी जानी चाहियें। जैसा कि एक संशोधन में कहा गया है ७५० किलोमीटर से आगे जो सदस्य रहते हैं उन्हें सुविधा मिलनी चाहिये। यदि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाता हूं तो ६ दिन लग जाते हैं यात्रा में ही। इसी तरह अन्य प्रकार की सुविधायें भी बढ़ाई जायें परन्तु वेतन तथा भत्ते बढ़ाने के तर्क से मैं सहमत नहीं हूं चूंकि इस से हमारी समस्याओं का हल नहीं होगा। यदि यह विधेयक पारित कर दिया गया तो प्रत्येक सदस्य को जनता को बताना होगा कि उन्होंने अपने वेतन और भत्ते क्यों बढ़ाये। इसलिये इस विधेयक को वापस लिया जाय और हम बैठ कर निर्णय करें कि हमें किस प्रकार की सहायता एवं सुविधाओं की आवश्यकता है और फिर उस प्रयोजनार्थ एक विधेयक लाया जाय।

Shri Rameshwaranand (Karnal) : It has been enunciated in the Vedas that men in our positions should have the ideals like dedication, service and selflessness as our pole stars. If we work with that spirit that shall have a very wholesome effect upon the masses. I may say at the very outset, that we should note compare our lot with our counterparts in other countries.

Time and again we refer to the sacred name of Gandhiji. Let us see if we tread the path laid down by him. He had said that a Minister should not get more than Rs. 500 a month.

I feel that the Members of Parliament, who represent the nation, are servants of the people, and they have no right to demand salaries and allowances. When they demand salaries and allowances they cease to be representatives of the people. The salaries and allowances are meant for the employees who work so hard. The Members are only entitled to boarding and lodging facilities for the period they remain here. The Government will have to impose more taxes in order to pay the increased salaries, and ultimately the burden will fall on the shoulder of the down-trodden masses. Today our masses are on the verge of starvation. It will be higly unreasonable on our part to increase our salaries and allowances. I, therefore, wholeheartedly oppose this measure. I propose this may be referred for eliciting opinion of the people thereupon.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक पर चर्चा के लिये नियत समय को एक घण्टे बढ़ा दिया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा चाहती है कि समय बढ़ाया जाय?

636(Ai)LSD—6.

कुछ माननीय सदस्य : जी, नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस विधेयक पर चर्चा के लिए नियत समय को एक घण्टे बढ़ा दिया जाय ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन]
[MR. SPEAKER *in the chair*]

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में १७ ; विपक्ष में १५०

The Lok Sabha divided

Ayes 17; Noes 150

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्री दार्जी ने कहा कि स्वयं सरकार वेतन तथा भत्ते बढ़ाने में दिलचस्पी रखती है । मैं सदस्य की सूचनार्थ बताना चाहता हूं कि मेरे पास सभा के विभिन्न दलों के ३०० सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक अभ्यावेदन आया है । इसलिये सरकार ने यह मामला माननीय सभा पर छोड़ दिया है । जहां तक हमारे दल का संबंध है, कोई सचेतक जारी नहीं किया गया । मैं ने मंत्रि मण्डल के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वह इस विधेयक संबंधी मतदान में भाग न लें । अब सभा का जो निर्णय होगा हम स्वीकार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी का एक संशोधन है ।

प्रश्न यह है कि :

"कि विधेयक पर राय जानने के लिये उसे १० अगस्त, १९६४ तक के लिए परिचालित किया जाय ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन]
[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the chair*]

पक्ष में ११, विपक्ष में १४५

Ayes 11; Noes 145

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद्-सदस्य वेतन भत्ते अधिनियम, १९५४, में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में १४१, विपक्ष में १८

Ayes 141; Noes 18

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ होगा। खंड २ संबंधी कुछ संशोधन हैं।

Shri Rameshwaranand : I move my amendment No. 5.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 5 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ।

Tho Lok Sabha divided :

पक्ष में १३९; विपक्ष में १३।

Ayes 139; Noes. 13

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

श्री श० शां० मोरे (पूना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

पृष्ठ १ में पंक्ति १० के पश्चात निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :—

"2A. Any Member, who communicates in writing to the Speaker his unwillingness to accept the increased salary and allowances, shall be entitle to the salary and allowances, at the old rates

as if the original section of the principal Act has not been amended by the said Act, 1964."

["२]क. कोई सदस्य, जो लिखित रूप में अध्यक्ष महोदय को सूचित करेगा कि उसे बढ़े हुए वेतन तथा भत्ते स्वीकार्य नहीं है; वह पुरानी दरों से ही वेतन तथा भत्ते प्राप्त कर सकेगा जैसे कि मुख्य अधिनियम की मूल धारा क वर्तमान अधिनियम, १९६४ द्वारा संशोधन किया ही न गया हो ।"] (१०)

श्री रघुनाथ सिंह : मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

पृष्ठ १ में पंक्ति १० के पश्चात निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :–

"2A. Any Member, who communicates in writing to the Speaker his unwillingness to accept the increased salary and allowances, shall be entitled to the salary and allowances at the old rates as if the original section of the principal Act has not been amended by the said Act, 1964."

("२क. कोई सदस्य, जो लिखित रूप में अध्यक्ष महोदय को सूचित करेगा कि उसे बढ़े हुए वेतन तथा भत्ते स्वीकार्य नहीं हैं, वह पुरानी दरों से ही वेतन तथा भत्ते प्राप्त कर सकेगा जैसेकि मुख्य अधिनियम की मूल धारा का वर्तमान अधिनियम, १९६४ द्वारा संशोधन किया ही न गया हो ।"]
(१०)

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में १२३, विपक्ष में ७

Ayes 123; Noes 7

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड २-क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 A was added to the Bill.

खण्ड ३ (धारा ५ का संशोधन)

श्री शिव नारायण (वंसी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ १, पंक्ति १४ में 750 Kilometers ["७५० किलोमीटर"] के स्थान पर "700 Kilometers"

["७०० किलोमीटर"] शब्द तथा आंकड़े रख दिये जायें । (७)

श्री दाजी : अब समय बीत चुका है ।

श्री स० मो० बनर्जी : इस समय इस पर मतदान नहीं होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे ५ बजे विवाद-अन्ध का प्रयोग करना है और सभी खंडों को एक साथ मतदान के लिये रखना है ।

श्री स० मो० बनर्जी : ५ बज चुके हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस संशोधन को मतदान के लिये रख रहा हूं ।

श्री दाजी : अलोकतंत्रीय ढंग से बहुमत को हम पर लादा जा रहा है इसलिये हम इस में भाग नहीं लेंगे । (अन्तर्बाधायें)

इसके पश्चात श्री दाजी और श्रीमती विमला देवी सभा भवन से बाहर चले गये ।

Shri Daji and Shrimati Vimla Devi then left the House.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ १, पंक्ति १४ में "750 Kilometers ["७५० किलोमाटर"] के स्थान पर "700 Kilometers ["७०० किलोमाटर"] शब्द तथा आंकड़े रखे दिये जायें ।" (७)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री राने : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १ में खंड ३ के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें

Amedment of scetion 5

'3. In section 5 of the principal Act, after the existing proviso, the following further proviso shall be inserted, namely :——

"Provided further that nothing in the first proviso shall apply to a member whose usual place of residence is more than seven hundred and fifty kilimeters by rail or road from the place where the session of the House of Parliament or the sitting of the Committee is being held, if the member visits his usual place of residence performing the journey by air not more than twice during a session or sitting lasting more than seventy-five days, or not more than once in any other case."'

["३] मुख्य अधिनियम की धारा ५ में, वर्तमान परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अग्रेतर रख दिया जायेगा, अर्थात :—

धारा ५ का संशोधन

"परन्तु यह और भी कि प्रथम परन्तुक का कोई भी उपबंध उस सदस्य पर लाग नहीं होगा जिसका सामान्य निवास स्थान उस स्थान से, जहां संसद् के सदन का सत्र हो रहा हो या समिति की बैठक हो रही हो, रेलवे अथवा सड़क द्वारा ७५० किलोमीटर से अधिक है, यदि वह सदस्य ७५ दिन सेअधिक अवधि के लिये चलने वाले सत्र अथवा बैठक की कालावधि में विमान द्वारा यात्रा करके अपने सामान्य निवास स्थान को दो बार से अधिक नहीं जाता है या, किसी अन्य मामले में एक बार से अधिक नहीं जाता है ।" (११)

श्री रघुनाथ सिंह : मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं परन्तु ७५० के स्थान पर ७०० होना चाहिए ।

Shri Bagri : On a point of order, Sir. It is more then five now and we are not prepared to sit obey and treat.

Mr. Deputy Speaker : This is no point of order.

प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ १ में खंड ३ के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें"

'3. In section 5 of the principal Act, after the existing proviso, the following further proviso shall be inserted namely :—

Amendment of section 5 "Provided further that nothing in the first proviso shall apply to a member whose usual place of residence is more than seven hundred kilometers by rail or road from the place where the session of the House of Parliament or the sitting of the Committee is being held, if the member visits his usual place of residence performing the journey by air not more than twice during a session of sitting lasting more than seventy-five days, or not more than once, in any other case."

'३. मुख्यअधिनियम की धारा ५ में, वर्तमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अग्रेतर रख दिया जायेगा, अर्थात :—

धारा ५ का संशोधन "परन्तु यह और भी कि प्रथम परन्तुक का कोई भी उपबंध उस सदस्य पर लागू नहीं होगा जिस का सामान्य निवास स्थान उस स्थान से जहां ससद के सदन का सत्र हो रहा हो या समिति की बैठक हो रही हो, रेलवे अथवा सड़क द्वारा ७०० किलोमीटर से अधिक है, यदि वह सदस्य ७५ दिन से अधिक अवधि के लिये चलने वाले सत्र अथवा बैठक की कालावधि में विमान द्वारा यात्रा करके अपने सामान्य निवास स्थान को दो बार से अधिक नहीं जाता है या, किसी अन्य मामले में, एक बार से अधिक नहीं जाता है ।" '(११)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

खण्ड १ (संक्षिप्त नाम)

श्री बासप्पा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ १ में, पंक्ति ४ के पश्चात् (२) It shall come into force immediately"

(२) यह तुरन्त लागू हो जायेगा' शब्द रख दिये जायें ।" (८)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ १ में, पंक्ति ४ के पश्चात '(२) It shall come into force immediately' [(२) यह तुरन्त लागू हो जायेगा'] शब्द रख दिये जायें ।" (८)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

The Enacting Formula and the title were added to the Bill

श्री रघुनाथ सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

श्री स० मो० बनर्जी : पांच बज चुके हैं........ **(अन्तर्बाधायें)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया गया ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha devided.

पक्ष में १४० ; विपक्ष में १३

Ayes 140; Noes 13.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

इसके पश्चात लोक सभा शनिवार, २५ अप्रैल, १९६४/बैशाख ५, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday the 25th April, 1964 Vaisakha 5, 1886 Saka .

GMGIPND-6LSIII—636(ai)LSD—4-7-64—600.